रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09032022-234017
CG-DL-E-09032022-234017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2022/ फाल्गुन 18, 1943
No. 131] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2022/PHALGUNA 18, 1943

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली 9, मार्च, 2022

फा. सं. 18-12/2021-बी.यू.एस.एस (एस.आई.डी.-यूजी-एम.एस.ई).—भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) की धारा 55 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग निम्न विनियमों का निर्माण करती हैं, अर्थात्:-

1 **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**.- (1) इन विनियमों को **भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्धा शिक्षा के न्यूनतम मानक), विनियम 2022 कहा जाऐगा।**

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2 **परिभाषाएं.-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "अधिनियम" का अर्थ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) अभिप्रेत है।

(ii) "अनुलग्नक" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक है:

(iii) "परिशिष्ट" का अर्थ इन विनियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट है।

(2) यहां प्रयुक्त हुए और परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अधिनियम में परिभाषित वही अर्थ होगा जो क्रमशः उन्हें अधिनियम में सौंपे गए हैं।

3 **बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एण्ड सर्जरी प्रोग्राम.**- सिद्धा शिक्षा में स्नातक अर्थात्, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एण्ड सर्जरी (**बी.एस.एम.एस.**) स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए कुशल चिकित्सकों और सर्जनों के रूप में व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण के

साथ-साथ आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के ज्ञान के साथ सिद्धा चिकित्सा के क्षेत्र में समकालीन प्रगति के साथ-साथ सिद्धा चिकित्सा के गहन ज्ञान वाले स्नातकों का निर्माण करेगा।

4 प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड.- (1) सिद्धा शिक्षा में स्नातक (बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एण्ड सर्जरी) में प्रवेश प्राप्त करने हेतु पात्रता निम्नवत् होगी, -

(ए) अभ्यर्थी ने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के साथ 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो और सामान्य श्रेणी के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में एक साथ न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों:

बशर्ते कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट दिव्यांगजन उम्मीदवारों के संबंध में, उक्त परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के मामले में न्यूनतम योग्यता अंक 45 प्रतिशत होंगे और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में न्यूनतम योग्यता अंक 40 प्रतिशत होंगे।

(बी) अभ्यर्थी 10वीं कक्षा या 12 वीं कक्षा में एक विषय के रूप में तमिल भाषा में उत्तीर्ण हो।

(सी) अभ्यर्थी जो खंड (बी) के अंतर्गत नहीं आता है, उसे प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. सत्र के दौरान तमिल भाषा का भी अध्ययन करना होगा।

(डी) किसी भी ऐसे उम्मीदवार को बी.एस.एम.एस डिग्री कार्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह कार्यक्रम के पहले वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले 17 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करता है और पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अपने प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को 25 वर्ष से अधिक न हो:

बशर्ते कि अनुसूचित जाति] अनुसूचित जनजाति] अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु-सीमा में 5 साल की छूट दी जा सकती है।

(2) **राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी).-** (i) स्नातक स्तर पर सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात् प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एन.ई.ई.टी) होगी और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अधिकृत किए गए एक संस्थान द्वारा परीक्षा को संचालित किया जाएगा।

(ii) एक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, एक उम्मीदवार को उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित स्नातक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 50 परसेंटाइल अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा:

बशर्ते कि इस संबंध में -

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 परसेंटाइल अंक प्राप्त करने होंगे;

(ii) दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अधिकार अंतर्गत सामान्य वर्ग के मामले में उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 परसेंटाइल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में न्यूनतम 40 परसेंटाइल अंक प्राप्त करने होंगे;

बशर्ते कि जहां संबंधित श्रेणी में पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त हासिल करने में विफल रहते हैं, तो केंद्र सरकार के परामर्श से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अपने विवेक से संबंधित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कम कर सकती है और केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार कम किए गए अंक केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(3) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक अखिल भारतीय सामान्य योग्यता क्रम सूची *एवं* राज्य-वार योग्यता क्रम सूची तैयार की जाएगी और संबंधित श्रेणी के अंतर्गत अभ्यर्थियो के लिए, केवल उक्त योग्यता क्रम सूची द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश किया जाएगा।

(4) सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और निजी संस्थान में प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स अखिल भारतीय कोटा के लिए 15 प्रतिशत होगा और संघ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (संघ राज्य क्षेत्र) 85 प्रतिशत होगा:

बशर्ते कि,-

(i) सरकारी और निजी दोनों ही प्रकार के सभी डीम्ड विश्वविद्यालयो में प्रवेश के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय कोटा 100% होगा;

(ii) उन विश्वविद्यालयो व संस्थानो में जिसमे पहले से ही कोटा के रख रखाव हेतु 15 प्रतिशत से अधिक अखिल भारतीय कोटा सीट हैं, जारी रहेंगी।

(iii) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता का 5 प्रतिशत दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट विकलांगता वाले उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची पर आधारित होगा।

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजन के लिए, **परिशिष्ट** "ए" में निर्दिष्ट दिव्यांग्जन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की अनुसूची में निहित विशिष्ट विकलांगता और निर्दिष्ट विकलांगता के साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति में एक कार्यक्रम को पढ़ने के लिए उम्मीदवार की पात्रता **परिशिष्ट** "बी" में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और यदि किसी विशेष श्रेणी में विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण खाली रहती हैं, तो सीटों को संबंधित श्रेणी के लिए वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जाएगा।

(5) (i) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, न्यास (ट्रस्ट), सोसायटी, अल्पसंख्यक संस्थान, निगम या कंपनी द्वारा स्थापित संस्थानों सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी सिद्धा शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोटे की काउंसलिंग के लिए नामित प्राधिकारी संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रासंगिक नियमों और विनियमों के अनुसार संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होगा।

(ii) सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों सरकारी और निजी दोनों की 100% सीटों के लिए बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एण्ड सर्जरी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी।

(6) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित सभी सिद्धा शैक्षणिक संस्थानों एवं अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत सीटों हेतु बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एण्ड सर्जरी प्रोग्राम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग केंद्र सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण द्वारा आयोजित कराई जाएगी।

(7) (i) विदेशी नागरिकों की श्रेणी छोड़कर, सभी सीटें (केंद्रीय कोटा, राज्य कोटा या प्रबंधन आदि) चाहे किसी भी श्रेणी की हों, केवल काउंसलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्त निर्दिष्ट के अलावा किसी भी माध्यम से सीधे प्रवेश को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) संस्थान को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रवेश दिए गए छात्रों की सूची सत्यापन के लिए समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रवेश के लिए कट-ऑफ तिथि पर शाम 6 बजे या उससे पहले जमा करनी होगी।।

(iii) विश्वविद्यालय उन उम्मीदवारों (विदेशी नागरिकों को छोड़कर) के प्रवेश को मंजूरी देंगे, जिन्हें काउंसिलिंग (केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश) के माध्यम से आवंटित किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(8) किसी भी उम्मीदवार को, जो इस विनियम के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(9) प्रवेश के संबंध में इन विनियमों में निर्धारित मानदंड या प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर कोई भी प्राधिकरण या संस्थान किसी भी उम्मीदवार को स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा और उक्त मानदंड या प्रक्रिया के उल्लंघन में किए गए किसी भी प्रवेश को भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

(10) ऐसा प्राधिकरण या संस्थान जो इन विनियमों में निर्धारित मानदंडों या प्रक्रिया के उल्लंघन में किसी भी छात्र को प्रवेश देता है, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तदनुसार उत्तरदायी होगा।

(11) विदेशी छात्रो के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष अर्हता की अनुमति दी जा सकती है और विनियम 4 के उप-विनियम (2) लागू नहीं होंगे।

5 **बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि .-** बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम की अवधि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 5 वर्ष और 6 माह की होगी, अर्थात्:-

तालिका – 1

(बी.एस.एम.एस.पाठ्यक्रम की अवधि)

क्रमांक	**बी.एस.एम.एस.पाठ्यक्रम**	**अवधि**
(ए)	प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस.	अठारह महीने
(बी)	द्वितिय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस.	अठारह महीने
(सी)	तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस.	अठारह महीने
(डी)	अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश	बारह महीने

6 **प्रदान कि जाने वाली उपाधि.-** अभ्यार्थी को सभी परीक्षाओं को पास करने और निर्धारित अवधि में विस्तारित अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करने और बारह महीनों की अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश करने के पश्चात् अभ्यर्थी को सिद्धा मरूथवा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्धा मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.) डिग्री से सम्मानित किया जाएगा और इस डिग्री का नाम **सिद्धा मरूथवा अरिग्नर (बैचलर ऑफ सिद्धा मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.)** होगा।

7 **शिक्षा का माध्यम.-** पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम तमिल या अंग्रेजी या अन्य कोई मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा या हिंदी होगा:

बशर्ते कि, यदि कोई संस्थान विभिन्न राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को प्रवेश दे रहा है, तो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा।

8 **अध्ययन का माध्यम -** (1) इस बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में **मुख्य पाठ्यक्रम** और **ऐच्छिक** शामिल होंगे और अध्ययन के स्वरूप का निम्नलिखित रूप से पालन किया जाएगा, अर्थात्: -

(ए) (i) (ए) प्रवेश के बाद छात्र को संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम के आधार पर कम से कम 15 कार्य-दिवसों के एक प्रस्तावना कार्यक्रम के माध्यम से बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, जो नए भर्ती छात्र को सिद्धा चिकित्सा प्रणाली से परिचित कराने और उसे यह बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम जिसे वह अगले 4½ साल तक अध्ययन करने जा रहा है से अच्छी तरह से अवगत कराना है।

(बी) प्रस्तावना कार्यक्रम के दौरान, सिद्धा के विद्यार्थी को पाठ्यक्रम में यथा निर्धारित अन्य विषयों के साथ-साथ तमिल कि बुनियादी शिक्षा और बुनियादी जीवन सहायता और प्राथमिक चिकित्सा सीखेंगे।

(सी) 15 दिनों का प्रस्तावना कार्यक्रम होगा जो 90 घंटे से कम नहीं होगा और हर दिन 6 घंटे का हो सकता है।

(ii) प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए कुल कार्य दिवस 320 दिनों से कम नहीं होंगे।

(iii) (ए) प्रथम व्यावसायिक सत्र के लिए कुल कार्य दिवस, प्रस्तावना कार्यक्रम के 15 दिनो को छोड़कर, 305 दिनों से कम नहीं होंगे ।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 1920 से कम नहीं होंगे, और व्याख्यान से गैर-व्याख्यान में अध्यापन के घंटे का अनुपात 1: 2 होगा।

(iv) (ए) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 2240 से कम नहीं होंगे और व्याख्यान से गैर-व्याख्यान में शिक्षण घंटे का अनुपात 1: 2 होगा।

(बी) द्वितिय व्यावसायिक सत्र के दौरान, अस्पताल बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) या अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) या प्रयोगशाला या फार्मेसी या डिस्पेंसरी में सुबह के समय प्रतिदिन कम से कम एक घंटे की नैदानिक कक्षाएं, छात्रों को सभी गतिविधियों से परिचित कराने के लिए संचालित की जाएंगी।

(v) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के लिए कुल शिक्षण घंटे 2240 से कम नहीं होंगे, और तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के दौरान, सुबह के समय अस्पताल में तीन घंटे की नैदानिक कक्षाएं संचालित की जाएंगी और व्याख्यान से गैर-व्याख्यान में शिक्षण घंटों का अनुपात 1: 2 होगा।

(vi) शिक्षण की निर्धारित अवधि और अपेक्षित गतिविधियों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा आवश्यकता के अनुसार काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति **"व्याख्यान"** का अर्थ है उपदेशात्मक शिक्षण अर्थात, कक्षा में शिक्षण और अभिव्यक्ति **"गैर-व्याख्यान"** में व्यावहारिक / नैदानिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण शामिल हैं और प्रदर्शनकारी शिक्षण में छोटे समूह शिक्षण / ट्यूटोरियल्स / सेमिनार / संगोष्ठी / असाइनमेंट / रोल प्ले / फार्मेसी प्रशिक्षण / प्रयोगशाला प्रशिक्षण / विच्छेदन / क्षेत्र का दौरा / कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण / एकीकृत शिक्षा / समस्या आधारित शिक्षा / केस आधारित शिक्षा / प्रारंभिक नैदानिक प्रदर्शन / साक्ष्य आधारित शिक्षा आदि, विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर-व्याख्यान में, नैदानिक/प्रैक्टिकल भाग 70 प्रतिशत होगा और प्रदर्शनात्मक शिक्षण 30 प्रतिशत होगा।

(vii) प्रति सप्ताह पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा के लिए कम से कम एक-एक घंटा तथा सभी बैचों के नियमित समय-सारणी में प्रति माह एक घंटे का मनोरंजन समय (प्रतिभा और पाठ्येतर गतिविधियों की अभिव्यक्ति) आवंटित करना होगा।

(बी) प्रथम व्यावसायिक सत्र सामान्यत: अक्टूबर माह में प्रारंभ होगा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका – 2

(प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए विषय)

क्रमांक	विषय कोड	विषय	समतुल्य शब्द
1.	एसआईडीयूजी-एसएटीवी	सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम	हिस्ट्री एंड फन्डामेंटल प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन
2.	एसआईडीयूजी-टीएल एसआईडीयूजी-सीई	तमिल भाषा (प्रवेश के लिए अर्हता से संबंधित विनियम 4 के उप-विनियम(1) की धाराओं (बी) तथा (सी) के अनुसार लागू) / संवादात्मक अंग्रेज़ी (जहाँ कहीं भी लागू हो)	
3.	एसआईडीयूजी-यूके	उडल कूरूगल	ह्यूमन एनाटॉमी
4.	एसआईडीयूजी-यूटी	उडल तत्वम	ह्यूमन फिजियोलॉजी
5.	एसआईडीयूजी- यूवी	उयिर वेधियल	बायोकेमिस्ट्री
6.	एसआईडीयूजी- एनयू	नुन्नुयिरियल	माइक्रोबायोलॉजी
7.	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(सी) द्वितीय व्यावसायिक सत्र सामान्यत: प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के पश्चात् अप्रैल के महीने में शुरू होगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका – 3

(द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. के विषय)

क्रमांक	विषय कोड	विषय	समतुल्य शब्द
1.	एसआईडीयूजी- एमटी	मरूतुवा तावरवियल	मेडिसिनल बोटनी एंड फार्माकोगनोसी
2.	एसआईडीयूजी- जीएमएम	गुणपाडम - मरूंदियल	मटेरिया मेडिका-फार्माकोलॉजी
3.	एसआईडीयूजी-जीएमके	गुणपाडम - मरूनदगवियल	मटेरिया मेडिका-फार्मास्यूटिकल्स
4.	एसआईडीयूजी-एसएसएम एवं एनएम	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम	फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी
5.	एसआईडीयूजी-एनएन 1	नोइ नाडल - I	सिद्धा पैथोलॉजी
6.	एसआईडीयूजी-एनएन 2	नोइ नाडल - II	प्रिंसीपल्स आफ मोडर्न पैथोलॉजी
7.	एसआईडीयूजी-एनएवीओ	नोइ अनुगाविधी ओझुक्कम	प्रिंसीपल्स एंड डिसिप्लिनस ऑफ डिजिज प्रिवेन्शन एंड पब्लिक हेल्थ
8.	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(डी) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र सामान्यत: द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा के पूरा होने के पश्चात् अक्टूबर के महीने में शुरू होगा और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार निम्नलिखित विषय पढ़ाए जाएंगे, अर्थात्:-

तालिका – 4

(तृतीय (अन्तिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. के विषय)

क्रमांक	विषय कोड	विषय	समतुल्य शब्द
1.	एसआईडीयूजी- एमएम	मरूतुवम्	मेडिसिन
2.	एसआईडीयूजी- वीपीएस	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्	वर्मम, एक्सटर्नल थैरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन
3.	एसआईडीयूजी- एएम	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ	सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी
4.	एसआईडीयूजी- एसएमएम	सूल तथा मागलिर मरूतुवम्	अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी
5.	एसआईडीयूजी- केएम	कुजंतइ मरूतुवम्	पीडियाट्रिक्स
6.	एसआईडीयूजी- आरएम	रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस	
7.	ऐच्छिक (न्यूनतम तीन) विषय		

(ई) विश्वविद्यालय; संस्थान और कॉलेज ***अनुलग्नक - 1*** में इन विनियमों में प्रदान किए गए अस्थायी शैक्षणिक कैलेंडर के नमूने के अनुसार उस विशेष बैच का एक अकादमिक कैलेंडर तैयार करेंगे और इसे छात्रों को परिचालित किया जाएगा और संबंधित वेबसाइटों में उपयोग के लिए उपलब्ध किया जाएगा और तदनुसार पालन किया जाएगा।

(एफ) इस बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विभाग और विषय शामिल होंगे, अर्थात्: -

तालिका – 5

(विभाग तथा विषय)

क्रमांक	**विभाग**	**विषयों**
1.	सिद्धा मरूतुवम् मूलतत्तुवम	1. सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम 2. तमिल भाषा/संवादात्मक अंग्रेज़ी (जहाँ कहीं लागू हो)
2.	उडल कूरुगल	उडल कूरुगल
3.	उडल तत्वम	1. उडल तत्वम 2. उयिर वेधियल
4.	गुणपाडम - मरूंदियल	1. गुणपाडम - मरूंदियल 2. मरूतुवा तावरवियल
5.	गुणपाडम - मरूनदगवियल	गुणपाडम - मरूनदगवियल
6.	नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल	1. नोइ नाडल –I 2. नोइ नाडल - II 3. नुन्नुयिरियल
7.	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम
8.	नोइ अनुगाविधी सहित रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस	1. नोइ अनुगाविधी ओझुक्कम 2. रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस
9.	मरूतुवम्	मरूतुवम्
10.	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम्
11.	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ
12.	सूल तथा मागलिर मरूतुवम्	सूल तथा मागलिर मरूतुवम्
13.	कुजंतइ मरूतुवम्	कुजंतइ मरूतुवम्

(जी) ऐच्छिक.- (i) सिद्धा के छात्रों को विभिन्न संबद्ध विषयों से परिचित कराने, उजागर करने और उन्मुख होने का अवसर प्रदान करने के लिए बी.एस.एम.एस पाठ्यक्रम में ऐच्छिक विषय प्रस्तुत किए गए हैं, जो बहुविषयक दृष्टिकोण को समझने और बनाने के लिए आवश्यक हैं।

(ii) ऐच्छिक को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के रूप में आयोजित किया जाएगा।

(iii) प्रत्येक ऐच्छिक विषय 45 घंटे की अवधि का होगा और 5 भागों में विभाजित होगा और प्रत्येक भाग में 9 घंटे अर्थात् 5 घंटे का शिक्षण 2 घंटे का निर्देशित अध्ययन, विशेषज्ञ मार्गदर्शन / प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के लिए प्रत्येक में

1-1 घंटा होगा। कुल मिलाकर, प्रत्येक ऐच्छिक में 25 घंटे का शिक्षण, 10 घंटे की निर्देशित अध्ययन होगा, 5 घंटे की विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रतिक्रिया और मूल्यांकन के 5 घंटे (प्रत्येक 1 घंटे के 5 आंकलन होंगे)

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजन के लिए शिक्षण का अर्थ है वीडियो लेक्चर, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन, ऑडियो लेक्चर, वीडियो क्लिपिंग, ऑडियो क्लिपिंग, तकनीकी छवियाँ, अध्ययन सामग्री आदि।

(iv) इन विनियमों के अंतर्गत ऐच्छिक के अध्ययन के घंटे बी.एस.एम.एस के निर्धारित शिक्षण घंटों से अधिक हैं।

(एच) नैदानिक प्रशिक्षण.-(i) छात्र का नैदानिक प्रशिक्षण प्रथम व्यावसायिक सत्र से प्रारम्भ होगा और संबंधित संकाय और विभाग द्वारा संबंधित अस्पताल में विषय की आवश्यकता के अनुसार गैर-व्याख्यान घंटे में विषय से संबंधित नैदानिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा (नियमित व्यावहारिक और प्रदर्शनकारी शिक्षण के अलावा) -

(ए) बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) और आंतरिक रोगी विभाग (आईपीडी) के मरीजों में शरीर- त्रिदोष पाठ्य विषय, पंच मूलभूत पाठ्य विषय, एपिस्टेमोलॉजी, 96 तत्वास, येड़ उडरकट्टुगल आदि पर नैदानिक देखरेख, दवा के मूल गुणों पर अभिविन्यास सहित सिद्धा के मूलभूत सिद्धांतों का अनुप्रयोग और सिद्धा मारुथुवा मूलतत्वम और भाषा संकाय विभाग द्वारा औषधि चयन विधि, प्रकरण लिखने की सिद्धा पद्धति, रोगी पंजीकरण, रोगियों के साथ संवाद इत्यादि;

(बी) नैदानिक स्थितियों में नैदानिक और अनुप्रयुक्त शरीर क्रिया विज्ञान, नाड़ी दर, श्वसन दर, शरीर के तापमान, रक्तचाप, ऊंचाई और वजन की माप, बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) की गणना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ईसीजी), हिमेटोलॉजिकल परीक्षण प्रक्रिया आदि सहित महत्वपूर्ण संकेतों के मूल्यांकन में प्रशिक्षण। उडल थथुवम विभाग द्वारा अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) या बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) मामलों में सिद्धा मूल सिद्धांतों या एनवगई थेरवू का आवेदन, सिद्धा दृष्टिकोण में केस शीट लेखन आदि;

(सी) उडल कूरूगल विभाग द्वारा नैदानिक स्थितियों में अनुप्रयुक्त शरीर रचना विज्ञान, नैदानिक परीक्षण के लिए आसन का अनुप्रयोग, सतही शरीर रचना विज्ञान, उदर चतुर्भुज और स्थानीयकरण, रक्त वाहिकाओं का स्थान, मांसपेशियों की गतिविधियों और अखंडता की जांच, एक्स-रे पढ़ना, कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी (सीटी) और चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) आदि;

(डी) बायोकेमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल जांच में प्रयोगशाला उन्मुख प्रशिक्षण, अंतरंग रोगी विभाग (आईपीडी) या बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी) मामलों की प्रयोगशाला रिपोर्ट- जैव रसायन और सूक्ष्म जीव विज्ञान संकाय द्वारा व्याख्याएं- और इसके नैदानिक सहसंबंध आदि ।

(ii) (ए) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड ए(iv) के अनुसार आयोजित किया जाएगा और संबंधित संकाय और विभाग द्वारा उपस्थिति बनाई जाएगी।

(बी) द्वितीय व्यावसायिक सत्र के लिए नैदानिक प्रशिक्षण विषयों की आवश्यकता के अनुसार प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत-

(ए) एनवागई थेरवू के माध्यम से रोग का निदान और मूल्यांकन, ओपीडी और आईपीडी रोगियों में सिद्धा सिद्धांतों का अनुप्रयोग, रोगियों में मुत्तोडम मिगु गुणम या कुरई गुणम विशेषताओं की जांच, नाड़ी / नीरकुरी - नैक्कुरी परिशोधनई पर प्रशिक्षण, शरीर के स्वभाव या याक्कई का आकलन, नोइ नाडल और नोइ मुदल नाडल विभाग द्वारा प्रयोगशाला जांच-व्याख्या-और इसके नैदानिक सहसंबंध, स्क्रीनिंग ओपीडी आदि में प्रशिक्षण;

(बी) नोइ अनुगाविधी विभाग द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी सहित निवारणात्मक दवायें और उपाय, ओपीडी और आईपीडी रोगियों के लिए पथ्य उनवु या चिकित्सीय आहार का नुस्खा, पाक चिकित्सा, कार्यात्मक भोजन, जीवन शैली प्रबंधन, नैदानिक मामलों के अनुसंधान के दृष्टिकोण, नैदानिक दस्तावेज, प्रकरण अध्ययन और प्रकरण श्रृंखला लिखना, नैदानिक अनुसंधान प्रस्ताव की सरल तैयारी, वैज्ञानिक लेखन इत्यादि;

(सी) गुणपाडम मरूंदियल विभाग, मेडिसिनल बोटनी एंड फार्माकोगनोसी और गुणपाडम मरूनदगवियल विभाग द्वारा नुस्खे की संरचना, दवा के नाम, रूप, खुराक, अनुबानम, थुनै मरून्दु, मरूंदिरकाना पत्यम, मारून्दुम्नुम कलम, दवाओं के मिश्रण या संयोजन की विधि, चिकित्सालय में उपयोग के लिए ताजी जड़ी-बूटियों की खरीद, चिकित्सालय में उपयोग की जाने वाली साधारण दवाओं की तैयारी में अभिविन्यास, फार्मेसी प्रशिक्षण आदि पढ़ाना; और

(डी) सट्टम सारंध मरूतुवमुम और नंजु मरूतुवमुम विभाग ओपीडी और आईपीडी मामलों के प्रकरण पत्रक लेखन, निदान और उपचार, प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियायें और परिहार, चिकित्सालय औषधिशास्त्र प्रशिक्षण, चिकित्सा-कानूनी पहलुओं, चिकित्सा संबंधी प्रमाण पत्रों आदि में अभिविन्यास और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

(iii) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के दौरान, जैसा कि विनियम 8 के उप-विनियम (1) के खंड (ए)(v) के अंतर्गत उल्लिखित है, नैदानिक प्रशिक्षण निम्नलिखित नैदानिक विभागों में आवर्तन के आधार पर होगा, अर्थात्: -

(ए) मरूतुवम् (मेडिसिन): विभाग के तहत ओपीडी, आईपीडी और विशेषज्ञता चिकित्सालय यदि कोई हो;

(बी) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, एक्सटर्नल थैरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन): ओपीडी, आईपीडी, तोक्कनम, वर्मम / पुरेमरूतुवम् थेरेपी ब्लॉक, योग चिकित्सा कक्ष, और विभाग के अंतर्गत काम करने वाले विशेष चिकित्सालय, यदि कोई हों;

(सी) कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी): ओपीडी, आईपीडी, ऑपरेशन थिएटर और विभाग के तहत काम करने वाले विशेष चिकित्सालय, यदि कोई हो;

(डी) सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी): ओपीडी, आईपीडी, लेबर रूम, प्रक्रिया कक्ष और विभाग के तहत काम करने वाले विशेष चिकित्सालय यदि कोई हो;

(ई) कुजंतइ मरूतुवम् (पेडियाट्रिक्स): विभाग के अंतर्गत कार्यरत ओपीडी, आईपीडी और विशेष चिकित्सा क्लीनिक, यदि कोई हो; तथा

(एफ) मरूतुवम् विभाग के तहत अवसरा मरूतुवम् (इमरजेंसी मेडिसिन / कैज़ुअल्टी)।

9 भारतीय चिकित्सा पद्धति (एसएमएएसटीडी-आईएसएम) में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के लिए कार्यप्रणाली. -

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के लिए राष्ट्रीय आयोग की धारा 2 की उपधारा (एच) के तहत भारतीय चिकित्सा पद्धति (एसएमएएसटीडी-आईएसएम) में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के संबंध में आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विनियमन 8 के उप-विनियमन (1) के खंड (एफ) में उल्लेखित सभी 13 विभागों को 13 कार्यक्षेत्र के रूप में माना जाएगा, इसके अलावा 2 और कार्यक्षेत्र होंगे, शिक्षा के लिए एक और अनुसंधान के लिए एक और प्रत्येक कार्यक्षेत्र को नैदानिक उपकरणों, वैचारिक प्रगति और उभरते क्षेत्रों के प्रासंगिक और उचित प्रगति और विकास के साथ पूरण, समृद्ध और अद्यतन किया जाएगा-

(i) जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव रसायन, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, औषधीय वनस्पति विज्ञान और भेषज विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, इम्यूनोलॉजी आदि जैसे मूल विज्ञान में नवाचार या प्रगति या नया विकास;

(ii) नैदानिक प्रगति;

(iii) चिकित्सीय तकनीक;

(iv) सर्जिकल तकनीक या प्रौद्योगिकी;

(v) दवा की गुणवत्ता और मानकीकरण, दवा विकास आदि सहित भेषज प्रौद्योगिकी ;

(vi) शिक्षण, प्रशिक्षण के तरीके और प्रौद्योगिकी;

(vii) अनुसंधान के तरीके, पैरामीटर, उपकरण और पैमाने आदि;

(viii) तकनीकी प्रगति, स्वचालन, सॉफ्टवेयर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण, प्रलेखन आदि;

(ix) जैव चिकित्सा प्रगति;

(x) चिकित्सा उपकरण;

(xi) कोई अन्य नवाचार, प्रगति, प्रौद्योगिकियां और विकास जो सिद्धा में अनुसंधान को समझने, मान्य करने, शिक्षण, जांच, निदान, उपचार, रोग का निदान, प्रलेखन, मानकीकरण और संचालन के लिए उपयोगी हैं।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा बहु-विषयक कोर समिति का गठन होगा, जो उन प्रगतियों और विकासों की पहचान करेंगे जो किसी एक या अनेक कार्यक्षेत्रों में शामिल करने के लिए उचित और उपयुक्त हैं।

(3) यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा के बोर्ड द्वारा प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित होगी जो उक्त अग्रिमों और विकासों के अनुकूलन और समावेश की विधि को परिभाषित करेगी और सुझाव देगी और इसे स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शामिल करने के लिए भी निर्दिष्ट करेगी और विशेषज्ञ समिति आवश्यकता के अनुसार उपयोग, मानक संचालन प्रक्रिया और व्याख्या के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली विकसित करेगी।

(4) कोई भी शिक्षण कर्मचारी, व्यवसायी, शोधकर्ता, छात्र और नवोन्मेषी आदि भारतीय चिकित्सा पद्धति में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के पूरक के संबंध में भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं और ऐसे सुझावों को विचार के लिए कोर कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

(5) आधुनिक प्रगति को अध्ययन द्वारा समर्थित सिद्धा सिद्धांतों के आधार पर उक्त अग्रिमों की उचित व्याख्या के साथ शामिल किया जाएगा और इस तरह के अग्रिमों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के 5 साल बाद, उन्हें सिद्धा के हिस्से के रूप में माना जाएगा और सिद्धा शब्दावली में परिभाषित और वर्णित किया जाएगा।

(6) एक बार जब कोर कमेटी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदित कर देती है, तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड को निर्देश देगा कि वे विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्दिष्ट स्नातक या स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करें और आयोग दिशा-निर्देश जारी करेगा या यदि आवश्यक हो तो अनुशंसित आधुनिक उन्नति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को शामिल करने के लिए शिक्षकों का अभिविन्यास करेगा।

(7) आधुनिक प्रगति के साथ सिद्धा शिक्षण सामग्री का अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा।

(8) **एसएमएएसटीडी-** आईएसएम के लिए समितियों की संरचना-एक कोर समिति और प्रत्येक कार्यक्षेत्र के लिए एक विशेषज्ञ समिति होगी और ऐसी समितियों की संरचना निम्नानुसार होगी-

(ए) एसएमएएसटीडी-आईएसएम कोर कमेटी (सिद्धा) की संरचना.-

एसएमएएसटीडी- आईएसएम 11 सदस्यीय समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे, -

(i) अध्यक्ष, यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड - चेयरपर्सन;

(ii) सिद्धा से दो विशेषज्ञ (जिसमें से 1 सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम का विशेषज्ञ) - सदस्य;

(iii) सीएसआईआर, सीसीआरएस, आईसीएमआर, डीबीटी, टेक्नोक्रेट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से एक विशेषज्ञ (या तो सेवानिवृत्त या सेवा में) - सदस्य;

(iv) एक शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद् - सदस्य;

(v) यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड के सदस्य - सदस्य सचिव।

बशर्ते कि कोर कमेटी, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के चेयरपर्सन की उचित अनुमति से विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार किसी भी विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

विचारार्थ विषय - (i) समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(ii) समिति की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी।

(iii) समिति ऊपर सूचीबद्ध किसी भी आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की पहचान करेगी जो सिद्धा के लिए प्रासंगिक और लागू हैं, अन्यथा -

(ए) सिद्धा में अनुसंधान गतिविधियों को समझने, मान्य करने या संचालित करने के लिए ;

(बी) किसी विशिष्ट नैदानिक स्थिति और उपचार के निदान या पूर्वानुमान के लिए उपयोगी;

(सी) शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपयोगी ;

(डी) सिद्धा के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपयोगी।

(iv) यह समिति सिद्धा के बुनियादी सिद्धांतों के लिए पहचान की गई आधुनिक उन्नति या वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की उपयुक्ता को सिद्धा के दो विशेषज्ञों की मदद से सुनिश्चित करेगी।

(v) आधुनिक प्रगति या विकास की पहचान के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए विशेषज्ञ समिति के लिए उपयुक्त विशेषज्ञों की पहचान करना और उनकी सिफारिश करना।

(vi) विशिष्ट ऊर्ध्वाध में इसके उपयोग के संदर्भ में अग्रिमों या विकासों के आवेदन का सुझाव देना या स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आदि में शामिल करना, जैसा भी मामला हो।

(vii) चूंकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बदलाव होते रहते है, कोर समिति आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पुराने हिस्से की पहचान करेगी और इसे उचित आधुनिक प्रगति के साथ बदलने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग को सुझाव देगी।

(बी) विशेषज्ञ समिति (सिद्धा) की संरचना. –

विशेषज्ञ समिति का गठन यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड द्वारा किया जाएगा; निम्नानुसार पांच सदस्यों से मिलकर होगा:-

(i) यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड द्वारा निर्धारित विषय विशेषज्ञ - चेयरपर्सन;

(ii) प्रासंगिक सिद्धा विषयों के दो विशेषज्ञ - सदस्य;

(iii) प्रासंगिक आधुनिक विषय से एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(iv) शिक्षण प्रौद्योगिकी से एक विशेषज्ञ - सदस्य।

बशर्ते कि यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से विशेषज्ञ समिति चयनित क्षेत्र के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकती है।

विचारार्थ विषय- (i) समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

(ii) यूनानी, सिद्धा और सोवा रिग्पा (बी.यू.एस.एस) के बोर्ड अध्यक्ष के निर्देशानुसार समिति की कई बैठकें होंगी ।

(iii) समिति कोर कमेटी के सुझाव पर काम करेगी और शैक्षिक प्रौद्योगिकीविद् की मदद से यह तय करेगी कि इसे पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, इसके शिक्षण का तरीका (अर्थात, व्याख्यान/गैर-व्याख्यान) और मूल्यांकन करेगी।

(iv) समिति पहले आधुनिक प्रगति के अनुप्रयोग को समझेगी जिन्हें शामिल करने के लिए पहचाना गया है और सिद्धा के मूल सिद्धांतों के लिए इसकी प्रासंगिकता है।

(v) समिति सिद्धा में विशेष रूप से उस कार्यक्षेत्र के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता की पहचान करेगी और उपयुक्त प्रौद्योगिकी की पहचान करेगी और मानक संचालन प्रक्रिया या कार्यप्रणाली के साथ इसके उपयोग की सिफारिश करेगी।

(vi) समिति स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर शामिल की जाने वाली आधुनिक प्रगति और प्रौद्योगिकी के संबंध में कोर समिति का सुझाव देगी।

(vii) एसएमएएसटीडी-आईएसएम का कार्य प्रवाह निम्नानुसार होगा –

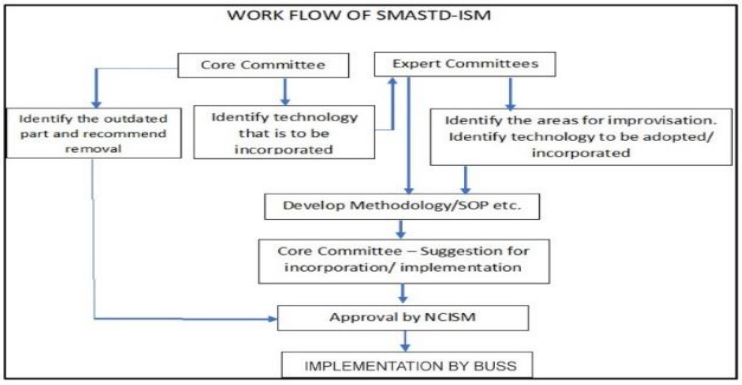

10. **परीक्षा.-**(ए) (i) प्रथम व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः प्रथम व्यावसायिक सत्र के अंत तक आयोजित एवं पूर्ण हो जाएगी;

(ii) वे छात्र जो, प्रथम व्यावसायिक के एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हों जाते हैं, उन्हें द्वितीय व्यावसायिक सत्र की शर्तें रखते हुए तथा द्वितीय व्यावसायिक सत्र की परिक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को द्वितीय व्यवसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रथम व्यवसायिक की बाद की पूरक परीक्षा प्रत्येक 6 महीने में आयोजित की जाएगी।

(बी) (i) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा सामान्यत : द्वितीय व्यावसायिक सत्र के अंत तक आयोजित एवं पूर्ण हो जाएगी;

(ii) द्वितीय व्यावसायिक के एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक अवधि की टर्म जारी रखने की अनुमति दी जाएगी;

(iii) दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र को तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र में कार्यकाल रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी और प्रत्येक छह माह में द्वितीय व्यावसायिक की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(सी) (i) तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा सामान्यतः तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक सत्र के अंत तक आयोजित एवं पूर्ण हो जाएगी;

(ii) तीसरी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने से पहले छात्रों को पहले और दूसरे व्यवसायिक के सभी विषयों को उत्तीर्ण करना होगा एवं 9 ऐच्छिक अर्हताओं में उत्तीर्ण होना होगा।

(iii) प्रत्येक छह माह में तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक की पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

(डी) विषम बैच के छात्र (वे छात्र जो टर्म जारी नहीं रख सके) के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी और छात्र को नियमित बैच के साथ या जूनियर बैच के साथ कक्षा में उपस्थित होना होगा।

(ई) अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के भीतर सभी 3 व्यावसायिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी और 9 ऐच्छिक में अर्हता प्राप्त करनी होगी।

(एफ) सैद्धांतिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) के लिए 20% अंक, लघु उत्तरीय प्रश्नों (एसएक्यू) के लिए 40% अंक और दीर्घ व्याख्यात्मक उत्तर प्रश्नों (एलएक्यू) के लिए 40% अंक होंगे और ये प्रश्न उस विषय के पूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेंगे।

(जी) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक सैद्धांतिक भाग में 50% और प्रेक्टिकल भाग में 50% (जिसमें प्रेक्टिकल और नैदानिक, मौखिक, आंतरिक मूल्यांकन और ऐच्छिक जहां भी लागू हो) प्रत्येक विषय में अलग से।

(एच) **ऐच्छिक विषयों का मूल्यांकन.-** ऐच्छिक का मूल्यांकन उपस्थिति और एससेसमेंट के संदर्भ में किया जाएगा और मूल्यांकन के आधार पर, छात्र को क्रेडिट के साथ-साथ ग्रेड भी दिए जाएंगे-

(i) एक मॉड्यूलर कार्यक्रम के न्यूनतम 5 घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट प्रदान किया जाएगा और एक छात्र प्रत्येक ऐच्छिक के लिए अधिकतम 5 क्रेडिट अर्जित कर सकेगा;

(ii) मूल्यांकन प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में आयोजित किया जाएगा और ग्रेडिंग के लिए औसतन 5 मॉड्यूलर मूल्यांकनों पर विचार किया जाएगा, यानी 25% तक कांस्य; 26-50% तक रजत; 51-75% तक स्वर्ण; 76% तक और अधिक पर प्लेटिनम।

(iii) ऐच्छिक विषयों की संरचना निम्न तालिका के अनुसार होगी, अर्थात्: -

तालिका – 6

(ऐच्छिक की संरचना)

<table>
<tr><th colspan="6">प्रत्येक ऐच्छिक: पांच मॉड्यूल प्रत्येक नौ घंटे के (5*9=45)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">क्रमांक</th><th rowspan="2">अवयव</th><th colspan="2">अवधि (घंटे)</th><th>क्रेडिट</th><th>ग्रेड</th></tr>
<tr><td>मॉड्यूल</td><td>ऐच्छिक</td><td rowspan="5">प्रत्येक मॉड्यूलर कार्यक्रम के न्यूनतम 5 घंटे में भाग लेने के लिए एक क्रेडिट। अधिकतम 5 क्रेडिट</td><td rowspan="5">ग्रेड सभी 5 मॉड्यूलर आकलनों के औसत के आधार पर प्रदान किया जाता है।
कांस्य: <25 प्रतिशत।
रजत: 26-50 प्रतिशत।
स्वर्ण: 51-75 प्रतिशत।
प्लेटिनम : 76 प्रतिशत और अधिक पर।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>शिक्षण</td><td>5</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>मार्गदर्शित शिक्षा</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>विशेषज्ञ मार्गदर्शन / प्रतिक्रिया</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>मूल्यांकन</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table>

(iv) (ए) छात्र को प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए कम से कम 3 ऐच्छिक विषयों में अर्हता प्राप्त करनी (कोई भी ग्रेड प्राप्त करना होगा) होगी ।

(बी) ऐच्छिक विषयों की सूची प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए 3 सेट (ए, बी और सी) के तहत उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए एफए, एफबी और एफसी सेट; द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए एसए, एसबी और एससी सेट; तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. के लिए टीए, टीबी और टीसी सेट।

(सी) छात्र संबंधित व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए निर्दिष्ट प्रत्येक सेट में से अपनी पसंद के अनुसार किसी एक ऐच्छिक विषय का चयन कर सकते हैं।

(डी) प्रत्येक क्रेडिट के लिए 2 अंकों का वेटेज और प्रत्येक ऐच्छिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिए जाएंगे।

(ई) इन ऐच्छिक अंकों को इन विनियमों में निर्दिष्ट संबंधित विषयों के मौखिक परीक्षा के अंकों में जोड़ा जाएगा।

(एफ) प्रत्येक व्यावसायिक सत्र के लिए 3 अनिवार्य ऐच्छिक के अलावा, छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार अतिरिक्त ऐच्छिक विषय चुनने और अर्हता प्राप्त करने की स्वतंत्रता हैं।

(जी) प्रति व्यावसायिक सत्र के लिए केवल 3 ऐच्छिक का अंक वेटेज होगा अर्थात संबंधित व्यावसायिक सत्र के प्रत्येक सेट से 1 ऐच्छिक विषय के लिए होगा।

(एच) अर्जित क्रेडिट और प्राप्त ग्रेड का उल्लेख करते हुए प्रत्येक ऐच्छिक विषय के लिए एक अलग ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

(v) संस्थान की परीक्षा शाखा उपरोक्त निर्दिष्ट के अनुसार छात्रों द्वारा प्राप्त ऐच्छिक के अंकों को संकलित करेगी और संस्थान के प्रमुख के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगी ताकि विश्वविद्यालय इसे संबंधित विषयों की मौखिक परीक्षा से जोड़ सके जैसा कि ***तालिका 11, 13 और 15*** में दर्शाया गया है।

(आई) (i) 65% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को इस विषय में प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया जाएगा और 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को इस विषय में विशिष्टता प्रदान की जाएगी।।

(ii) श्रेणी और विशिष्टता का पुरस्कार पूरक परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होगा।

(जे) (i) प्रत्येक छात्र को परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक (अर्थात, व्याख्यान घंटे), प्रेक्टिकल और नैदानिक (अर्थात, गैर-व्याख्यान घंटे) में न्यूनतम 75% उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

(ii) जहां संस्थान भौतिक उपस्थिति रजिस्टर रखता है, उसे अनुलग्नक- II के अनुसार संचयी संख्या पद्धति में दर्ज किया जाएगा और पाठ्यक्रम या अवधि या पाठ्यक्रम के भाग के अंत में, प्रत्येक छात्र के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद इसे संबंधित विभाग के प्रमुख द्वारा इसे प्रमाणित किया जाएगा और संस्थान के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) यह अनुमोदित उपस्थिति विश्वविद्यालय को अग्रेषित की जाएगी।

(के) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में उपस्थित हो सकता है तथा नियमित परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति को एक प्रयास के रूप में नहीं माना जाएगा।

(एल) इन विनियमों के बावजूद, -

(i) खंड 10(इ) उस छात्र पर लागू होगा जिसने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 के तहत दाखिला लिया था ऐच्छिक को छोड़कर और अनुसूची II की धारा 3 के अनुसार (अधिसूचना संख्या 18-12/2016 सिद्धा (सिलेबस यू.जी.) विनियम, 2016 के अनुसार संशोधित) 4 व्यावसायिक के साथ।।

(ii) छात्र जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 1986 के तहत भर्ती होने वाले छात्र, अनुसूची II के खंड 6(1)(सी), 2(सी),3(सी), 4(सी) और 4(डी) के तहत निर्धारित संबंधित व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अवसरों की अधिकतम संख्या और वर्षों की अधिकतम अवधि (अधिसूचना संख्या 18-12/2016 सिद्धा (सिलेबस यू.जी.) विनियम, 2016 के अनुसार संशोधित) उस पर लागू नहीं होगा।

10 मूल्यांकन:- छात्रों का मूल्यांकन रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के रूप में निम्नानुसार होगा-

(ए) रचनात्मक मूल्यांकन.- छात्रों को कक्षा में उनके प्रदर्शन का आकलन करने के लिए समय-समय पर मूल्यांकन किया जाएगा, कार्यक्रम सामग्री की समझ और उनके सीखने के परिणाम को निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी विषय या मॉड्यूल या पाठ्यक्रम के एक विशेष भाग के शिक्षण के अंत में आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा और निम्नलिखित तालिका के अनुसार निम्न मूल्यांकन विधियों को सामग्री के उपयुक्त के रूप में अपनाया जा सकता है, अर्थात्:

तालिका - 7

(आवधिक मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन विधियाँ)

क्रमांक	**मूल्यांकन विधि**
1.	व्यावहारिक या नैदानिक प्रदर्शन
2.	साक्षात्कार/एमसीक्यू/ एमईक्यू (संशोधित निबंध प्रश्न / संरचित प्रश्न)

3.	ओपन बुक टेस्ट (समस्या आधारित)
4.	सारांश लेखन (शोध पत्र/ संहिता)
5.	कक्षा प्रस्तुतिकरण
6.	कार्य पुस्तिका रखरखाव
7.	समस्या आधारित असाइनमेंट
8.	उद्देश्य संरचित नैदानिक परीक्षा (ओएससीई), उद्देश्य संरचित व्यावहारिक परीक्षा (ओएसपीई), लघू नैदानिक मूल्यांकन अभ्यास (मिनी-सीईएक्स), प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन (डीओपी), केस आधारित चर्चा (सीबीडी)
9.	पाठ्येतर गतिविधियां, (सामाजिक कार्य, सार्वजनिक जागरूकता, निगरानी गतिविधियां, खेल या अन्य गतिविधियां जो विभाग द्वारा तय की जा सकती हैं)।
10.	छोटा प्रोजेक्ट

(ii) (ए) कॉलेज या संस्थान द्वारा 6 महीने के अंत में (प्रथम अवधि परीक्षा) पाठ्यक्रम के 30% के लिए और 12 महीने (द्वितीय अवधि परीक्षा) में पाठ्यक्रम के 40% नए भाग के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा।

(बी) शेष 30% पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय परीक्षा से पहले पिछले 6 महीनों (तृतीय अवधि परीक्षा) में पूरा किया जाएगा;

(iii) प्रथम अवधि परीक्षा से पहले प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन होंगे (आमतौर पर संबंधित व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के 6 वें महीने में) द्वितीय अवधि परीक्षा से पहले न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन (आमतौर पर संबंधित व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के 12 वें महीने में) और न्यूनतम 3 आवधिक मूल्यांकन संबंधित व्यावसायिक बी.एस.एम.एस की अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षाओ (योगात्मक मूल्यांकन) से पहले।

(iv) योजना और निर्धारण की गणना निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगी, अर्थात्: -

तालिका-8

[मूल्यांकन की योजना (रचनात्मक और योगात्मक)]

क्रमांक	व्यावसायिक सत्र	व्यावसायिक सत्र की अवधि		
		पहला कार्यकाल (1-6 महीने)	दूसरा कार्यकाल (7-12 महीने)	तीसरा कार्यकाल (13-18 महीने)
1	पहला व्यावसायिक बी.एस.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यूई
2	दूसरा व्यावसायिक बी.एस.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यूई
3	तीसरा (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस	3 पीए और पहला टीटी	3 पीए और दूसरा टीटी	3 पीए और यूई

पीए: आवधिक मूल्यांकन; टीटी: टर्म टेस्ट; यूई: विश्वविद्यालय परीक्षा

तालिका – 9

[आंतरिक मूल्यांकन अंकों की गणना पद्धति (20 अंक)]

अवधि	आवधिक मूल्यांकन				टर्म टेस्ट	टर्म असेसमेंट	
	ए	बी	सी	डी	इ	एफ	जी
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	औसत (ए+बी+सी/3) (20)	सैद्धांतिक (एमसीक्यू + एसएक्यू + एलएक्यू) और व्यावहारिक (20 में परिवर्तित)	उप योग	अवधि मूल्यांकन
प्रथम						डी+ई	डी+ई/2
दूसरा						डी+ई	डी+ई/2
तीसरा					शून्य	डी	डी
अंतिम आंतरिक मूल्यांकन	**अंतिम आंतरिक मूल्यांकन: तीन टर्म के मूल्यांकन का औसत जैसा कि 'जी' कॉलम में दिखाया गया है**						

(बी) **योगात्मक मूल्यांकन:-**

(i) प्रत्येक व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. के अंत में आयोजित अंतिम विश्वविद्यालय परीक्षाएं योगात्मक मूल्यांकन होंगी।

(ii) इसमें दोहरी मूल्यांकन प्रणाली होगी और पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा।

(iii) विश्वविद्यालय की प्रेक्टिकल/नैदानिक/ मौखिक परीक्षा के लिए दो परीक्षक (एक आंतरिक और एक बाहरी) होंगे।

(iv) योगात्मक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करते समय, **तालिका 11, 13 और 15** में दिए गए अंक पैटर्न के वितरण के अनुसार आंतरिक मूल्यांकन घटक और ऐच्छिक अंकों को माना जाएगा।

11 व्यावसायिक के अनुसार विषय, पत्रों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंकों का वितरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा, अर्थात्: -

तालिका – 10

(प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस विषयों के लिए शिक्षण घंटे)

प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस

कार्य दिवस= 320, शिक्षण समय = 1920

इंडक्शन कार्यक्रम = 15 कार्य दिवस (90 घण्टे)

शेष दिन और शिक्षण घंटे= 320 – 15 = 305 दिन और 1830 घण्टे क्रमशः

क्रमांक	विषय कोड	विषय का नाम	शिक्षण घंटों की संख्या		
			व्याख्यान	गैर-व्याख्यान	कुल
1.	एसआईडीयूजी-एसएटीवी	सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम (हिस्ट्री एंड फन्डामेंटल प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	80	160	240

2.	एसआईडीयूजी- टीएल एसआईडीयूजी- सीई	तमिल भाषा (प्रवेश के लिए अर्हता से संबंधित विनियम 4 के उप-विनियम(1) की धाराओं (बी) तथा (सी) के अनुसार लागू) / संवादात्मक अंग्रेज़ी (जहाँ कहीं भी लागू हो)	60	120	180
3.	एसआईडीयूजी- यूके	उडल कूरूगल (ह्यूमन एनाटॉमी) पेपर I और पेपर II	180	360	540
4.	एसआईडीयूजी- यूटी	उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी) पेपर I और पेपर II	150	300	450
5.	एसआईडीयूजी- यूवी	उयिर वेधियल (बायोकेमिस्ट्री)	70	140	210
6.	एसआईडीयूजी- एनयू	नुन्नुयिरियल (माइक्रोबायोलॉजी)	70	140	210
		कुल	**610**	**1220**	**1830**

तालिका – 11

(प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. विषयों के लिए पत्रों और अंकों का वितरण)

क्रमांक	**विषय**	**पत्रों**	**सिद्धांत**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन**					**कुल योग**
				प्रेक्टिकल या नैदानिक	**मौखिक**	**ऐच्छिक**	**आईए**	**कुल**	
1.	सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम (हिस्ट्री एंड फन्डामेंटल प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	1	100	-	30	-	20	50	150
2.	तमिल भाषा (प्रवेश के लिए अर्हता से संबंधित विनियम 4 के उप-विनियम(1) की धाराओं (बी) तथा (सी) के अनुसार लागू) / संवादात्मक अंग्रेज़ी (जहाँ कहीं भी लागू हो)	1	100	-	30	-	20	50	150
3.	उडल कूरूगल (ह्यूमन एनाटॉमी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-एफए)*	20	150	350

4.	उडल तत्वम (ह्यूमन फिजियोलॉजी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-एफबी)*	20	150	350
5.	उयिर वेधियल (बायोकेमिस्ट्री)	1	100	100	20	10 (सेट-एफसी)*	20	150	250
6.	नुन्नुयिरियल (माइक्रोबायोलॉजी)	1	100	100	30	-	20	150	250
								कुल योग	**1500**

[* सेट: - एफए, एफबी, एफसी - पहले व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए ऐच्छिक के सेट]

तालिका – 12

(द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. विषयों के लिए शिक्षण घंटे)

द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस कार्य दिवस *=320,* शिक्षण घंटे *=2240,* जिसमें *320* नैदानिक घंटे शामिल हैं					
क्रमांक	**विषय कोड**	**विषय का नाम**	**शिक्षण घंटों की संख्या**		
			व्याख्यान	**गैर-व्याख्यान**	**कुल**
1.	एसआईडीयूजी-एमटी	मरूतुवा तावरवियल (मेडिसिनल बोटनी एंड फार्माकोगनोसी)	80	120	200
2.	एसआईडीयूजी-जीएमएम	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका-फार्माकोलॉजी) पेपर I मूलिगइ (प्लांट किंगडम) पेपर II तादु एवं जीवम (मेटल्स मिनरल्स एवं ऐनमल किंगडल)	100	220	320
3.	एसआईडीयूजी-जीएमके	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका-फार्मास्यूटिकल्स) पेपर I और पेपर II	120	280	400
4.	एसआईडीयूजी-एसएसएम एवं एनएम	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) पेपर I और पेपर II	120	140	260
5.	एसआईडीयूजी-एनएन 1	नोइ नाडल - I (सिद्धा पैथोलॉजी) पेपर I और पेपर II	120	200	320
6.	एसआईडीयूजी-	नोइ नाडल - II (प्रिंसीपल्स आफ मोडर्न पैथोलॉजी)	80	120	200

	एनएन 2				
7.	एसआईडीयूजी-एनएवीओ	नोइ अनुगाविधी ओझुक्कम (प्रिंसीपल्स एंड डिसिप्लिनस ऑफ डिजिज प्रिवेन्शन एंड पब्लिक हेल्थ)।	120	100	220
8.	अस्पताल या प्रयोगशाला या फार्मेसी या औषधालय आदि में नैदानिक घंटे, (प्रति दिन 1 घंटा)		-	320	320
		कुल	**740**	**1500**	**2240**

(नोट: उपस्थिति की गणना करते समय संबंधित विषय के गैर-व्याख्यान घंटों में नैदानिक घंटे जोड़े जाएंगे)

तालिका – 13

(द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. विषयों के लिए पत्रों और अंकों के वितरण की संख्या)

क्रमांक	**विषय**	**पत्रों**	**सिद्धांत**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन**					**कुल योग**
				प्रेक्टिकल या नैदानिक	**मौखिक**	**ऐच्छिक**	**आईए**	**कुल**	
1.	मरूतुवा तावरवियल (मेडिसिनल बोटनी एंड फार्माकोगनोसी)	1	100	100	30	-	20	150	250
2.	गुणपाडम - मरूंदियल (मटेरिया मेडिका-फार्माकोलॉजी) पेपर I मूलिगइ (प्लांट किगंडम) पेपर II तादु एवं जीवम (मेटल्स मिनरल्स एवं ऐनमल किगंडल)	2	200	100	20	10 (सेट-एसए)*	20	150	350
3.	गुणपाडम - मरूनदगवियल (मटेरिया मेडिका-फार्मास्यूटिकल्स) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-एसबी)*	20	150	350
4.	सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम (फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	30	-	20	150	350

5.	नोइ नाडल - I (सिद्धा पैथोलॉजी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-एससी)*	20	150	350
6.	नोइ नाडल - II (प्रिंसीपल्स आफ मोडर्न पैथोलॉजी)	1	100	100	30	-	20	150	250
7.	नोइ अनुगाविधी ओझुक्कम (प्रिंसीपल्स एंड डिसिप्लिनस ऑफ डिजिज प्रिवेन्शन एंड पब्लिक हेल्थ)।	1	100	-	30	-	20	50	150
								कुल योग	**2050**

[* सेट:- एसए, एसबी, एससी - द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए ऐच्छिक के सेट]

तालिका – 14

[तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. विषयों के लिए शिक्षण घंटे]

तृतीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. कार्य दिवस *=320,* शिक्षण घंटे *=2240,* जिसमें *960* नैदानिक घंटे शामिल हैं					
क्रमांक	**विषय कोड**	**विषय का नाम**	**शिक्षण घंटों की संख्या**		
			व्याख्यान	**गैर-व्याख्यान**	**कुल**
1.	एसआईडीयूजी-एमएम	मरूतुवम् (मेडिसिन) पेपर I और पेपर II	160	300	460
2.	एसआईडीयूजी-वीपीएस	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, एक्सटर्नल थैरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन) पेपर I और पेपर II	160	300	460
3.	एसआईडीयूजी-एएम	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) पेपर I और पेपर II	140	270	410
4.	एसआईडीयूजी-एसएमएम	सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी) पेपर I और पेपर II	110	240	350
5.	एसआईडीयूजी-केएम	कुजंतइ मरूतुवम् (पेडियाट्रिक्स) पेपर I और पेपर II	110	240	350

6.	एसआईडीयूजी-आरएम	रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस	60	90	150
7.	अवसर मरूतुवम् (इमरजेंसी मेडिसिन और कैज़ुअल्टी)		-	60	60
		कुल	**740**	**1500**	**2240**

(गैर-व्याख्यान घंटों में **960** नैदानिक घंटों में से, एक छात्र को प्रत्येक नैदानिक विभाग में **180** घंटे (**60** दिन x **3** घंटे) और अवसारा मरूतुवम् में **60** घंटे (**20** दिन x **3** घंटे) के लिए नैदानिक पोस्टिंग/कक्षाओं से गुजरना होगा। प्रत्येक विषय के गैर-व्याख्यान घंटों में से शेष घंटे, प्रदर्शनात्मक शिक्षण के लिए आवंटित किए जाए)

तालिका – 15

[तृतीय (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. विषयों के लिए प्रश्नपत्रों और और अंकों का वितरण]

क्रमांक	**विषय**	**पत्रों**	**सिद्धांत**	**व्यावहारिक या नैदानिक मूल्यांकन**					**कुल योग**
				प्रेक्टिकल या नैदानिक	**मौखिक**	**ऐच्छिक**	**आईए**	**कुल**	
1.	मरूतुवम् (मेडिसिन) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-टीए)*	20	150	350
2.	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, एक्सटर्नल थैरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-टीबी)*	20	150	350
3.	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	20	10 (सेट-टीसी)*	20	150	350
4.	सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी) पेपर I और पेपर II	2	200	100	30	-	20	150	350
5.	कुजंतइ मरूतुवम् (पेडियाट्रिक्स) पेपर I और पेपर II	2	200	100	30	-	20	150	350
6.	रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टेटिस्टिकस	1	100	-	30	-	20	50	150
								कुल योग	**1900**

[* सेट: - टीए, टीबी, टीसी - तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस के लिए ऐच्छिक के सेट]

12 अध्ययन के दौरान छात्रों का स्थानांतरण :-

(1) छात्रों को प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे कॉलेज में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए प्रवास लेने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन असफल छात्र के स्थानांतरण और मध्यावधि प्रवास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) प्रवास के लिए, छात्र को कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों की पारंपरिक सहमति प्राप्त करनी होगी और यह रिक्त सीट की सुनिश्चितता के पश्चात् होगा।

13 अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश :- (ए) (i) परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश कार्यक्रम सहित अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश की अवधि एक वर्ष होगी और सामान्यतः नियमित बैच के छात्रों के लिए अप्रैल के पहले कार्य दिवस और पूरक बैच के छात्रों के लिए अक्टूबर के पहले कार्य दिवस पर शुरू होगी।

(ii) छात्र 9 ऐच्छिक सहित पहली से तीसरी (अंतिम) व्यावसायिक परीक्षा के सभी विषयों को उत्तीर्ण करने के बाद और संबंधित विश्वविद्यालयों से अंतिम प्रमाण पत्र प्राप्त करने बाद और संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद से अंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के लिए योग्य होगा।

(बी) प्रशिक्षु वेतन: विशिखानुप्रवेश के दौरान, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के संस्थान से संबंधित प्रशिक्षु को संबंधित सरकार के तहत अन्य चिकित्सा प्रणाली के बराबर वेतन का भुगतान किया जाएगा और चिकित्सा प्रणाली के बीच कोई भिन्नता नहीं होगी।

(सी) विशिखानुप्रवेश के दौरान स्थानांतरण :- (i) विशिखानुप्रवेश कॉलेज और विश्वविद्यालय दोनों की सहमति से होगा, उस मामले में जहाँ स्थानांतरण दो अलग-अलग विश्वविद्यालयों के कॉलेजों के बीच होता है;

(ii) यदि स्थानांतरण केवल एक ही विश्वविद्यालय के कॉलेजों के बीच होता है, तो दोनों कॉलेजों की सहमति की आवश्यकता होगी;

(iii) यथास्थिति संस्थान अथवा महाविद्यालय द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र तथा महाविद्यालय व विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ अग्रेषित किये गये आवेदन के प्रस्तुत किये जाने पर स्थानान्तरण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(डी) अभिविन्यास कार्यक्रम - (i) प्रशिक्षणार्थी अनिवार्य रूप से विशिखानुप्रवेश के एक अभिविन्यास कार्यक्रम में भाग लेंगे और विशिखानुप्रवेश शुरू होने से पहले अभिविन्यास का संचालन करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।

(ii) चिकित्सा अभ्यास और व्यवसाय, चिकित्सा नैतिकता, चिकित्सा-कानूनी पहलु, चिकित्सा अभिलेखों, चिकित्सा बीमा, चिकित्सा प्रमाणन, संचार कौशल, आचरण और शिष्टाचार, राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम के नियमों और विनियमों के बारे में प्रशिक्षणार्थी को आवश्यक ज्ञान देने के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

(iii) विशिखानुप्रवेश की शुरुआत में अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की जाएगी और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा एक ई-लॉग बुक का रखरखाव किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षणार्थी अभिविन्यास के दौरान अपने द्वारा की गई गतिविधियों का दिनांक-वार विवरण दर्ज करेगा।

(iv) अभिविन्यास की अवधि सात दिनों की होगी।

(v) समय-समय पर निर्धारित अभिविन्यास के संचालन के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की नियमावली का पालन किया जाएगा।

(ई) विशिखानुप्रवेश के दौरान गतिविधियां।- (i) एक प्रशिक्षणार्थी के लिए दैनिक काम के घंटे 8 घंटे से कम नहीं होंगे; विशिखानुप्रवेश के दौरान प्रशिक्षणार्थी द्वारा का गई सभी गतिविधियों की प्रशिक्षणार्थी एक ई-लॉग बुक में शामिल रखेगा।

(ii) सामान्यतया एक वर्ष की विशिखानुप्रवेश निम्नानुसार होगी-

(ए) विकल्प I.- इसका विभाजन इस प्रकार होगा, कॉलेज से जुड़े सिद्धा अस्पताल में 6 महीने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) या ग्रामीण अस्पतालों या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा का कोई भी सरकारी अस्पताल या सिद्धा चिकित्सा या सिद्धा डिस्पेंसरी या

क्लिनिकल यूनिट ऑफ़ सेंट्रल काउंसिल फ़ॉर रिसर्च इन सिद्धा मेडिसिन (सी.सी.आर.एस) या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सिद्धा मेडिसिन या नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फ़ॉर हॉस्पिटल्स (एनएबीएच) से मान्यता प्राप्त सिद्धा के निजी अस्पताल में 6 महीने का नैदानिक प्रशिक्षण। केवल एनएबीएच मान्यता वाले बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) आधारित क्लीनिक विशिखानुप्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे।

(बी) विकल्प II.- कॉलेज से जुड़े सिद्धा अस्पताल में सभी 12 महीने।

(iii) भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित कॉलेज से जुड़े सिद्धा अस्पताल या गैर-शिक्षण अस्पतालों में, जैसा भी मामला हो 6 या 12 महीने का नैदानिक प्रशिक्षण निम्नलिखित तालिका के अनुसार आयोजित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका– 16

(कॉलेज से जुड़े सिद्धा शिक्षण अस्पताल में विशिखानुप्रवेश अवधि का वितरण)

क्रमांक	विभाग	विकल्प I	विकल्प II
1.	मरूतुवम् (ओपीडी और संबंधित विशेषतायें, संबंधित आईपीडी)	45 दिन	3 महीने
2.	वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (ओपीडी और संबंधित विशेषतायें, संबंधित आईपीडी, तोक्कनम-वर्मम पुरेमरूतुवम् थैरेपी ब्लॉक, योगा)	45 दिन	3 महीने
3.	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (ओपीडी और संबंधित विशेषतायें, संबंधित आईपीडी, ओटी)	1 महीना	2 महीने
4.	सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (ओपीडी और संबंधित विशेषतायें, संबंधित आईपीडी, लेबर रूम)	1 महीना	2 महीने
5.	कुजंतइ मरूतुवम् (ओपीडी और संबंधित विशेषतायें, संबंधित आईपीडी)	15 दिन	1 महीना
6.	अवसर मरूतुवम्	15 दिन	1 महीना
7.	पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल आदि, जैसा कि विनियम 14 के उप-विनियम (ई) के खंड (ii) के तहत विकल्प 1 में उल्लिखित है।	6 महीने	--------

(iv) (ए) प्रशिक्षणार्थियों को निम्नलिखित में से किसी भी केंद्र में कार्यरत किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है और ये तैनाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में उन्मुख और ज्ञान प्राप्त करने के लिए होगी, -

(ए) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र;

(बी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल;

(सी) कोई मान्यता प्राप्त या अनुमोदित मॉडर्न अस्पताल ;

(डी) कोई मान्यता प्राप्त या अनुमोदित सिद्धा अस्पताल या औषधालय;

(ई) केंद्रीय सिद्धा चिकित्सा अनुसंधान परिषद या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा की नैदानिक इकाई में;

(बी) खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित सभी उपरोक्त संस्थानों को इस तरह के प्रशिक्षण लेने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय या संबंधित सरकार द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त होना चाहिए।

(v) प्रशिक्षणार्थी कॉलेज से संबंधित अस्पताल के संबंधित विभागों में विशेष ध्यान देते हुए निम्नलिखित गतिविधियां करेगा, अर्थात्: -

(ए) मरूतुवम् (मेडिसिन).- प्रशिक्षणार्थी को निम्नलिखित से परिचित होने और इससे निपटने में सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) सभी नियमित कार्य जैसे केस लेना, शारीरिक परीक्षण, जांच, निदान और सामान्य चिकित्सा तक सीमित रोगों का प्रबंधन ;

(ii) रोगों के उपचार का क्रम;

(iii) नियमित नैदानिक रोग संबंधी कार्य जैसे हीमोग्लोबिन आकलन, पूर्ण हीमोग्राम, मूत्र विश्लेषण, रक्त स्मीयरों का सूक्ष्म परीक्षण, थूक परीक्षण, मल परीक्षण, नीरकुरी, नैक्कुरी, मल परिशोधनई, प्रयोगशाला डेटा की व्याख्या और नैदानिक निष्कर्ष आदि ; सभी हेमटोलॉजिकल, बायोकेमिकल, पैथोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जांच, इमेजिंग अध्ययन और सभी आधुनिक जांच जो अनुमान निदान और मूल्यांकन के लिए उपयोगी हैं ;

(iv) सिद्धा निदान पद्धति द्वारा एनवागई थेरवू की जांच जिसमें नाडि परिशोधनई, मणिकडई नूल आदि शामिल हैं;

(v) चिकित्सा मामलों में पुरेमरूतुवम् और विशेष दवाओं का उपयोग;

(vi) नियमित वार्ड प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण, दवाओं के मिश्रण और संयोजन, रोगियों के आहार आदतें और अनुसूची के सत्यापन के संबंध में पर्यवेक्षण;

(vii) नैदानिक रिकॉर्ड बनाए रखना।

(बी) वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् (वर्मम, एक्सटर्नल थैरेपी एंड स्पेशल मेडिसिन).- प्रशिक्षणार्थी को निम्नलिखित से परिचित होने और इससे निपटने में सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) सभी नियमित कार्य जैसे केस लेना शारीरिक परीक्षण, जांच, निदान और वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् तक सीमित रोगों का प्रबंधन ;

(ii) वर्मम बिंदुओं का स्थान;

(iii) विभिन्न रोग संबंधी वर्मा स्थितियों का निदान, वर्म उपचार प्रक्रियाओं और तकनीकों का अनुप्रयोग;

(iv) विभिन्न पुरमरुथुवम प्रक्रियाओं/तकनीकों का अनुप्रयोग और तोक्कनम तकनीकों पर विशेष बल;

(v) फ्रैक्चर, अव्यवस्था और उनका प्रबंधन;

(vi) जराचिकित्सा देखभाल (मूपियल);

(vii) विशेष दवाओं के साथ न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल विकारों का प्रबंधन;

(viii) मनोरोग मामलों का प्रबंधन (उलापिरलवु नोइ);

(ix) मानसिक स्वास्थ्य का रखरखाव;

(x) कायकर्पम् (रेजुविनेशन चिकित्सा);

(xi) योग, प्राणायामम और ध्यानम के चिकित्सीय अनुप्रयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(xii) नैदानिक अभिलेखों का रखरखाव करना।

(सी) **कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी).-** प्रशिक्षणार्थी को व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह निम्नलिखित विषयो में कुशल बनाने हेतु उसे सक्षम बनाए, अर्थात्-

(i) अरूवइ, अग्नि और कारम के तहत सिद्धा सिद्धांतों के अनुसार केस लेने, शारीरिक परीक्षण, जांच, निदान और सर्जिकल स्थितियों / विकारों के प्रबंधन जैसे सभी नियमित कार्य;

(ii) सिद्धा शल्य चिकित्सा उपकरणों के साथ कीटाणु नाशक और एंटीसेप्टिक तकनीकों और विसंक्रमण का व्यावहारिक प्रशिक्षण।

(iii) प्रशिक्षु शल्यक्रियापूर्व, शल्यक्रियोपरांत प्रबंध और सिद्धा शल्यक्रिया प्रक्रियाओं में शामिल होगा;

(iv) सिद्धा सर्जिकल प्रक्रियाएं जिनमें अट्टई विडल (जोंक चिकित्सा), अरूवइ (छांटना), कुरुथी वांगल (रक्तपात), सलागई (जांच), वर्ती (औषधीय बाती), ऊदल (उड़ाना), पीचु (एनीमा / डौच), उरीन्जल (चूसना), कट्टुदल (पट्टी लगाना), चुट्टीगई (दस्तीकरण), वेदु (भाप चिकित्सा), पुगई (धूमन) और कारम (कास्टिक अनुप्रयोग);

(v) स्थानीय संवेदनाहारी तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग और संवेदनाहारी दवाओं का ज्ञान;

(vi) रेडियोलॉजिकल अध्ययन, एक्स-रे की नैदानिक व्याख्या, इंट्रा वेनस पाइलोग्राम, बेरियम मील, सोनोग्राफी, इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम, सीटी, एमआरआई सहित इमेजिंग अध्ययन और पीईटी-सीटी स्कैन;

(vii) आंख, कान, नाक, गला, त्वचा, दांत और शरीर के अन्य अंगों की सहायक उपकरणों से जांच, रोग का निदान और प्रबंधन;

(viii) सर्जिकल प्रक्रियाएं और नियमित तकनीकें जैसे -

(ए) ताजा चोटों की सिलाई;

(बी) घाव, जलन, अल्सर और इसी तरह की बीमारियों की ड्रेसिंग;

(सी) फोड़ा की चीरा और जल निकासी;

(डी) सिस्ट का विच्छेदन;

(ई) वेनेसेक्शन;

(एफ) गुदा-मूत्राशय रोगों में कारनूल की तैयारी और अनुप्रयोग;

(जी) प्रोक्टोस्कोप के साथ परीक्षण;

(ix) IV द्रव जलसेक और आधान प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण;

(x) अस्पताल में संक्रमण और रोकथाम; तथा

(xi) नैदानिक अभिलेखों का रखरखाव करना।

(डी) सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी).- प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होने और उन्हें निम्नलिखित का सामना के लिए सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्: -

(i) सभी नियमित कार्य जैसे प्रकरण दर्ज़ करना, शारीरिक परीक्षण, जांच, निदान और प्रसूति और स्त्री रोग संबंधी विकारों का प्रबंधन;

(ii) प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर समस्याएं और उनके उपचार; प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल;

(iii) सामान्य और असामान्य प्रसव का प्रबंधन;

(iv) स्त्री रोग संबंधी/प्रसूति कक्ष उपकरणों जैसे स्पेकुलम, डाइलेटर, वलसेलम आदि को संभालने और उनके विसंक्रमण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण;

(v) लघु और प्रमुख प्रसूति शल्य प्रक्रियाएं;

(vi) अल्ट्रासोनोग्राम, आवश्यक जांच और व्याख्या पर प्रशिक्षण;

(vii) पुरेमरूतुवम् स्त्रीरोग संबंधी स्थितियों का अनुप्रयोग;

(viii) स्तन, योनि स्मीयर आदि की जांच; तथा

(ix) नैदानिक अभिलेखों का रखरखाव करना।

(ई) कुजंतइ मरूतुवम् (पेडियाट्रिक्स).- प्रशिक्षु को निम्नलिखित से परिचित होने और उन्हें निम्नलिखित का सामना के लिए सक्षम बनाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा, अर्थात्

(i) सभी नियमित कार्य जैसे प्रकरण दर्ज़ करना, शारीरिक परीक्षण, जांच, निदान और बाल चिकित्सा मामलों का प्रबंधन;

(ii) टीकाकरण कार्यक्रम और सिद्धा प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ नवजात बच्चे की देखभाल;

(iii) महत्वपूर्ण बाल चिकित्सा समस्याएं और प्रबंधन;

(iv) अल्ट्रासोनोग्राम, आवश्यक जांच और व्याख्या पर प्रशिक्षण;

(v) बाल चिकित्सा मामलों में पुरेमरूतुवम् का अनुप्रयोग;

(vi) नैदानिक अभिलेखों का रखरखाव करना।

(एफ) अवसर मरूतुवम् (आपत्कालीन चिकित्सा या हताहत विभाग) (मरूतुवम् विभाग के अधीन कार्य करेगा) - प्रशिक्षु को सभी आपातकालीन स्थितियों से परिचित होने और उसमें सक्षम बनने के लिए व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा और हताहत और आघात के मामलों की पहचान और उनके प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल के हताहत अनुभाग में सक्रिय रूप से भाग लेने और ऐसे मामलों को चिन्हित करके अस्पताल में रेफर करने की प्रक्रिया में भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

(vi) प्रशिक्षु को अपने नियमित कर्तव्यों के अलावा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

(vii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या जिला अस्पताल या सिविल अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा वाले किसी भी सरकारी अस्पताल या सिद्धा अस्पताल या औषधालय में विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण.–

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या ग्रामीण अस्पताल या सिविल अस्पताल या जिला अस्पताल या आधुनिक चिकित्सा वाले किसी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित अस्पताल या सिद्धा अस्पताल या औषधालय या केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद की नैदानिक इकाई या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा मेडिसिन में 6 महीने के विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के दौरान, प्रशिक्षु निम्नलिखित गतिविधियाँ करेंगे-

(ए) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दिनचर्या और उनके रिकॉर्ड के रखरखाव से परिचित होना;

(बी) ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक प्रचलित बीमारियों और उनके प्रबंधन से परिचित होना;

(सी) ग्रामीण आबादी और विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य देखभाल विधियों के शिक्षण में शामिल होना;

(डी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य अस्पतालों के चिकित्सा या गैर-चिकित्सा कर्मचारियों के नियमित कामकाज से परिचित होना और इस अवधि में हमेशा कर्मचारियों के संपर्क में रहना;

(ई) संबंधित रजिस्टर जैसे दैनिक रोगी रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर, सर्जिकल रजिस्टर आदि को बनाए रखने के काम से परिचित होंगे और विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी रखेंगे;

(एफ) राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे; तथा

(जी) निदान, सिद्धा उपचार, बाह्य उपचार प्रक्रियाओं और सिद्धा की विशेष उपचार विधियों, सिद्धा के विशेष बाह्य रोगी विभागों (ओपीडी), और अनुसंधान में प्रशिक्षित होंगे।

(viii) इलेक्ट्रॉनिक लॉगबुक - (ए) एक निर्दिष्ट ई-लॉगबुक में एक प्रशिक्षु के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके द्वारा की गई प्रक्रियाओं या सहायता या निरीक्षण का रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षु काम का रिकॉर्ड बनाए रखेगा, जिसे चिकित्सा अधिकारी या उस विभाग या इकाई के प्रमुख द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किया जाएगा जिसके तहत वह काम करता है।

(बी) संबंधित प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से डीन या प्रिंसिपल या निदेशक को विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में प्रमाणित ई-लॉगबुक प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम के किसी भी या सभी विषयों में उनके प्रदर्शन को रद्द किया जा सकता है।

(सी) संस्था पूर्ण और प्रमाणित ई-लॉगबुक की सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखेगी और यह सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(ix) **विशिखानुप्रवेश का मूल्यांकन**.- (ए) मूल्यांकन प्रणाली उम्मीदवार के कौशल का आकलन करेगी जबकि एक उद्देश्य के साथ सूचीबद्ध प्रक्रियाओं की न्यूनतम संख्या का प्रदर्शन करेगी कि इन प्रक्रियाओं के सफलतापूर्वक सीखने से उम्मीदवारों को अपने वास्तविक अभ्यास में इसका संचालन करने में सक्षम बनाया जा सके।

(बी) मूल्यांकन प्रत्येक पोस्टिंग के अंत में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा और रिपोर्टों को अनुलग्नक-III के तहत प्रपत्र -1 में संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा।

(सी) सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम सहित अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश के एक वर्ष के पूरा होने पर, संस्थान के प्रमुख संबंधित तैनाती के अंत में विभाग के विभिन्न प्रमुखों द्वारा प्रदान किए गए अनुलग्नक - III के तहत निर्धारित प्रपत्र -1 में सभी मूल्यांकन रिपोर्टों का मूल्यांकन करेंगे और यदि यह संतोषजनक पाया जाता है, तो प्रशिक्षु को 7 कार्य दिवसों के भीतर अनुलग्नक- IV के तहत प्रपत्र -2 में विशिखानुप्रवेश पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

(डी) यदि किसी उम्मीदवार का प्रदर्शन अनुलग्नक-III के तहत प्रपत्र -1 के अनुसार किसी भी विभाग में मूल्यांकन 15 अंक से कम या 50% से कम अंक प्राप्त करने पर असंतोषजनक घोषित किया जाता है, तो उसे विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण और तैनाती में उस विभाग के लिए निर्धारित दिनों की कुल संख्या के 30% की अवधि के लिए संबंधित विभाग में तैनाती को दोहराने की आवश्यकता होगी।

(ई) उम्मीदवार को अपने मूल्यांकन के पूरा होने की तारीख से 3 दिनों के भीतर संबंधित विभागाध्यक्ष और संस्थान के प्रमुख को अलग-अलग मूल्यांकन के संचालन और अंक प्रदान करने के किसी भी पहलू में अपनी शिकायत दर्ज करने का अधिकार होगा, और ऐसी शिकायत की प्राप्ति पर, संस्था के प्रमुख संबंधित विभाग के प्रमुख के परामर्श से शिकायत का समाधान और निपटान 7 कार्य दिवसों के भीतर सौहार्दपूर्ण करेंगे।

(x) प्रशिक्षु के लिए अवकाश.- (ए) एक वर्ष की अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रेवश के दौरान, 12 छुट्टियों की अनुमति है और 12 दिनों से अधिक की किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को तदनुसार बढ़ाया जाएगा।

(बी) प्रशिक्षु एक बार में किसी भी प्रकार के अवकाश के समय में पहले या बाद में 6 दिनों से अधिक की छुट्टी नहीं ले सकता है।

(xi) विशिखानुप्रवेश का पूरा होना.- यदि अपरिहार्य वजहों के कारण विशिखानुप्रवेश के शुरू होने में कोई देरी या विशिखानुप्रवेश के दौरान असामान्य रुकावट होती है, तो ऐसे मामलों में विशिखानुप्रवेश की अवधि तीसरे (अंतिम) व्यावसायिक बी.एस.एम.एस की अर्हक परीक्षा उत्तीर्ण करने की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी, जिसमें पहली और दूसरी व्यावसायिक परीक्षाएं और 9 ऐच्छिक शामिल हैं, जो विशिखानुप्रवेश की पात्रता के रूप में निर्दिष्ट हैं;

बशर्ते कि ऐसे मामलों में, छात्र को सभी सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में संस्थान के प्रमुख से पूर्व अनुमति लेनी होगी और अनुमति पत्र जारी करने से पहले दस्तावेजों की जांच करने और अनुरोध की वास्तविक प्रकृति का आकलन करने की जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख होगी। विशिखानुप्रवेश में शामिल होने के दौरान, छात्र को सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध पत्र, और उप-विनियम (ए) में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा और उप-विनियम (डी) में उल्लिखित विशिखानुप्रवेश अभिविन्यास कार्यक्रम से गुजरना होगा।

14 शिक्षण शुल्क.- संबंधित नियंत्रण समितियों या शुल्क निर्धारण समितियों द्वारा निर्धारित और नियत शिक्षण शुल्क केवल 4 ½ साल के लिए लिया जाएगा और परीक्षाओं में असफल होने की स्थिति में या किसी अन्य कारण से अध्ययन की विस्तारित अवधि के लिए कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा और उसी संस्थान में विशिखानुसार करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

15 शिक्षण स्टाफ के लिए अर्हताएं और अनुभव.- (ए) आवश्यक अर्हता -

(i) एक विश्वविद्यालय से सिद्धा में स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष जो कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है;

(ii) अधिनियम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय या विशेषता में सिद्धा में स्नातकोत्तर अर्हताएं;

(iii) संबंधित राज्य बोर्ड या परिषद के द्वारा एक वैध पंजीकरण जहां वह कार्यरत है या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद या भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी एक वैध केंद्रीय या राष्ट्रीय पंजीकरण प्रमाण पत्र।

"यह गैर-चिकित्सा योग्यता वाले शिक्षकों के लिए लागू नहीं है,"

(iv) तमिल भाषा या अभिव्यक्तिशील अंग्रेजी, मेडिसिनल बोट्नी एवं फार्माकोगनोसी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, फार्माकोलॉजी के विषयों के लिए योग्यता.- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में (नियमित) स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले शिक्षक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (जो भी लागू हो) योग्यता रखने वाले शिक्षक भी, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्त किया जा सकता है; तथा

(v) सिद्धा में स्नातक डिग्री और प्रासंगिक आधुनिक विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले शिक्षक जैसा कि इन विनियमों के विनियम 16 के उप-विनियम (ए), के खंड (iv) में उल्लिखित और भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम की धारा 2 के खंड (एच) के संदर्भ में और जैसा कि इन विनियमों के विनियम 9 में उल्लेख किया गया है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद/भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में योग्यता रखने वाले शिक्षक, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(vi) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राप्त निम्नलिखित अर्हताओं वाले शिक्षक को संबंधित विभागों में निम्नलिखित तालिका के अनुसार नियुक्त किया जा सकता है, अर्थात्:-

तालिका-17

(नियुक्ति के लिए योग्यता और विभाग)

क्रमांक	योग्यता	विभाग
1	बी.एस.एम.एस. और एमएससी एनाटॉमी	उडल कूरुगल
2	बी.एस.एम.एस. और एमएससी फिजियोलॉजी	उडल तत्वम
3	बी.एस.एम.एस. और एमएससी बायोकेमिस्ट्री	उडल तत्वम
4	बी.एस.एम.एस. और एमएससी माइक्रोबायोलॉजी	नोइ नाडल
5	बी.एस.एम.एस. और एमएससी बॉटनी	गुणपाडम - मरूंदियल
6	बी.एस.एम.एस. और एमपीएच	नोइ अनुगाविधी
7	बी.एस.एम.एस. और एमएससी फार्माकोलॉजी या मेडिकल फार्माकोलॉजी	गुणपाडम - मरूंदियल

उपरोक्त अर्हता वाले शिक्षक निर्दिष्ट विभागों में एक से अधिक नहीं होंगे।

(बी) अनुभव –

(i) **प्राध्यापक के पद हेतु -**

(ए) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में 10 साल का शिक्षण अनुभव या संबंधित विषय में नियमित आधार पर शिक्षक के रूप में सह-आचार्य (प्रवाचक) या रीडर के रूप में 5 साल का शिक्षण अनुभव; या

(बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशाला के अनुसंधान परिषदों में पूर्णकालिक शोधकर्ता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) के रूप में 10 साल का शोध अनुभव या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) में 10 साल का नियमित अनुभव या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के रूप में दस साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उसके संचालन की तारीख से उत्तीर्ण किया है कि जब से यह संज्ञान में है और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से कोई एक होने पर, अर्थात् :-

(i) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में न्यूनतम पांच शोध लेख प्रकाशित; या

(ii) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में न्यूनतम तीन शोध लेख प्रकाशित (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) और सिद्धा से संबंधित 01 प्रकाशित पुस्तक या मैनुअल; या

(iii) किसी प्रमुख शोध परियोजना के लिए अन्वेषक; (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक); तथा

(iv) अरूवइ मरूतुवम्, सूल तथा मागलिर मरूतुवम् के विषयों या विशेषता को छोड़कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता;

(i)

बशर्ते कि सेवारत उम्मीदवार ने अपनी 45 वर्ष की आयु के पूरा होने से पहले संबंधित विषय में स्नातकोत्तर पूरा कर लिया हो।

(ii) एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए.-

(ए) संबंधित विषय में नियमित शिक्षक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण का अनुभव; या

(बी) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश या विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय संस्थान या परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) मान्यता प्राप्त अनुसंधान प्रयोगशाला के अनुसंधान परिषदों में पूर्णकालिक शोधकर्ता (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) के रूप में 5 साल का शोध अनुभव या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं या राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं, आयुष मंत्रालय में नियमित सेवा (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) में 5 साल का नियमित अनुभव या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में सहायक रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के रूप में 5 साल का अनुभव (संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता रखने के बाद) और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को उसके संचालन की तारीख से उत्तीर्ण किया है कि जब से यह संज्ञान में है और निम्नलिखित तीन मानदंडों में से कोई एक होने पर, अर्थात्:-

(i) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) में न्यूनतम तीन शोध लेख प्रकाशित; या

(ii) प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में न्यूनतम एक प्रकाशित शोध लेख प्रकाशित (यूजीसी-केयर, पबमेड, वेब ऑफ साइंस, साइंस साइटेशन इंडेक्स, स्कोपस) और 01 पुस्तक या सिद्धा से संबंधित प्रकाशित मैनुअल प्रकाशित; या

(iii) अन्वेषक किसी प्रमुख शोध परियोजना के लिए (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक) या किसी लघु शोध परियोजना के लिए (स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना की अवधि तीन वर्ष और उससे अधिक); तथा

(iv) अरूवइ मरूतुवम्, सूल तथा मागलिर मरूतुवम् के विषयों या विशेषता को छोड़कर संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता;

बशर्ते कि सेवारत उम्मीदवार ने अपनी पैंतालीस वर्ष की उम्र के पूरा होने से पहले संबंधित विषय में स्नातकोत्तर पूरा कर लिया हो।

(iii) **असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए**.- किसी शिक्षण अनुभव की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन पहली नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

(iv) अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षक के लिए अर्हता चिकित्सा सांख्यिकी या बायोस्टैटिस्टिक्स या महामारी विज्ञान या अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी के अन्य प्रासंगिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए:

बशर्ते, सिद्धा के स्नातकोत्तर, जिन्होंने अपने स्नातकोत्तर में एक विषय के रूप में अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी का अध्ययन किया है या सिद्धा के स्नातकोत्तर, जिन्होंने अनुसंधान पद्धति या चिकित्सा सांख्यिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया है वे भी अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के विषय को पढ़ाने के लिए पात्र होंगे और नियुक्ति के समय वरीयता दी जाएगी और अनुसंधान पद्धति और चिकित्सा सांख्यिकी के शिक्षक को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जा सकता है और वह नोइ अनुगाविधी विभाग के अंतर्गत काम करेगा और ऐसे अंशकालिक शिक्षकों को शिक्षक कोड प्रदान नहीं किया जाएगा।

(v) योग प्रशिक्षक (पूर्णकालिक) के लिए योग में स्नातक की डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी और वर्मम पुरेमरूतुवम् और सिरेप्पमरूतुवम् विभाग के तहत काम करेगा। सिद्धर योगा मरूतुवम् स्नातकोत्तर या सिद्धा में स्नातक और योग में स्नातकोत्तर वाले उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र होंगे। प्रशिक्षक के पद के लिए शिक्षक कोड नहीं होगा।

(vi) विनियम 16 के तहत उप-विनियम (ए) के खंड (iv) (v), (vi) में उल्लिखित योग्यता के साथ नियुक्त शिक्षक 7 साल के शिक्षण अनुभव के बाद एसोसिएट प्रोफेसर और 12 साल के शिक्षण अनुभव के बाद प्रोफेसर पद के लिए पात्र होंगे और ऐसे शिक्षक विभागाध्यक्ष और संस्था के प्रमुख के पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (पीएचडी) के लिए शोध अनुभव-वास्तविक शोध अवधि यानी पाठ्यक्रम में शामिल होने से, थीसिस जमा करने की तारीख और 3 वर्षो से अधिक शिक्षण अनुभव मान्य नहीं होगा और पीएचडी सीट आवंटन पत्र, पूर्णकालिक पीएचडी कार्यक्रम में शामिल होने का प्रमाण और विश्वविद्यालय को थीसिस जमा करने के प्रमाण को इस संबंध में साक्ष्य के रूप में माना जाएगा।

(viii) शिक्षक की अस्थायी नियुक्ति या अस्थायी पदोन्नति पर पात्रता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(ix) शिक्षक के रूप में चिकित्सा अधिकारी की प्रतिनियुक्ति के मामले में, यह इस विनियम में निर्दिष्ट योग्यता, पदनाम और अनुभव के साथ होगा और प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष से कम नहीं होगी और कोई भी आपातकालीन वापसी उचित प्रतिस्थापन या वैकल्पिक व्यवस्था के बाद होगी।

(x) सिरेप्पमरूतुवम् और नंजू नूलम मरूतुवम् नीधि नूलम की स्नातकोत्तर उपाधि के विभाग और नामकरण को क्रमशः पुरेमरूतुवम्, सिरेप्पमरूतुवम् और योगम् और सट्टम सारंध मरूतुवमुम नंजु मरूतुवमुम के रूप में नामित किया गया है, और इस प्रकार पुराने स्नातकोत्तर उपाधि धारक के साथ नामकरण (अर्थात् सिरेप्पमरूतुवम् और नंजू नूलम मरूतुवम् नीधि नूलम) को भी संबंधित विभाग में नियुक्त या जारी रखा जा सकता है।

(xi) नीचे दी गई तालिका कॉलम (2) के संबंधित विषय में स्नातकोत्तर योग्यता की अनुपस्थिति में कॉलम (3) में उल्लिखित स्नातकोत्तर विषय / विशेषज्ञता में, योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को संबंधित विभाग में नए सहायक प्रोफेसर के पद की नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा, जो इस विनियमों की अधिसूचना की तिथि से, प्रभावी होगा।

तालिका - 18

क्रमांक	विषय	योग्य विषय/विशेषता
(1)	(2)	(3)
1	सिद्धा मारुतव अदिपद्दइ ततुवनगलुम वरलारूम	नोइ नाडल/ मरूतुवम्

	(हिस्ट्री एंड फन्डामेंटल प्रिंसीपल्स आफ सिद्धा मेडिसिन)	
2	उडल कूरूगल (एनाटॉमी)	वर्मा मरूतुवम्/ सिद्धर योगा मरूतुवम् / मरूतुवम्
3	उडल तत्वम (फिजियोलॉजी)	नोइ नाडल/ सिद्धर योगा मरूतुवम् / मरूतुवम्
4	नोइ अनुगाविधी ओझुक्कम (प्रिंसीपल्स एंड डिसिप्लिनस ऑफ डिजिज प्रिवेन्शन एंड पब्लिक हेल्थ)	सिद्धर योगा मरूतुवम् / कुजंतइ मरूतुवम्/ मरूतुवम्
5	कन, काद, मूक्कु, तोंदइ, पल तथा तोल मरूतुवम् सहित अरूवइ (सर्जरी इन्क्लूडिंग ऑपथैल्मोलॉजी, ईएनटी, डेनटिस्ट्री एंड डर्माटोलॉजी)	पुरेमरूतुवम् / सिरेप्पमरूतुवम्
6	सूल तथा मागलिर मरूतुवम् (अब्स्टेट्रिक्स एंड गाईनेकोलॉजी)	कुजंतइ मरूतुवम्

(सी) संस्थान के प्रमुख के पद के लिए योग्यता और अनुभव.- संस्थान के प्रमुख (प्रधानाचार्य अथवा अध्यक्ष अथवा निदेशक) के पद के लिए वही योग्यता और अनुभव मान्य होगा जो प्रोफेसर के पद के लिए निर्दिष्ट है न्यूनतम तीन वर्ष के प्रशासनिक अनुभव (उप प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष या उप चिकित्सा अधीक्षक या चिकित्सा अधीक्षक आदि) के साथ।

(डी) वेतन- (ए) सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान या सरकारी डीम्ड विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए- वेतन और गैर-अभ्यास भत्ते सहित सभी भत्तों का भुगतान केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप शिक्षकों को किया जाएगा और चिकित्सा प्रणालियों के बीच वेतन संरचना में कोई विसंगति नहीं होगी।

(बी) केंद्रीय निजी डीम्ड विश्वविद्यालय या राज्य निजी डीम्ड विश्वविद्यालय सहित स्व-वित्तपोषित महाविद्यालय के शिक्षक के लिए- (i) न्यूनतम मूल वेतन निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगा, अर्थात्: -

तालिका - 19
(न्यूनतम मासिक वेतन)

क्रमांक	पद	वेतनमान
1.	असिस्टेंट प्रोफेसर	वेतन स्तर-10, वेतन मैट्रिक्स ₹. 56,100-1,77,500 (7वें सीपीसी के अनुसार)
2.	एसोसिएट प्रोफेसर	वेतन स्तर-12, वेतन मैट्रिक्स ₹. 78,800-2,09,200 (7वें सीपीसी के अनुसार)
3.	प्रोफ़ेसर	वेतन स्तर-13, वेतन मैट्रिक्स ₹. 1,23,100-2,15,900 (7वें सीपीसी के अनुसार)
4.	संस्था के प्रमुख	वेतन स्तर-13ए, पे मैट्रिक्स ₹. 1,31,100-2,16,600 (7वें सीपीसी के अनुसार)

(ii) (ए) यह न्यूनतम निर्धारित वेतन होगा और उच्च वेतन संरचना के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं होगा।

(बी) मासिक वेतन का भुगतान संबंधित नियोक्ता नीति के अनुसार लागू भत्तों और संबंधित संवर्ग या पद के अनुभव के वर्ष के संबंध में वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ किया जाएगा।

(सी) संस्थान जो पहले से ही उच्च वेतन संरचना का भुगतान कर रहा है, उसी के साथ जारी रहेगा।

(डी) जब भी केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) वेतनमान में संशोधन करता है, तब लागू होने वाले अनुरूप वेतन संरचना को अपनाया जाएगा।

(सी) वेतन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वेतन खाते में जमा किया जाएगा और शिक्षक को आवश्यक सुविधाएं जैसे भविष्य निधि या कर्मचारी राज्य बीमा, आदि कॉलेज द्वारा प्रदान किया जाएगा और शिक्षक को कॉलेज द्वारा आयकर कटौती प्रमाण पत्र जैसे प्रपत्र 16 मौजूदा मानदंडों के अनुसार जारी किया जाएगा।

(डी) कॉलेज नियुक्ति/पदोन्नति आदेश जारी करेगा जिसमें वेतन, इस्तीफे के लिए नोटिस की अवधि, शिक्षक द्वारा बनाए रखी जाने वाली न्यूनतम उपस्थिति जैसे विवरण स्पष्ट रूप से उल्लिखित होंगे।

(ई) शिक्षक की सेवानिवृत्ति की आयु- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के आदेश के अनुसार होगी और शिक्षक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षकों को 65 वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में पुन: नियोजित किया जा सकता है।

(एफ) यूनिक टीचर कोड- (i) सभी पात्र शिक्षकों के लिए एक यूनिक टीचर कोड, भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा शिक्षक की नियुक्ति की तिथि से सात कार्य दिवसों के भीतर ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से कॉलेज में उनकी नियुक्ति के बाद आवंटित किया जाएगा और ऐसे सभी शिक्षकों के पदोन्नति या राहत या स्थानांतरण की सुविधा और निगरानी ऑनलाइन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (ओटीएमएस) के माध्यम से की जाएगी।

(ii) संस्थान और शिक्षक समय-समय पर पदोन्नति, विभाग स्थानांतरण, कार्यमुक्ति आदि के संबंध में ऑनलाईन शिक्षक प्रबंधन प्रणाली (ओटीएमएस) में प्रोफाइल अपडेट करेंगे।

(जी) आयोग के पास नैतिक और अनुशासनात्मक आधार पर शिक्षक कोड को वापस लेने की शक्ति होगी।

(एच) यदि शिक्षक अपने शिक्षण व्यवसाय को छोड़ देता है या किसी भी कारण से किसी संस्थान में शामिल नहीं होता है तो आयोग के पास यूनिक टीचर कोड को वापस लेने या रोक लगाने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसी शिक्षक कोड के साथ शिक्षण व्यवसाय में वापस शामिल हो सकता है।

(आई) **शिक्षक की उपस्थिति** -शिक्षक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा-निर्देशों और आदेशों का पालन करेगा और प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के कार्य दिवसों के दौरान कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति होगी।

(जे) संकाय सदस्य का विकास और प्रशिक्षण- शिक्षकों को प्रत्येक तीन वर्षों में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् या नामित प्राधिकारी द्वारा संचालित चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी (एमईटी) या गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) से गुजरना होगा।

16 सिद्धा में परीक्षक की नियुक्ति- संबंधित विषय में न्यूनतम 5 वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले नियमित या सेवानिवृत्त शिक्षक के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति को जॉच के लिए पात्र नहीं माना जाएगा तथा परीक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।

रघुराम भट्ट यू, सचिव प्रभारी

[विज्ञापन-III/4/असा./684/2021-22]

परिशिष्ट 'क'

विनियम 4 (4) देखें

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 के खंड (य ग) में संदर्भित "विनिर्दिष्ट दिव्यांगता" से संबंधित अनुसूची के अनुसार:-

1. शारिरिक विकलांगता

क. गतिक विकलांगता (वात रोग अथवा तंत्रिका तंत्र अथवा दोनों की यातना के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की अपने अथवा वस्तुओं की विशिष्ट गतिविधियों से जुडे संचलन को कार्यान्वित करने की अक्षमता) निम्न को सम्मिलित करते हुए -

(क) "कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति" से तात्पर्य है व्यक्ति जो कि कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुका है परंतु निम्नलिखित से ग्रसित है-

(i) हाथ और पैरों में संवेदन की क्षति तथा संवेदन की क्षति तथा नेत्रों तथा पलकों में आंशिक पक्षाघात परंतु स्पष्ट विकृति न हो;

(ii) स्पष्ट विकृति तथा आंशिक पक्षाघात परंतु उनके हाथों तथा पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो जिससे उन्हें सामान्य आर्थिक कार्यो में लगाने हेतु सक्षम बनाया जा सके;

(iii) चरम शारीरिक विकृति एवं बढ़ी उम्र जो व्यक्ति को किसी लाभदायक व्यवसाय को करने से रोके, तथा अभिव्यक्ति "कुष्ठ रोग से मुक्त" का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से तात्पर्य है" गैर प्रगतिशील स्नायुविज्ञान विषयक परिस्थिति का समूह जो कि शारीरिक संचलन तथा मांसपेशीय समन्वय को प्रभावित करता है, मस्तिष्क के एक अथवा अधिक विशिष्ट भागों की क्षति के कारण होता है, प्रायः जन्म के पूर्व, के दौरान अथवा तुरंत बाद होता है;

(ग) "बौनापन" से तात्पर्य है एक चिकित्सीय अथवा अनुवांशिक स्थिति जिसमें एक वयस्क की ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) अथवा इससे कम हो;

(घ) "मांसपेशीय डिस्ट्राफी" से तात्पर्य है अनुवांशिक मांसपेशीय रोग का समूह जो मानव शरीर को चलाने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है तथा एक से अधिक डिस्ट्राफी वाले व्यक्यिों के जीन्स में त्रुटिपूर्ण एवं लुप्त रचना होती है जो कि स्वस्थ मांसपेशीय हेतु उनके के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से उन्हें रोकती है। इसके लक्षण है प्रोग्रेसिव स्केलेटल मसल्स की कमजोरी, मांसपेशीय प्रोटीन में कमियां, तथा मांसपेशीय सेल एवं टिश्यूज का समाप्त हो जाना;

(ड़) "तेजाब के प्रहार से पीड़ित" से तात्पर्य है तेजाब अथवा उसके समान संक्षारक पदार्थ फेंक कर किये गए आक्रामक हमले के कारण विकृत एक व्यक्ति।

ख. दृष्टि क्षति-

(क) "नेत्रहीनता" से तात्पर्य है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति, सबसे अच्छे सुधार के पश्चात् निम्न में से कोई एक स्थिति रखता हो -

(i) दृष्टि की पूर्णतः अनुपस्थिति; अथवा

(ii) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 3/60 से कम अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।

(iii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण के सामने हो।

(ख) "निम्न दृष्टि" से तात्पर्य है, एक ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति निम्न में से कोई एक स्थिति रखता होः-

(i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता।

(ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक कम के कोण के सामने हो।

ग. श्रवण क्षति-

(क) "बहरा" एक व्यक्ति से तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसके दोनो कानों की उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 70डीबी से कम हो।

(ख) "कम सुनाई देना'" से तात्पर्य है जिसके दोनो कानों उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता 60 डीबी से 70डीबी कम हो।

घ. ''वाक् एवं भाषा विकलांगता'" से तात्पर्य है स्वरयंत्रछिद्रीकरण अथवा वाचाघात जो कि वाक् तथा भाषा को प्रभावित करने वाली जैविक अथवा तंत्रिका संबंधित स्थिति जिसके कारण स्थाई विकृत पैदा हो।

2. बौद्धिक विकलांगताएं, दोनों बौद्धिक कार्यप्रणाली की स्थिति जिसमें (तर्क, सीखने, समस्या समाधान करने) और अनुकूल व्यवहार जो प्रत्येक दिन की सीमाओं को शामिल करता है सामाजिक तथा प्रायोगिक कौशल, की चारित्रिक स्थिति व सीमाएं जिसमें शामिल हैं '-

(क) "विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगता'" विजातीय परिस्थिति समूह जिसमें बोलने अथवा लिखने में अथवा भाषा प्रसंस्करण की कमी पायी जाती है जिससे भाषा की बोध गम्यता, बोलने, लिखने, वर्तनी अथवा गणतीय गणना तथा सहित ऐसी परिस्थितियां जिसमें अवधारणात्मक विकलांगताएं, वाक् विकार (डिस्लेक्सिया), डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया तथा विकासात्मक मूकरोग शामिल हैं;

(ख) "आत्म विमोह स्पैक्ट्रम विकृति" से तात्पर्य है विकासात्मक तंत्रिका शोथ परिस्थिति से है जो कि

जीवन के प्रथम तीन वर्ष के दौरान प्रकट होती है तथा किसी व्यक्ति की संवाद, रिश्ते को समझने तथा अन्य संबंधित मामलों में तथा अक्सर असामान्य अथवा रूढ़िवादी रिवाजों अथवा व्यवहार से जुड़ा होता है।

3. मानसिक व्यवहार,- "मानसिक बीमारी" से तात्पर्य है विचार, मनोदशा, अवधारणा, उन्मुखीकरण अथवा स्मृति जो कि स्थूल

रूप से निणर्य लेती है, व्यवहार, वास्तविकता पहचानने की क्षमता अथवा जीवन की सामान्य मांगों को पूर्ण करने की क्षमता, किन्तु इसमें वह परिस्थितिक बाधा शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के मानसिक विकास को अवरोधित अथवा अधूरा विकास करती है, तथा जिसे विशेष रूप से बौद्धिक उप समानता द्वारा वर्गीकृत किया जाता है।

4. निम्न के कारण उत्पन्न विकलांगता:-

(क) चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां, जैसे कि-

(i) 'बहुल ऊतक दृढन' से तात्पर्य है शोथ, माइलिन तंत्रिका कोशिका जो कि अक्षतंतु के चारों ओर स्थित है मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड में की क्षति के कारण तंत्रिका तंत्र के रोग जिससे मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड की एक दूसरे से संवाद करने कि क्षमता पर विघटनकारी प्रभाव पड़ते हैं;

(ii) "पार्किनसेनिज्म रोग" से तात्पर्य है मांसपेशियों में कठोरता और धीमी, प्रभावशाली गतिशीलता, मध्यम वर्ग और बुजुर्ग लोगों से जुडी मस्तिष्क की बुनियादी गंडिका का अधःपतन का रोग तथा तंत्रिका संचरण डोपामीन का विघटन।

(ख) रक्त विकृतियां -

(i) "हीमोफीलिया'" से तात्पर्य है एक अंतर्निहित रोग जिससे पुरूष प्रभावित होते हैं किन्तु महिला द्वारा यह रोग अपने पुरूष बच्चो को प्रेषित की जाती है। जिसे सामान्य रक्त जमाव क्षमता की कमी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे नवजातों में भयंकर रक्त श्राव हो सकता है।

(ii) "थैलिसिमिया'" से तात्पर्य हिमोग्लोबिन की मात्रा की अनुपस्थिति की वंशानुगत विकारों का एक समूह।

(iii) "सिक्कल सैल रोग" से तात्पर्य है रक्त संबंधी विकृति जो कि संबंधित ऊतक और अंग क्षति के कारण रक्तलाप्तता, विदारक घटनाएं तथा विभिन्न जटिलताओं की स्थिति है। यह हीमोग्लोबीन में पुर्नजीवित लाल रक्त कोशिकाओं के ऊतक कोशिकाओं के विनाश की कोशिका कला को संदर्भित करता है ।

5. मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं (ऊपर निर्दिष्ट विकलांगों में से एक से अधिक) बधिरता, अंधता सहित जो ऐसी परिस्थिति से तात्पर्य है जिसमें एक व्यक्ति को श्रवण और दृष्टि क्षति का संयोजन हो सकता है जिसमें गंभीर संचार, विकास और शैक्षणिक समस्याएं हो सकती हैं ।

6. अन्य कोई वर्गीकरण जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हों।

परिशिष्ट - "ख"

[विनियम 4(4) देखें]

बी.एस.एम.एस. में दाखिले के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत "विशिष्ट विकलांगताओं" वाले छात्रों के दाखिले से संबंधित दिशानिर्देश

1. "विकलांगता का प्रमाणपत्र", भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 591(अ) दिनांक 15 जून, 2017 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अनुसार जारी किया जाएगा।

2. किसी व्यक्ति में "विशिष्ट विकलांगता" की सीमा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्या का.आ. 76(अ) दिनांक 04 जनवरी, 2018 में प्रकाशित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत शामिल किए गए "किसी व्यक्ति में विशिष्ट विकलांगता की सीमा आंकने के उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश" के अनुसार आंकी जाएगी।

3. विशिष्ट विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 40% (विकलांगता तल चिन्ह) होनी चाहिए।

4. "शारीरिक रूप से विकलांग" (शा.वि.) शब्द के बजाए 'विकलांग व्यक्ति' (वि.व्य.) शब्द का प्रयोग किया जाएगा।

तालिका

क्र.सं.	विकलांगता की श्रेणी	विकलांगतओं का प्रकार	विनिर्दिष्ट विकलांगता	विकलांगता की रेंज		
				(5)		
				बी. एस. एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र नहीं	बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र, विकलांग व्यक्ति कोटा के लिए पात्र	बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र नही
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	शारीरिक विकलांगता	क. विनिर्दिष्ट विकलांगता ओं सहित गतिक विकलांगता (क से च)	क. कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति'	40% से कम विकलांगता	40-80% विकलांगता 80% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को भी, मामले के आधार पर, अनुमति प्राप्त होगी तथा उनकी कार्य करने की क्षमता का निर्धारण सहयोगी सयंत्र की सहायता से किया जाएगा, यदि इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो देंखें कि क्या यह 80% के नीचे लाया गया है तथा क्या उन्हें संतोषजनक रूप से कोर्स करने तथा उसे पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित	80% से अधिक विकलांगता
			ख.प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात''			
			ग. बौनापन			
			घ.मांसपेशीय डिस्ट्राफी			
			ड. तेजाब के प्रहार से पीड़ित			
			च. अन्य "' जैसे 'अंगविच्छेदन', पोलियोम्येलाइटिस आदि			

					पर्याप्त गतिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है।	
			* ऊंगलियों, हाथों में संवेदन की क्षति, अंगविच्छेद और आंखों की अंतर्गस्तता पर ध्यान दिया जाना चाहिए तथा तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। ** दृष्टि, श्रवण की संज्ञानात्मक कार्य की क्षति पर ध्यान दिया जाना चाहिए और तद्नुरूपी अनुशंसाएं देखी जानी चाहिए। *** बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्र माने जाने के लिए दोनों हाथों का, अक्षुण्ण संवेदनओं, पर्याप्त शक्ति और गति के रेंज के साथ अक्षुण्ण होना आवश्यक है।			
		ख. दृष्टि क्षति (*)	क. नेत्रहीनता ख. निम्न दृष्टि	40% से कम विकलांगता (अर्थात् श्रेणी '0(10%) "ए 'I (20%)" और 'II 30%')	-	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता (अर्थात् श्रेणी III और इससे ऊपर)
		ग. श्रवण क्षति	क. बहरा ख. कम सुनाई देना	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
			(*) 40% से अधिक की दृष्टि क्षति/दृष्टि विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.एस.एम.एस.शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि दृष्टि विकलांगता को आधुनिक निम्न दृष्टि सहायक उपकरण जैसे कि टेलीस्कोप/मैग्नीफायर इत्यादि की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। 40% से अधिक की श्रवण विकलांगता वाले व्यक्तियों को स्नातक बी.एस.एम.एस. शिक्षा में पढ़ने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और इस शर्त के अधीन आरक्षण दिया जा सकता है कि श्रवण विकलांगता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के तल चिन्ह से कम के स्तर तक लाया जाए। इसके अलावा, व्यक्ति के पास 60% से अधिक का वाक् विवेक स्कोर होना चाहिए।			
		(D) वाक् एवं भाषा विकलांगताएं	आर्गनिक/तंत्रीय कारण	40% से कम विकलांगता	-	40% के बराबर या इससे कम विकलांगता
		$ यह प्रस्ताव दिया जाता है कि बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने का पात्र होने के लिए दाखिले हेतु वाक् बुद्धिमता प्रभावित (एस आई ए) स्कोर 3 से अधिक नहीं होगा। (जो कि 40% से कम होगी)। इस स्कोर से अधिक वाले व्यक्ति बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए पात्र नहीं होंगे। 40% तक वाचाघात लब्धि वाले व्यक्ति बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र हो सकते हैं परंतु इसके अधिक वे न तो बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के पात्र होंगे और न ही उन्हें कोई आरक्षण प्राप्त होगा।				

2.	बौद्धिक विकलांगता		क.विशिष्ट ज्ञानार्जन विकलांगताएं (बोधात्मक विकलांगता, डिस्लेक्सिया डिस्केलकुलिया डिस्प्राक्सिया और विकासात्मक एल्फासिया) #	# वर्तमान में एसपीएलडी की गंभीरता आंकने के लिए कोई मात्राकरण पैमाना नहीं है, इसलिए 40% का कट ऑफ, मनमाना है और इसके लिए अधिक साक्ष्य की आवश्यकता है।		
				40% से कम विकलांगता	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता- परंतु चयन, रिमेडिएशन सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी/उपकरणों/ विशेषज्ञ पैनल द्वारा किए गए अवसंरचनात्मक परिवर्तनों की सहायता से मूल्यांकन की गई ज्ञानार्जन सक्षमता पर आधारित होगा।	80% से अधिक या गंभीर स्वरूप या पर्याप्त संज्ञानात्मक/बौद्धिक विकलांगता
			ख. आत्म-विमोह स्पैकट्रम विकृति	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगता अस्परजर सिंड्रोम (आईएसएए) के अनुसार 40%. 60% विकलांगता,	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उद्देश्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां	60% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता संज्ञानात्मक/ बौद्धिक विकलांगता की मौजूदगी और/या यदि व्यक्ति को
				जहां व्यक्ति को किसी विशेषज्ञ पैनल द्वारा बी.एस.एम.एस.	विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	विशेषज्ञ पैनल द्वारा बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम में पढ़ने के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है।

				के लिए उपयुक्त माना जाता है।		
3.	मानसिक व्यवहार		मानसिक रोग	विकलांगता का अभाव या मामूली विकलांगताः से 40% (आईडीईएएस कम के अंतर्गत)	मानसिक बीमारी की मौजूदगी या सीमा स्थापित करने की उदेद्श्य परक पद्धति के अभाव के कारण संस्तुत नहीं किया गया। तथापि, आरक्षण/कोटे के लाभ पर, विकलांगता आंकने की बेहतर पद्धतियां विकसित कर लिए जाने के पश्चात् विचार किया जा सकता है।	40% के बराबर या इससे अधिक विकलांगता या यदि व्यक्ति को अपनी ड्यूटियां करने के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। "मेडिसिन में पै्रक्टिस करने के लिए फिटनेस" की परिभाषा के लिए मानक तैयार किए जांए जिनका जैसे कि भारत के अलावा अन्य देशों के अनेक संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं।
4.	आगे के उल्लेखित कारण विकलांगता	क. चिरकालिक तंत्रिका संबंधी स्थितियां	i. बहुल ऊतक दृढन	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. पार्किनसेनिज्म			
		ख.रक्त विकृतियां	i. हीमोफीलिया	40% से कम विकलांगता	40% - 80% विकलांगता	80% से अधिक विकलांगता
			ii. थैलिसीमिया			
			iii.सिक्कल सैल रोग			
5.	मूक बधिरता सहित बहुल विकलांगताएं		उपर्युक्त में से एक से अधिक विनिर्दिष्ट विकलांगताएं	उपर्युक्त में किसी की मौजूदगी के संबंध में अलग अलग मामलों की अनुशंसाओं में निर्णय लेते समय उपर्युक्त सभी नामतः बहुल विकलांगता के एक घटक के रूप में दृष्टि, श्रवण, वाक् और भाषा विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता पर विचार किया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति में एक से अधिक असमर्थकारी स्थिति मौजूद है, उत्पन्न होने वाली विकलांगता की संगणना करने के लिए, भारत सरकार द्वारा जारी की गई संबंधित राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित संयोजनकारी फार्मूले की अनुशंसा की जाती है $\frac{a+b\,(90-a)}{90}$ (जहां a= विकलांगता के: का उच्च मूल्य % और b = विकलांगता का निम्न मूल्य % जो भिन्न-भिन्न विकलांगताओं के लिए परिकलित किया गया हो। इस फार्मूले का इस्तेमाल बहुल विकलांगताओं वाले मामलों में किया जाए और व्यक्ति विशेष के मामले में मौजूद विशिष्ट विकलांगताओ के अनुसार दाखिले और/या आरक्षण के संबंध में अनुशंसा की जाए।		

नोट: पीडब्ल्यूडी श्रेणी के तहत चयन के लिए, उम्मीदवारों को काउंसलिंग की निर्धारित तिथि से पहले भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा दिये गए विकलांगता मूल्यांकन बोर्डों में से विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुलग्नक- I

ए .शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित टेम्पलेट
प्रथम व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	दिनांक/अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1.	अक्टूबर का पहला कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	15 कार्य दिवस	प्रेरण कार्यक्रम और संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम
3.	मार्च का चतुर्थ सप्ताह	प्रथम आंतरिक मूल्यांकन
4.	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
5.	सितंबर का चौथा सप्ताह	द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन
6.	फरवरी का प्रथम और द्वितीय सप्ताह	पूर्व परीक्षा अवकाश
7.	फरवरी के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
8.	***अप्रैल का* प्रथम *कार्य दिवस***	***द्वितीय व्यवसायिक बी.एस.एम.एस. का प्रारंभ***
नोट	(1) विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। (2) चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

बी. शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित टेम्पलेट
द्वितीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	दिनांक/अवधि	शैक्षणिक गतिविधि
1.	अप्रैल का प्रथम कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	सितंबर का चतुर्थ सप्ताह	प्रथम आंतरिक मूल्यांकन
3.	मार्च का चतुर्थ सप्ताह	द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन
4.	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
5.	अगस्त का प्रथम और द्वितीय सप्ताह	पूर्व परीक्षा अवकाश
6.	अगस्त के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
7.	***अक्टूबर का* प्रथम *कार्य दिवस***	**तृतीय *व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. का प्रारंभ***
नोट	(1) विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। (2) चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

सी. शैक्षणिक कैलेंडर का संभावित टेम्पलेट
तृतीय व्यावसायिक बी.एस.एम.एस. (18 महीने)

क्रमांक	दिनांक/अवधि	शैक्षणिक गतिविधि

1.	अक्टूबर का प्रथम कार्य दिवस	पाठ्यक्रम प्रारंभ
2.	मार्च का चतुर्थ सप्ताह	प्रथम आंतरिक मूल्यांकन
3.	मई में तीन सप्ताह	ग्रीष्म अवकाश
4.	सितंबर का चतुर्थ सप्ताह	द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन
5.	फरवरी का प्रथम और द्वितीय सप्ताह	पूर्व परीक्षा अवकाश
6.	फरवरी के तृतीय सप्ताह से	विश्वविद्यालय परीक्षा
7.	***अप्रैल का प्रथम कार्य दिवस***	***विशिखानुप्रवेश प्रारंभ***
नोट	(1) विश्वविद्यालयों / संस्थानों / कॉलेजों को छात्रों के उस विशेष बैच के अकादमिक कैलेंडर तैयार करते समय तारीखों और वर्ष को निर्दिष्ट करना होगा। उसी को छात्रों को सूचित किया जाना है और संबंधित वेबसाइटों में प्रदर्शित किया जाना है। (2) चरम मौसम की स्थिति में स्थापित संस्थानों / कॉलेजों शिक्षण के निर्धारित घंटों को बनाए रखने के द्वारा आवश्यक रूप में छुट्टी को समायोजित कर सकते हैं। हालांकि, शैक्षणिक कैलेंडर की संरचना को नहीं बदला जाएगा।	

अनुलग्नक II

उपस्थिति बनाने के लिए दिशानिर्देश

(सैद्धांतिक/व्यावहारिक/नैदानिक/गैर-व्याख्यान घंटे)

भारतीय चिकित्सा पद्धति में विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों, कॉलेजों को ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली बनाए रखने की सिफारिश की जाती है। तथापि, यदि विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण कार्यकलापों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भौतिक रजिस्टरों का रख-रखाव किया जा रहा है, तो निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है-

(1) निम्नानुसार उपस्थिति संचयी क्रमांकन पद्धति में चिह्नित किया जाना है।

(ए) उपस्थिति को 1, 2, 3, 4, 5, 6 के रूप में चिह्नित किया जाना है... इस तरह से ।

(बी) अनुपस्थिति के मामले में, इसे (ए) के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए ।

(सी) उदाहरणः पी पी पी पी ए पी पी ए ए पी पी पी(1, 2, 3, 4, ए, 5, 6,ए, ए, 7, 8, 9...) के रूप में चिह्नित किया जा सकता है।

(2) उपस्थिति के लिए (पी) को सख्ती से चिह्नित करने से बचें।

(3) सिद्धांत और व्यावहारिक/नैदानिक/गैर-व्याख्यान गतिविधियों के लिए अलग-अलग रजिस्टर बनाए जाने चाहिए।

(4) अवधि या पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के हिस्से या माह अंतिम संख्या को कुल उपस्थिति के रूप में लिया जाना है।

(5) छात्रों के हस्ताक्षर के बाद कुल उपस्थिति को संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाना है और उसके बाद प्राचार्य द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(6) कई अवधि के मामले में, व्यवसायिक सत्र के अंत में सभी अवधि की उपस्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना है और सभी गैर-व्याख्यान घंटों सहित **सैद्धांतिक** और **व्यावहारिक / नैदानिक** के लिए प्रतिशत की गणना अलग से की जाएगी।

अनुलग्नक-III

प्रपत्र 1

[विनियम 14(ई)(ix)(बी,सी, डी) देखें]

(कॉलेज का नाम और पता)

सिद्धा मरूथवा अरिग्नर

(बैचलर ऑफ सिद्धा मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.) कार्यक्रम

विभाग

विशिखानुप्रवेश की उपस्थिति और आंकलन का प्रमाण पत्र (रजिस्टर संख्या)

प्रशिक्षणार्थी का नाम :

विशिखानुप्रवेश के दौरान उपस्थिति

प्रशिक्षण की अवधि **: _____ से _____ तक**

(ए) कार्य दिवसों की संख्या :

(बी) उपस्थित दिनों की संख्या :

(सी) लिए गए अवकाश दिनों की संख्या :

(डी) अनुपस्थित दिनों की संख्या :

विशिखानुप्रवेश का आंकलन

क्रमांक	**वर्ग**	**प्राप्तांक**
1.	**सामान्य**	**अधिकतम 10**
ए.	जिम्मेदारी और समय की पाबंदी	2 में से (___)
बी.	अधीनस्थों, सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ व्यवहार	2 में से (___)
सी.	दस्तावेज़ीकरण क्षमता	2 में से (___)
डी.	चरित्र और आचरण	2 में से (___)
ई.	अनुसंधान की योग्यता	2 में से (___)
2.	**नैदानिक**	**अधिकतम 20**
ए.	विषय के मूल सिद्धांतों में प्रवीणता	4 में से (___)
बी.	बेडसाइड शिष्टाचार और रोगी के साथ तालमेल	4 में से (___)
सी.	नैदानिक कौशल और योग्यता के रूप में अधिग्रहित	
i.	प्रक्रियाओं को निष्पादित करके	4 में से (___)
ii.	प्रक्रियाओं में सहायता करके	4 में से (___)
iii.	प्रक्रियाओं का पालन करके	4 में से (___)
	कुल प्राप्तांक	**30 में से (____)**

अंकों का प्रदर्शन ग्रेड

खराब <8, औसत से नीचे 9-14, औसत 15-21, अच्छा 22 -25, उत्कृष्ट 26 और अधिक

नोट: एक प्रशिक्षणार्थी ने असंतोषजनक स्कोर (15 से नीचे) प्राप्त किया, तो संबंधित विभाग में तैनाती की कुल अवधि के एक तिहाई को दोहराने की आवश्यकता होगी।

प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर **विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर**

कार्यालय मुहर

दिनांक:

स्थल:

अनुलग्नक- IV

प्रपत्र 2

[विनियम 14(ई)(ix)(सी) देखें]

(कॉलेज का नाम और पता)

सिद्धा मरूथवा अरिग्नर

(बैचलर ऑफ सिद्धा मेडीसिन एण्ड सर्जरी - बी.एस.एम.एस.) कार्यक्रम

अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुसार समाप्ती प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि (प्रशिक्षणार्थी का नाम) प्रशिक्षणार्थी (कॉलेज और पते का नाम) ने निम्नलिखित विभागों में ..... से ..... तक एक वर्ष की अवधि के लिए (कॉलेज का नाम और पता/पोस्टिंग का स्थान) में अपनी अनिवार्य परिभ्रामी विशिखानुप्रवेश पूरी कर ली है;

क्रमांक	विभाग/संस्थान का नाम	प्रशिक्षण की अवधि (दिन/माह/वर्ष) से	प्रशिक्षण की अवधि (दिन/माह/वर्ष) तक

विशिखानुप्रवेश अवधि के दौरान छात्र का आचरण ..... है।

प्रधानाचार्य/डीन/निदेशक के हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

दिनांक:

स्थल:

नोट: यदि भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातक सिद्धा शिक्षा का न्यूनतम मानक) विनियम 2022 के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई विसंगति पाई जाती है, तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जाएगा।

THE NATIONAL COMMISSION FOR INDIAN SYSTEM OF MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9 March, 2022

F. No. 18-12/2021-BUSS(SID-UG-MSE).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 55 of the **National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020)**, the Commission hereby makes the following regulations, namely:-

1 Short title and commencement. - (1) These regulations may be called **National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Siddha Education) Regulations, 2022**.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(i) "Act" means the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020);

(ii) "Annexure" means an annexure appended to these regulations;

(iii) "Appendix" means an appendix appended to these regulations.

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3 Bachelor of Siddha Medicine and Surgery programme.- The Bachelor of Siddha education namely, the Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.) shall produce Graduates, having profound knowledge of Siddha Medicine along with the contemporary advances in the field of Siddha Medicine supplemented with knowledge of scientific and technological advances in modern sciences and technology along with extensive practical training, as an efficient physicians and surgeons for the health care services.

4 Eligibility for admission.- (1) The eligibility to seek admission in Bachelor of Siddha Education (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery) shall be as under,-

(a) The candidate shall have passed 10+2 or its equivalent examination from any recognised Board with Physics, Chemistry and Biology and shall have obtained minimum of fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology in the case of General category and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that in respect of persons with disability candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said examinations shall be forty-five per cent. in the case of General category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) candidate shall have passed Tamil as one of the subjects in the 10^{th} Standard or in 12^{th} Standard.

(c) candidate who is not covered under clause (b) shall have to study Tamil as a subject during the First Professional B.S.M.S. session.

(d) No candidate shall be admitted to B.S.M.S Degree programme unless he has attained the age of seventeen years on or before the 31^{st} December of the year of his admission in the first year of the programme and not more than twenty-five years on the 31^{st}December of the year of admission in the first year of the programme:

Provided that the upper age-limit may be relaxed by five years in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and disabled candidates.

(2) National Eligibility - cum- Entrance Test.- (i) There shall be a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level, namely, the National Eligibility- cum- Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate programme in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the National Commission for Indian System of Medicine.

(ii) In order to consider for admission to under-graduate programme for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain minimum of marks at 50thpercentile in the National Eligibility -cum- Entrance Test for under-graduate programme held for the said academic year:

Provided that in respect of,-

(i) candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(ii)candidates with specified disabilities under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of General category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided further that where sufficient number of candidates in the respective category fail to secure minimum marks in the National Eligibility- cum - Entrance Test held for any academic year for admission to undergraduate programme, the National Commission for Indian System of Medicine in consultation with the Central Government may at its discretion lower the minimum marks required for admission to undergraduate programme for candidates belonging to respective category and marks so lowered by the Central Government shall be applicable for that academic year only.

(3) An All-India common merit list as well as State-wise merit list of the eligible candidates shall be prepared on the basis of the marks obtained in the National Eligibility -cum- Entrance Test and the candidates, within the respective category shall be considered for admission to under-graduate programme from the said merit lists only.

(4) The seat matrix for admission in the Government, Government-aided Institution and Private Institution shall be fifteen percent. for the All-India Quota and eighty-five percent. for the State and Union territory quota:

Provided that,-

(i) the All-India Quota for the purpose of admission in all the deemed university both Government and private shall be hundred percent.;

(ii) the university and institute which are already having more than fifteen per cent. all-India quota seats shall continue to maintain that quota;

(iii) five percent. of the annual sanctioned intake capacity in Government and Government-aided Institution shall be filled up by candidate with specified disability in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and based on the merit list of National Eligibility -cum-Entrance Test.

Explanation.- For the purpose of this clause, the specified disability contained in the Schedule to the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) specified in ***Appendix "A"*** and the eligibility of candidates to pursue a programme in Indian Systems of Medicine with specified disability shall be in accordance with the guidelines specified in ***Appendix "B"*** and if the seats reserved for the persons with disabilities in a particular category remain unfilled on account of unavailability of candidates, the seats shall be included in the annual sanctioned seats for the respective category.

(5) (i) The designated authority for counseling of State and Union territory quota for admissions to undergraduate programme in all Siddha Educational Institutions in the States and Union territories including institutions established by the State Government, University, Trust, Society, Minority Institution, Corporation or Company shall be the respective State or Union Territory in accordance with the relevant rules and regulations of the concerned State or Union territory, as the case may be.

(ii) The counseling for all admission to Bachelor of Siddha Medicine and Surgery Programme for hundred per cent. seats of all Deemed Universities both Government and Private shall be conducted by the authority designated by the Central Government in this behalf.

(6) The counselling for admission to Bachelor of Siddha Medicine and Surgery Programme for seat under All-India Quota as well as for all Siddha Educational Institutions established by the Central Government shall be conducted by the authority designated by the Central Government in this behalf.

(7) (i) All seats irrespective of category (Central quota, State quota or Management etc.) except foreign nationals are to be admitted through counseling (Central or State or Union Territory) only. Direct admission by any means other than above specified shall not be approved.

(ii) The institution shall have to submit the list of students admitted in the format specified by National Commission of Indian System of Medicine on or before 6 pm on the cut-off date for admission specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time for verification.

(iii) Universities shall approve the admission of those candidates (except foreign nationals) who have been allotted through counseling (Central or State or Union Territory) as the case may be.

(8) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks under these regulations shall be admitted to under-graduate programme in the said academic year.

(9) No authority or institution shall admit any candidate to the under-graduate programme in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations in respect of admission and any admission made in contravention of the said criteria or procedure shall be cancelled by the National Commission for Indian System of Medicine forthwith.

(10) The authority or institution which grants admission to any student in contravention of the criteria or procedure laid down in these regulations shall be liable accordingly, under the relevant provisions of the Act.

(11) For foreign national candidate, any other equivalent qualification approved by the Central Government may be allowed and sub-regulation (2) of regulation 4 shall not be applicable.

5 Duration of B.S.M.S. programme.- The duration of the B.S.M.S Programme shall be five years and six months as per the following table, namely:-

Table – 1

(Duration of B.S.M.S. Programme)

Sl.No.	B.S.M.S.Programme	Duration
(a)	First Professional B.S.M.S	Eighteen Months
(b)	Second Professional B.S.M.S	Eighteen Months
(c)	Third (Final) Professional B.S.M.S	Eighteen Months
(d)	Compulsory Rotatory Internship	Twelve Months

6 Degree to be awarded.-The candidate shall be awarded Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery – B.S.M.S.) Degree after passing all the examinations and completion of the laid down programme of study extending over the laid down period and the compulsory rotatory internship extending over twelve months and the nomenclature of Degree shall be **Siddha Maruthuva Arignar (Bachelor of Siddha Medicine and Surgery – B.S.M.S.)**.

7 Medium of instruction.- The medium of instruction for the programme shall be Tamil or English or any recognised regional language or Hindi:

Provided that in case, if any institute is admitting students from different states or international students, the medium of instruction shall be English.

8 Pattern of study.- (1) The B.S.M.S. Programme shall consist of **Main Programme** and **Electives** and the pattern of study shall be followed in the following manner, namely:-

(A) (i) (a) After admission, the student shall be inducted to the B.S.M.S Programme through an Induction Programme not less than fifteen working days based on the Transitional Curriculum which intends to introduce newly admitted students to Siddha System of Medicine and to make him well aware of the B.S.M.S Programme he is going to study for next four and half years.

(b) During the induction programme, the student of Siddha shall learn basics of Tamil, basic life support and first aid along with other subjects as laid down in the syllabus.

(c) There shall be fifteen days induction programme which shall be not less than ninety hours and every day may consist of six hours.

(ii) Total working days for each professional session shall be not less than three hundred and twenty days.

(iii) (a) Total working days for the First Professional session shall be not less than three hundred and five days except for fifteen days for the induction programme.

(b) Total teaching hours for First Professional session shall be not less than 1920, and proportion of teaching hours in Lecture to Non-lecture shall be 1:2.

(iv) (a) Total teaching hours for Second Professional session shall be not less than 2240 and the proportion of teaching hours in Lectures to Non-lectures shall be 1:2.

(b) During the Second Professional Session at least one hour of clinical classes per day during morning hours at Hospital Outpatient Department (OPD) or In-Patient Department (IPD) or Laboratory or Pharmacy or Dispensary shall be conducted to make the students have acquaintance with the related activities.

(v) Total teaching hours for Third (Final) Professional session shall be not less than 2240 and during the third (Final) Professional Session, three hours of clinical classes at Hospital during morning hours shall be conducted and the proportion of teaching hours in Lecture to Non-Lecture hour shall be 1:2.

(vi) Working hours may be increased by the University or institution as per requirement to complete the stipulated period of teaching and requisite activity.

Explanation.- For the purposes of these regulation the expression "**Lectures**" means Didactic teaching i.e., classroom teaching and the expression "**Non-lectures**" includes Practical / Clinical and Demonstrative teaching and the Demonstrative teaching includes Small group teaching / Tutorials /Seminars / Symposiums / Assignments / Role play / Pharmacy training / Laboratory training / Dissection / Field visits / Skill lab training / Integrated learning / Problem based learning / Case based learning / Early clinical exposure / Evidence based learning etc. as per the requirement of the subject and in Non-lectures, the Clinical / Practical part shall be seventy per cent. and Demonstrative teaching shall be thirty per cent.

(vii) There shall be minimum of one hour each for library and physical education per week and one hour of recreation (expression of talent and extra-curricular activities) per month has to be allotted in the regular time table of all batches.

(B) The First Professional session shall ordinarily start in the month of October and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table – 2

(Subjects for First Professional B.S.M.S.)

Sl. No.	Subject Code	Subject	Equivalent Terms
1.	SIDUG-SATV	Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalaarum	History and Fundamental Principles of Siddha Medicine
2.	SIDUG-TL SIDUG-CE	Tamil Language (Applicable as per clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) of Regulation 4 relating to eligibility for admission.) / Communicative English (wherever applicable)	
3.	SIDUG-UK	Udal Koorugal	Human Anatomy
4.	SIDUG-UT	Udal Thathuvam	Human Physiology
5.	SIDUG-UV	Uyir Vedhiyiyal	Biochemistry
6.	SIDUG-NU	Nunnuyiriyal	Microbiology
7.	Electives (Minimum Three) Subjects		

(C) The Second Professional session shall ordinarily start in the month of April after completion of First Professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table – 3

(Subjects for Second Professional B.S.M.S.)

Sl. No.	Subject Code	Subject	Equivalent Terms
1.	SIDUG-MT	Maruthuva Thavaraviyal	Medicinal Botany and Pharmacognosy
2.	SIDUG-GMM	Gunapadam - Marunthiyal	Materia Medica - Pharmacology
3.	SIDUG-GMK	Gunapadam - Marunthakaviyal	Materia Medica - Pharmaceuticals
4.	SIDUG-SSM &NM	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum	Forensic Medicine and Toxicology
5.	SIDUG-NN1	Noi Naadal - I	Siddha Pathology
6.	SIDUG-NN2	Noi Naadal - II	Principles of Modern Pathology
7.	SIDUG-NAVO	Noi Anugavidhi Ozhukkam	Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health
8.	Electives (Minimum Three) Subjects		

(D) The Third (Final) Professional session shall ordinarily start in the month of October after completion of Second Professional examination and the following subjects shall be taught as per the syllabus laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time, namely:-

Table – 4

[Subjects for Third (Final) Professional B.S.M.S.]

Sl. No.	Subject Code	Subject	Equivalent Terms
1.	SIDUG-MM	Maruthuvam	Medicine
2.	SIDUG-VPS	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Varmam, External Therapy and Special Medicine
3.	SIDUG-AM	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam	Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology
4.	SIDUG-SMM	Sool and Magalir Maruthuvam	Obstetrics and Gynaecology
5.	SIDUG-KM	Kuzhanthai Maruthuvam	Paediatrics
6.	SIDUG-RM	Research Methodology and Medical Statistics	
7.	Electives (Minimum Three) Subjects		

(E) University, Institution and College shall prepare Academic Calendar of that particular batch in accordance with the template of tentative Academic Calendar provided in these regulations in ***Annexure-I*** and the same shall be circulated to students and hosted in respective websites and followed accordingly.

(F) The B.S.M.S. programme shall consist of following Departments and Subjects, namely:-

Table – 5

(Departments and Subjects)

Sl. No.	Departments	Subjects
1.	Siddha Maruthuva Moolathathuvam	1. Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalaarum 2.Tamil Language/Communicative English (wherever applicable)
2.	Udal Koorugal	Udal Koorugal
3.	Udal Thathuvam	1.Udal Thathuvam 2.Uyir Vedhiyiyal
4.	Gunapadam Marunthiyal	1.Gunapadam Marunthiyal 2.Maruthuva Thavaraviyal
5.	Gunapadam Marunthakaviyal	Gunapadam - Marunthakaviyal
6.	Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal	1.Noi Naadal -I 2.Noi Naadal - II 3.Nunnuyiriyal
7.	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum
8.	Noi Anugavidhi including Research Methodology and Medical Statistics	1.Noi Anugavidhi Ozhukkam 2.Research Methodology and Medical Statistics
9.	Maruthuvam	Maruthuvam
10.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam
11.	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam
12.	Sool and Magalir Maruthuvam	Sool and Magalir Maruthuvam
13.	Kuzhanthai Maruthuvam	Kuzhanthai Maruthuvam

(G) **Electives.-** (i) Electives are introduced in B.S.M.S. curriculum to provide opportunity to student of Siddha to get introduced, exposed and oriented to various allied subjects that are required to understand and build inter-disciplinary approach.

(ii) The electives shall be conducted as online programme.

(iii) Each elective subject shall be of forty-five hours duration and divided in five modules and each module shall have nine hours i.e., five hours of teaching, two hours of guided learning, one hour each for expert interaction/reflection and assessment and in total, each elective will have twenty-five hours of teaching, ten hours of guided learning, five hours of expert interaction/reflection and five hours of assessment (five assessments of one hour each).

Explanation.- For the purpose of these regulations, Teaching means video lectures, power point presentations, audio lectures, video clippings, audio clippings, technical images, study material etc.

(iv) The study hours for electives are over and above the prescribed teaching hours of B.S.M.S. under these regulations.

(H) **Clinical Training.-** (i) Clinical training of the student shall start from the First Professional session onwards and subject related clinical training shall be provided in the attached hospital by the concerned faculty and department in non-lecture hour (in addition to regular practical and demonstrative teaching) as per the requirement of the subject as under-

(a) application of Siddha basic principles in Out-Patient Department (OPD) and In-Patient Department (IPD) patients including three humoral theory, five elemental theory, epistemology, ninety-six thathwas, clinical concern on Ezhu udalkattugal, orientation on basic properties of drug and drug selection method, Siddha way of case sheet writing, patient registration, communication with patients etc. by the Department of Siddha Maruthuva Moola Thathuvam and Language faculty;

(b) clinical and applied physiology in clinical conditions, training in the assessment of vital signs including pulse rate, respiratory rate, body temperature, blood pressure, measurement of height and weight, calculation of Body Mass Index (BMI), reading Electrocardiography (ECG),

hematological test procedures etc., application of Siddha basic principles or envagai thervu in OPD/IPD cases, case sheet writing in Siddha aspect etc. by the Department of Udal Thathuvam;

(c) applied anatomy in clinical conditions, application of posture for clinical examination, surface anatomy, abdomen quadrants and localization, location of blood vessels, examination of muscle movements and integrity, reading X-ray, Computerised Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) etc. by the Department of Udal Koorugal; and

(d) lab oriented training in biochemical, microbiological investigations, laboratory reports of OPD/IPD cases- interpretations- and its clinical correlation etc. by biochemistry and microbiology faculty.

(ii) (a) Clinical training for the Second Professional session shall be conducted as per clause A (iv) of sub-regulation (1) of regulation 8 and clinical attendance shall be maintained by the concerned faculty and department.

(b) Clinical training for the Second professional session shall be provided in accordance with the requirement of subjects as under-

(A) diagnosis and assessment of prognosis through envagai thervu, application of Siddha principles in OPD and IPD patients, examination of muthodam migu gunam or kurai gunam features in patients, training on naadi/ neerkkuri– neikkuri parisothanai, assessment of body temperament or yaakkai, laboratory investigations-interpretations-and its clinical correlations, training in screening OPD etc. by the Department of Noi Naadal and Noi Mudhal Naadal;

(B) preventive medicines and measures, prescription of pathya unavu or therapeutic diet for OPD and IPD patients, culinary medicine, functional food, life style management, research perspectives of clinical cases, clinical documentation, writing case studies and case series, preparation of simple clinical research proposal, scientific writing etc. by the Department of Noi Anugavidhi including Research methodology;

(C) orientation in prescription patterns, medicine names, forms, dosage, anupanam, thunai marunthu, marunthirkkana pathyam, marunthunnum kalam, method of mixing or compounding of medicines, procurement of fresh herbs for hospital use, preparation of simple medicines used in the hospital, teaching pharmacy training etc. by the Department of Gunapadam Marunthiyal, Medicinal botany and Department of Gunapadam Marunthakaviyal; and

(D) Sattam Saarntha Maruthuvamum and Nanju Maruthuvamum department shall give orientation and training in case sheet writing, diagnosis and treatment of OPD and IPD cases, adverse drug reactions and anti-dotes, hospital pharmacy training, medico-legal aspects, medical related certificates etc.

(iii) The clinical training, during the Third (Final) Professional session as mentioned under clause A (v) of sub-regulation (1) of regulation 8 shall be on rotation basis in the following clinical departments, namely:-

(a) Maruthuvam (Medicine): OPD, IPD and specialty clinics functioning under the department if any;

(b) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine): OPD, IPD, Thokkanam, Varmam/Puramaruthuvam therapy block, Yoga therapy room, and specialty clinics functioning under the department if any;

(c) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology): OPD, IPD, Operation Theatre and specialty clinics functioning under the department if any;

(d) Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology): OPD, IPD, Labour room, Procedural room and specialty clinics functioning under the department if any;

(e) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics): OPD, IPD and specialty clinics functioning under the department if any; and

(f) Avasara Maruthuvam (Emergency Medicine/Casualty) under Department of Maruthuvam.

9 Methodology for supplementing modern advances, scientific and technological development in Indian System of Medicine (SMASTD-ISM).-

(1) To accomplish the requirement under sub-section (h) of section 2 of National Commission for Indian System of Medicine Act 2020 regarding, supplementation of modern advances, scientific and technological developments in Indian System of Medicine (SMASTD-ISM), all the thirteen departments as mentioned in clause (F) of sub-regulation (1) of regulation 8, shall be treated as thirteen verticals in addition there shall be two more verticals one each for education and research and each vertical shall be supplemented, enriched and updated with relevant and appropriate advances and developments in the area of diagnostic tools, conceptual advancements and emerging area as under-

(i) Innovations or advances or new developments in Basic Sciences like Biology, Chemistry, Physics, Mathematics, Microbiology, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Medicinal Botany and Pharmacognacy,Bioinformatics, Molecular Biology, Immunology etc.;

(ii) Diagnostic advancements;

(iii) Therapeutic technology;

(iv) Surgical technique or technology;

(v) Pharmaceutical technology including Quality and Standardisation of drugs, drug development etc.;

(vi) Teaching, Training methods and Technology;

(vii) Research methods, Parameters, Equipment and Scales etc.;

(viii) Technological advancements, Automation, Software, Artificial Intelligence, Digitalisation, Documentation etc.;

(ix) Biomedical advancements;

(x) Medical Equipments ;

(xi) any other innovations, advances, technologies and developments that are useful for understanding, validating, teaching, investigations, diagnosis, treatment, prognosis, documentation, standardisation and conduction of research in Siddha.

(2) There shall be multi-disciplinary core committee constituted by National Commission for Indian System of Medicine for the purpose of supplementation of modern advances, scientific and technological developments in Indian System of Medicine, that identify the advances and developments that are suitable and appropriate to include in any one or multiple verticals.

(3) There shall be an expert committee for each vertical constituted by Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa to define and suggest the method of adaptation and incorporation of the said advances and developments and also specify the inclusion of the same at under-graduate or post-graduate level and the expert committee shall develop detailed methodology for usage, standard operating procedure and interpretation as required.

(4) Any teaching staff, practitioner, researchers, students and innovators etc. may send their suggestions through a portal specified by National Commission for Indian System of Medicine regarding supplementation of modern advances, scientific and technological developments in Indian System of Medicine and such suggestions shall be placed before core committee for consideration.

(5) The modern advances shall be incorporated with due interpretation of the said advances based on the principles of Siddha supported by the studies and after five years of inclusion of such advances in syllabus, they shall be considered as part of Siddha and will be defined/described in Siddha terminology.

(6) Once core committee approves the recommendations of the expert committee, National Commission for Indian System of Medicine shall direct the Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa to include the same in

curriculum of under-graduate or post-graduate as specified by expert committee and the commission shall issue guidelines or if required conduct orientation of teachers for incorporation of the recommended modern advancement or scientific and technological development.

(7) The proportion of modern advances with that of Siddha teaching contents shall not exceed 40 percent.

(8) Composition of the Committees for SMASTD-ISM.-There shall be a Core Committee and an Expert Committee for each vertical and the composition of such committees shall be as under-

(a) Composition of SMASTD-ISM Core Committee (Siddha).-

The SMASTD-ISM shall be eleven-member committee comprises of,-

(i) President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa– Chairperson;

(ii) two experts from Siddha (one expert each from Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalarum)– members;

(iii) one expert (either retired or in service) each from CSIR, CCRS, ICMR, DBT, Technocrat, Biomedical Engineering– member;

(iv) one Educational Technologist– member;

(v) member of Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa–Member Secretary.

Provided that the core committee can co-opt any expert as per the specific needs with the due permission of the Chairman, National Commission for Indian System of Medicine.

Terms of Reference.- (i) The term of the committee shall be three years from the date of its constitution.

(ii) The committee shall meet at least twice in a year.

(iii) The committee shall identify any modern advances, scientific and technological developments as listed above that are relevant and applicable to Siddha either to.-

(A) understand, validate, or for conduction of research activities in Siddha;

(B) useful for diagnosis or prognosis of a specific clinical condition and treatment;

(C) useful for teaching and training;

(D) useful for health care services through Siddha.

(iv) The committee shall ensure the applicability of the identified modern advancement or scientific and technological development to basic principles of Siddha with the help of two experts from Siddha.

(v) To identify and recommend suitable experts for the Expert Committee to develop methodology for identification of modern advance or development.

(vi) To suggest the application of the advances or developments in terms its usage in specific vertical or to incorporate in under-graduate or post-graduate syllabus etc. as the case may be.

(vii) As the modern science and technology is ever changing, the core committee shall identify the outdated part of the modern science and technology and suggest National Commission for Indian System of Medicine to replace it with the appropriate modern advances.

(b) Composition of Expert Committee (Siddha).-

The Expert Committee shall be constituted by Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa; comprise of five members as under-

(i) Subject Expert as decided by Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa–Chairperson;

(ii) two experts from relevant Siddha subjects – members;

(iii) one expert from relevant modern subject– member;

(iv) one expert from teaching technology– member.

Provided that the Expert Committee can co-opt concerned expert in accordance to the selected area with the permission of President, Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa.

Terms of Reference.- (i) The term of the committee shall be three years from the date of its constitution.

(ii) The committee shall meet as many times as per the direction of the President Board of Unani, Siddha and Sowa Rigpa (BUSS).

(iii) The committee shall work on the suggestions from the core committee and decide how to incorporate it in the syllabus, its mode of teaching (i.e.,lecture/non-lecture) and the assessment with the help of educational technologist.

(iv) The committee shall first understand the application of modern advances that are identified to incorporate and its relevance to the basic principles of Siddha.

(v) The committee shall also identify the need of advance technology in Siddha particular to that vertical and identify the suitable technology and recommends its usage along with standard operating procedure or methodology.

(vi) The committee shall suggest core committee regarding the modern advances and technology to be included at under-graduate or post-graduate level.

(vii) The work flow of the SMASTD-ISM shall be as under -

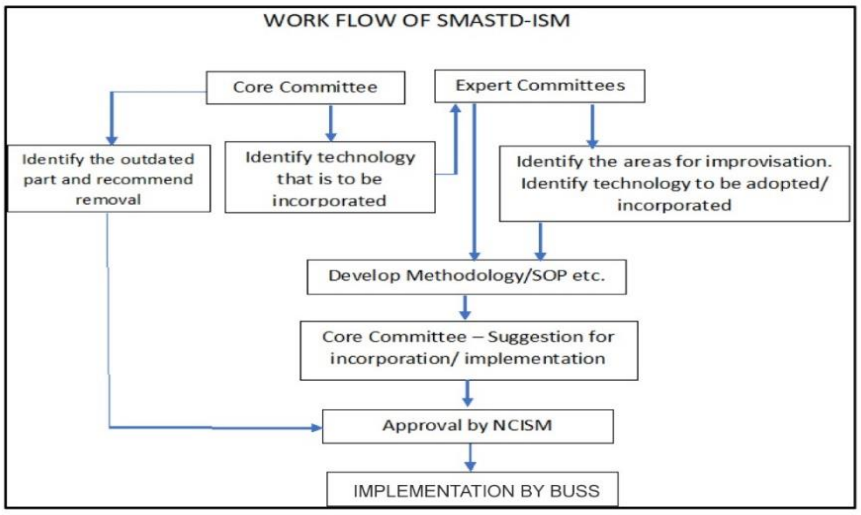

10 Examination.-(a) (i) The First Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of First Professional session;

(ii) the student who failed in one or two subjects of First Professional shall be allowed to keep terms of the Second Professional session and to appear in Second Professional examination;

(iii) the student who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep term in Second Professional session and the subsequent supplementary examinations of First Professional shall be held at every six months.

(b) (i) The Second Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Second Professional session;

(ii) the student who failed in one or two subjects of Second Professional shall be allowed to keep the terms of the Third (Final) Professional session;

(iii) the students who failed in more than two subjects shall not be allowed to keep terms in Third (Final) Professional session and the subsequent supplementary examinations of Second Professional shall be held every six months.

(c) (i) The Third (Final) Professional examination shall ordinarily be held and completed by the end of Third (Final) Professional session;

(ii) Before appearing for Third (Final) Professional examination, the students shall have to pass all subjects of First and Second Professional and shall qualify nine electives.

(iii) The subsequent supplementary examination of Third (Final) Professional shall be held every six months.

(d) There shall be no separate class for odd batch student (those students who could not keep the term) and the student have to attend the class along with regular batch or with junior batch as applicable.

(e) To become eligible for joining the Compulsory Rotatory Internship programme, all three professional examinations shall be passed and qualified in nine electives within a period of maximum ten years from the date of admission.

(f) The theory examination shall have twenty per cent. marks for Multiple-Choice Questions (MCQ), forty per cent. marks for Short Answer Questions (SAQ) and forty per cent. marks for Long Explanatory Answer Questions (LAQ) and these questions shall cover the entire syllabus of the subject.

(g) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory component and fifty per cent. in practical component (that include practical and clinical, viva-voce, internal assessment and electives wherever applicable) separately in each subject.

(h) Evaluation of electives.- Electives shall be evaluated in terms of attendance and assessment and on the basis of evaluation, the student shall be awarded credits as well as grades as under-

(i) one credit shall be awarded for attending minimum five hours of a modular programme and a student can earn maximum five credits for each elective;

(ii) assessment shall be conducted at the end of each module and average of five modular assessments shall be considered for grading i.e., up to 25 per cent. Bronze; 26-50 per cent. Silver; 51-75 per cent. Gold; 76 per cent. and above Platinum.

(iii) the structure of the elective shall be as per the following table, namely:-

Table -6

(Structure of Elective)

<table>
<tr><th colspan="6">Each Elective: Five Modules of Nine Hours Each (5*9=45)</th></tr>
<tr><th rowspan="2">Sl.No.</th><th rowspan="2">Component</th><th colspan="2">Duration (Hours)</th><th>Credits</th><th>Grades</th></tr>
<tr><th>Module</th><th>Elective</th><th rowspan="5">One Credit for attending minimum of five hours of each modular programme. Maximum five credits</th><th rowspan="5">Grade is awarded on the basis of average of all five modular assessments.
Bronze: <25 per cent.
Silver: 26-50 per cent.
Gold: 51-75 per cent.
Platinum: 76 per cent.& above</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Teaching</td><td>5</td><td>25</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Guided Learning</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Expert Interaction/ Reflection</td><td>1</td><td>5</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Assessment</td><td>1</td><td>5</td></tr>
</table>

(iv) (a) Student shall have to qualify (obtaining any grade) minimum of three elective subjects for each professional session.

(b) List of elective subjects shall be made available under three sets (A, B and C) for each professional session i.e., sets FA, FB and FC for first professional B.S.M.S.; sets SA, SB and SC for second professional B.S.M.S.; sets TA, TB and TC for third professional B.S.M.S.

(c) Student may opt any one elective as per their choice from each set specified for respective professional B.S.M.S.

(d) Weightage of two marks for each credit and maximum of ten marks shall be awarded for each elective.

(e) These elective marks shall be added to the viva-voce marks of respective subjects as specified in these regulations.

(f) Apart from three mandatory electives for each profession, students have freedom to choose and qualify as many numbers of additional electives as per their interest.

(g) Marks weightage shall be only for three electives per professional session i.e., one elective subject from each set of respective professional session.

(h) A separate online certificate shall be generated for each elective mentioning credits earned and grades obtained.

(v) The examination branch of the institution shall compile the marks of electives obtained by students as specified above and submit to university through Head of the Institution so that the university shall add the same in viva-voce of respective subjects as shown in ***Tables 11,13 and 15.***

(i) (i) A candidate obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class in the subject and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction in the subject.

(ii) The award of class and distinction shall not be applicable for supplementary examinations.

(j) (i) Each student shall be required to maintain minimum seventy-five per cent. attendance in each subject in theory (i.e.,lecture hours), and practical/clinical (i.e., non-lecture hours) separately for appearing in examinations.

(ii) Where the institute maintains physical attendance register, it shall be recorded in cumulative numbering method as per ***Annexure-II*** and at end of the course or term or part of the course, after obtaining each student signature the same is to be certified by respective head of department and approved by Head of the Institute.

(iii) The approved attendance shall be forwarded to university.

(k) If a student fails to appear in regular examination for cognitive reasons, he may appear in supplementary examination as regular student and his non-appearance in regular examination shall not be treated as an attempt.

(l) Notwithstanding anything contained in these regulations,-

(i) clause 10(e) shall be applicable to the student who got admitted under Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, except electives and as per section 3 of SCHEDULE II [as amended vide notification no. 18-12/2016 Siddha (Syllabus UG) Regulations, 2016] with 4 professionals.

(ii) student who got admitted under Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, the maximum number of chances and maximum period of years to pass respective professional examination as laid down under the clauses 6(1)(c), 2(c), 3(c), 4(c) and 4(d) of SCHEDULE II [as amended vide notification no. 18-12/2016 Siddha (Syllabus UG) Regulations, 2016] shall not be applicable to him.

11 Assessment.-Assessment of students shall be in the form of Formative and Summative assessments as under-

(a) **Formative Assessment.-** Students shall be assessed periodically to assess their performance in the class, determine the understanding of programme material and their learning outcome in the following manner, namely:-

(i) periodical Assessment shall be carried out at the end of teaching of a topic or module or a particular portion of syllabus and the following evaluation methods as per the following table may be adopted as suits to the content, namely:-

Table – 7

(Evaluation methods for periodical assessment)

Sl.No.	Evaluation Method
1.	Practical /Clinical Performance
2.	Viva Voce / Multiple Choice Question (MCQ)/ Modified Essay Question (MEQ)/Structured Questions
3.	Open Book Test (Problem Based)
4.	Summary Writing (Research papers)
5.	Class Presentations
6.	Work Book Maintenance
7.	Problem Based Assignment
8.	Objective Structured Clinical Examination (OSCE), Objective Structured Practical Examination (OSPE), Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX), Direct Observation Procedures (DOP), Case Based Discussion(CBD)
9.	Extra-curricular activities (Social work, Public awareness, Surveillance activities, Sports or other activities which may be decided by the department).
10.	Small Project

(ii) (a) internal evaluation shall be conducted by the College or Institute at the end of six months (First Term Test) for thirty per cent. of the syllabus and at twelve months (Second Term Test) for forty per cent. new part of the syllabus.

(b) The remaining thirty per cent. of syllabus shall be completed in the last six months (Third Term) before university examination;

(iii) there shall be minimum three periodical assessments for each subject before First Term Test (ordinarily at 6th month of respective professional B.S.M.S.) minimum of three periodical assessment before Second Term Test (ordinarily at 12th month of respective professional B.S.M.S.) and minimum of three periodical assessments before final university examinations (Summative Assessment) of respective professional B.S.M.S.

(iv) the scheme and calculation of assessment shall be as per the following tables, namely:-

Table - 8

[Scheme of Assessment (Formative and Summative)]

Sl.No.	**Professional session**	**Duration of Professional Session**		
		First Term (1-6 Months)	**Second Term (7-12 Months)**	**Third Term (13-18 Months)**
1	First Professional B.S.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE
2	Second Professional B.S.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE
3	Third (Final) Professional B.S.M.S.	3 PA and First TT	3 PA and Second TT	3 PA and UE

PA: Periodical Assessment; TT: Term Test; UE: University Examination

Table –9

[Calculation method of Internal Assessment Marks (20 marks)]

Term	Periodical Assessment				Term Test	Term Assessment	
	A	B	C	D	E	F	G
	1 (20)	2 (20)	3 (20)	Average (A+B+C/3) (20)	Theory (MCQ + SAQ + LAQ) & Practical (Converted to 20)	Sub Total	Term Assessment
First						D+E	D+E/2
Second						D+E	D+E/2
Third					Nil	D	D
Final IA	**Final Internal Assessment: Average of three Term Assessment marks as shown in 'G' column**						

(b) Summative Assessment.- (i) Final university examinations conducted at the end of each Professional B.S.M.S shall be Summative Assessment.

(ii) There shall be double valuation system and shall be no provision for revaluation.

(iii) There shall be two examiners (one internal and one external) for university practical /clinical/ viva-voce examinations

(iv) While declaring the results of Summative assessment, Internal Assessment component and Elective marks shall be considered as per the distribution of marks pattern provided in ***Tables 11,13 and 15***.

12 The Profession wise Subjects, Number of Papers, Teaching Hours and Marks Distribution shall be as per the following tables, namely:-

Table – 10

(Teaching hours for First Professional B.S.M.S Subjects)

First Professional B.S.M.S *Working days = 320, Teaching hours = 1920* *Induction programme = 15 Working days (90 hours)* *Remaining days and Teaching hours = 320 – 15 = 305 Days and 1830 Hours respectively*					
Sl.No.	**Subject Code**	**Name of subjects**	**Number of teaching hours**		
			Lectures	**Non-lectures**	**Total**
1.	SIDUG - SATV	Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalaarum [History and Fundamental Principles of Siddha Medicine]	80	160	240
2.	SIDUG – TL SIDUG – CE	Tamil Language (Applicable as per clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) of Regulation 4 relating to eligibility for admission) / Communicative English (wherever applicable)	60	120	180
3.	SIDUG - UK	Udal Koorugal (Human Anatomy) Paper I & Paper II	180	360	540

4.	SIDUG - UT	Udal Thathuvam (Human Physiology) Paper I & Paper II	150	300	450
5.	SIDUG - UV	Uyir Vedhiyiyal (Biochemistry)	70	140	210
6.	SIDUG - NU	Nunnuyiriyal (Microbiology).	70	140	210
		Total	**610**	**1220**	**1830**

Table – 11

(Number of Papers and Marks Distribution for First Professional B.S.M.SSubjects)

Sl.No.	**Subject**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
				Practical or clinical	**Viva**	**Electives**	**IA**	**Total**	
1.	Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalaarum (History and Fundamental Principles of Siddha Medicine)	1	100	-	30	-	20	50	150
2.	Tamil Language (Applicable as per clauses (b) and (c) of sub-regulation (1) of Regulation 4 relating to eligibility for admission) / Communicative English (wherever applicable)	1	100	-	30	-	20	50	150
3.	Udal Koorugal (Human Anatomy) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-FA)*	20	150	350
4.	Udal Thathuvam (Human Physiology) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-FB)*	20	150	350
5.	Uyir Vedhiyiyal (Biochemistry)	1	100	100	20	10 (Set-FC)*	20	150	250
6.	Nunnuyiriyal (Microbiology).	1	100	100	30	-	20	150	250
								Grand Total	**1500**

[***Set: -FA, FB, FC – Sets of Electives for First Professional B.S.M.S**]

Table – 12

(Teaching hours for Second Professional B.S.M.S Subjects)

Second Professional B.S.M.S *Working days = 320, Teaching hours =2240 including 320 clinical hours*					
Sl.No.	**Subject Code**	**Name of subjects**	**Number of teaching hours**		
			Lectures	**Non-lectures**	**Total**
1.	SIDUG – MT	Maruthuva Thavaraviyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	80	120	200
2.	SIDUG – GMM	Gunapadam - Marunthiyal (Materia Medica-Pharmacology) Paper I Mooligai (Plant Kingdom) Paper II Thathu & Jeevam (Metals, Minerals and Animal Kingdom)	100	220	320
3.	SIDUG – GMK	Gunapadam - Marunthakaviyal (Materia Medica-Pharmaceuticals) Paper I & Paper II	120	280	400
4.	SIDUG – SSM & NM	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Paper I & Paper II	120	140	260
5.	SIDUG – NN1	Noi Naadal - I (Siddha Pathology) Paper I & Paper II	120	200	320
6.	SIDUG – NN2	Noi Naadal - II (Principles of Modern Pathology)	80	120	200
7.	SIDUG – NAVO	Noi Anugavidhi Ozhukkam (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health).	120	100	220
8.	Clinical hours at Hospital/Pharmacy/Dispensary/Laboratory etc (1 hour per day)		-	320	320
		Total	**740**	**1500**	**2240**

(Note: Clinical hours to be added to non-lecture hours of concerned subject while calculating attendance)

Table – 13

(Number of papers and Marks Distribution for Second Professional B.S.M.S Subjects)

Sl.No.	**Subject**	**Papers**	**Theory**	**Practical or Clinical Assessment**					**Grand Total**
				Practical or Clinical	**Viva**	**Electives**	**IA**	**Total**	
1.	Maruthuva Thavaraviyal (Medicinal Botany and Pharmacognosy)	1	100	100	30	-	20	150	250
2.	Gunapadam - Marunthiyal (Materia Medica – Pharmacology) Paper I Mooligai (Plant Kingdom) Paper II Thathu & Jeevam (Metals,	2	200	100	20	10 (Set-SA)*	20	150	350

	Minerals and Animal Kingdom)								
3.	Gunapadam - Marunthakaviyal (Materia Medica – Pharmaceuticals) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-SB)*	20	150	350
4.	Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum (Forensic Medicine and Toxicology) Paper I & Paper II	2	200	100	30	-	20	150	350
5.	Noi Naadal - I (Siddha Pathology) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-SC)*	20	150	350
6.	Noi Naadal - II (Principles of Modern Pathology)	1	100	100	30	-	20	150	250
7.	Noi Anugavidhi Ozhukkam (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health).	1	100	-	30	-	20	50	150
								Grand Total	**2050**

[***Set: -SA, SB, SC – Sets of Electives for Second Professional B.S.M.S**]

Table – 14

[Teaching hours for Third (Final) Professional B.S.M.S Subjects]

Third Professional B.S.M.S *Working days = 320, Teaching hours =2240 including 960 clinical hours*					
Sl.No.	**Subject Code**	**Name of subject**	**Number of teaching hours**		
			Lectures	**Non-lectures**	**Total**
1.	SIDUG - MM	Maruthuvam (Medicine) Paper I & Paper II	160	300	460
2.	SIDUG - VPS	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Paper I & Paper II	160	300	460
3.	SIDUG – AM	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology) Paper I & Paper II	140	270	410

4.	SIDUG – SMM	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Paper I & Paper II	110	240	350
5.	SIDUG – KM	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Paper I & Paper II	110	240	350
6.	SIDUG - RM	Research Methodology and Medical Statistics	60	90	150
7.	Avasara Maruthuvam (Emergency Medicine or Casualty)		-	60	60
		Total	**740**	**1500**	**2240**

(Out of 960 clinical hours in non-lecture hours, a student shall undergo clinical postings/classes for 180 hours (60 days X 3 hours) in each clinical department and 60 hours (20 days X 3 hours) in Avasara Maruthuvam. The remaining hours of non-lecture hours in each subject to be allotted for demonstrative teaching)

Table – 15

[Number of Paper and Marks Distribution for Third (Final) Professional B.S.M.S Subjects]

Sl.No.	Subject	Papers	Theory	Practical or Clinical Assessment					Grand Total
				Practical or clinical	Viva	Electives	IA	Total	
1.	Maruthuvam (Medicine) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-TA)*	20	150	350
2.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-TB)*	20	150	350
3.	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology) Paper I & Paper II	2	200	100	20	10 (Set-TC)*	20	150	350
4.	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology) Paper I & Paper II	2	200	100	30	-	20	150	350
5.	Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics) Paper I & Paper II	2	200	100	30	-	20	150	350
6.	Research Methodology and Medical Statistics	1	100	-	30	-	20	50	150
								Grand Total	**1900**

[***Set: -TA, TB, TC – Sets of Electives for Third (Final) Professional B.S.M.S**]

13 Migration of student during the study.-

(1) The students may be allowed to take the migration to continue their study to another college after passing the First Professional examination, but failed student's transfer and mid-term migration shall not be allowed.

(2) For migration, the students shall have to obtain the mutual consent of both colleges and universities and it shall be against the vacant seat.

14 Compulsory Rotatory Internship.-(a) (i) The duration of Compulsory Rotatory Internship including Internship Orientation Programme shall be one year and ordinarily commence on first working day of April for regular batch students and first working day of October for supplementary batch students.

(ii) The student shall be eligible to join the Compulsory Internship programme after passing all the subjects from First to Third (Final) Professional Examination including qualifying nine electives and after getting Provisional Degree Certificate from respective universities and Provisional Registration Certificate from respective State Board or Council for Compulsory Rotatory Internship.

(b) Stipend: During internship, to the interns belonging to Central Government, State Government and Union territory institution, the stipend shall be paid at par with other medical system under respective government and there shall not be any discrepancy between medical systems.

(c) Migration during Internship.-(i) Migration of internship shall be with the consent of both the colleges and universities, in the case where the migration is in between the colleges of two different universities.

(ii) If migration is only between colleges of the same university, the consent of both the colleges shall be required.

(iii) Migration shall be accepted by the university on the production of the character certificate issued by the Institute or College and the application forwarded by the college and university with a 'No Objection Certificate' as the case may be.

(d) Orientation programme.- (i) The interns shall mandatorily attend an orientation programme regarding internship and it shall be the responsibility of the teaching institution to conduct the orientation before the commencement of the Internship.

(ii) The orientation shall be conducted with an intention to make the intern to acquire the requisite knowledge about the Rules and Regulations of the Medical Practice and Profession, Medical Ethics, Medico-Legal Aspects, Medical Records, Medical Insurance, Medical Certification, Communication Skills, Conduct and Etiquette, National and State Health Care programme.

(iii) The orientation workshop shall be organized at the beginning of internship and an e-Logbook shall be maintained by each intern, in which the intern shall enter date-wise details of activities undertaken by him during orientation.

(iv) The period of orientation shall be of seven days.

(v) The manual for conducting the orientation as prescribed from time to time by the National Commission for Indian System of Medicine shall be followed.

(e) Activities during Internship.- (i) The daily working hours of intern shall be not less than eight hours; the intern shall maintain an e-Log book containing all the activities undertaken by him during internship.

(ii) Normally one-year internship shall be as under-

(A) Option I.- Divided into clinical training of six months in the Siddha Hospital attached to the College and Six months in Primary Health Centre (PHC) or Community Health Centre (CHC) or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Siddha Medicine or Siddha Dispensary or Clinical Unit of Central Council for Research in Siddha (CCRS) or National Institute of Siddha or National Accreditation Board for Hospitals (NABH) accredited Private Hospital of Siddha. Only OPD based clinics having NABH accreditation shall not be eligible for internship.

(B) Option II.- All twelve months in Siddha Hospital attached to the college.

(iii) The clinical training of six or twelve months, as case may be, in the Siddha Hospital attached to the College or in Non-teaching Hospitals laid down by the National Commission for Indian System of Medicine shall be conducted as per the following table, namely: -

Table – 16

(Distribution of Internship duration at Siddha teaching hospital, attached to the college)

Sl.No.	Departments	Option I	Option II
1.	Maruthuvam (OPD and related specialities, respective IPD)	Forty-five days	Three months
2.	Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (OPD and related specialities, respective IPD, Thokkanam-Varmam-Puramaruthuvam therapy block, Yoga)	Forty-five days	Three months
3.	Aruvai including Kan, Kadhu,Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (OPD and related specialities, respective IPD, OT)	One month	Two months
4.	Sool and Magalir Maruthuvam (OPD and related specialities, respective IPD, Labour room)	One month	Two months
5.	Kuzhanthai Maruthuvam (OPD and related specialities, respective IPD)	Fifteen days	One month
6.	Avasara Maruthuvam	Fifteen days	One month
7.	PHC, CHC, District Hospital etc. as mentioned in Option I under the clause (ii), sub-regulation (e) of regulation 14	Six months	--------

(iv) (a) The interns shall be posted in any of the following centers where, National Health Programme are being implemented and these postings shall be to get oriented and acquaint the knowledge of implementation of National Health Programme in regard to,-

(A) Primary Health Centre;

(B) Community Health Centre or Civil Hospital or District Hospital;

(C) any recognised or approved Hospital of Modern Medicine;

(D) any recognised or approved Siddha Hospital or Dispensary;

(E) in a clinical unit of the Central Council for Research in Siddha or National Institute of Siddha;

(b) all the above institutes mentioned in clauses (A) to (E) shall have to be recognised by the concerned university or Government designated authority for taking such a training.

(v) The intern shall undertake the following activities in respective department in the hospital attached to the college, namely:-

(A) Maruthuvam (Medicine).- The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(i) all routine works such as case taking, physical examination, investigations, diagnosis and management of diseases confined to general medicine;

(ii) line of treatment of diseases;

(iii) routine clinical pathology work such as haemoglobin estimation, complete haemogram, urine analysis, microscopic examination of blood smear, sputum examination, stool examination, neerkuri, neikkuri, mala parisodhanai, interpretation of laboratory data and clinical findings etc; all hematological, biochemical, pathological, radiological investigations, imaging studies and all advanced modern investigations useful for diagnosis and assessment of prognosis;

(iv) Siddha diagnostics methods:envagai thervu including naadi parisodhanai, manikadainool etc;

(v) application of puramaruthuvam and special medicines in medical cases;

(vi) training in routine ward procedures, mixing and compounding medicines, supervision of patients in respect of their diet, habits and verification of medicine schedule;

(vii) maintaining clinical records.

(B) Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam (Varmam, External Therapy and Special Medicine).- The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(i) all routine works such as case taking, physical examination, investigations, diagnosis and management of diseases confined to varmam, puramaruthuvam and sirappumaruthuvam;

(ii) location of varmam points;

(iii) diagnosis of various pathological varma conditions, application of varmam treatment procedures and techniques;

(iv) application of various puramaruthuvam procedures/techniques and special emphasis on thokkanam techniques;

(v) fractures, dislocations and their management;

(vi) geriatric care (moopiyal);

(vii) management of neuro-musculo-skeletal disorders with special medicines;

(viii) management of psychiatric cases (ulapirazhvu noi);

(ix) maintenance of mental health;

(x) kayakarpam (rejuvenation therapy);

(xi) practical training on therapeutic application of yoga, pranayamam and dhyanam;

(xii) maintaining clinical records.

(C) Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology).-The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(i) all routine works such as case taking, physical examination, investigations, diagnosis and management of surgical conditions/disorders according to Siddha principles under Aruvai, Agni and Kaaram;

(ii) practical training in handling of Siddha surgical instruments, aseptic or antiseptic techniques and sterilization of surgical instruments;

(iii) intern shall be involved in pre-operative, post-operative managements and Siddha operative procedures;

(iv) Siddha surgical procedures including attai vidal (leech therapy), aruvai (excision), kuruthi vaangal (blood letting), salagai (probing), varthi (medicated wick), oothal (blowing), peechu (enema / douch), urinjal (sucking), kattuthal (bandaging), chuttigai (cauterization), vedhu (steam therapy), pugai (fumigation) and karam (caustic application);

(v) practical use of local anesthetic techniques and knowledge of anesthetic drugs;

(vi) radiological studies, clinical interpretation of X-ray, intra-venous pyelogram, barium meal, sonography, electrocardiogram, imaging studies including CT, MRI and PET-CT scan;

(vii) examination of eye, ear, nose, throat, skin, teeth and other parts of the body with the supportive instruments, diagnosis of disease and management;

(viii) surgical procedures and routine techniques such as –

(a) suturing of fresh injuries;

(b) dressing of wounds, burns, ulcers and similar ailments;

(c) incision and drainage of abscess;

(d) excision of cysts;

(e) venesection;

(f) preparation and application of kaaranool in ano-rectal diseases;

(g) examination with proctoscope;

(ix) training in IV fluid infusion and transfusion procedures;

(x) hospital infections and preventions; and

(xi) maintaining clinical records.

(D) Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology).-The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(i) all routine works such as case taking, physical examination, investigations, diagnosis and management of obstetrics and gynaecological disorders;

(ii) ante-natal and post-natal problems and their remedies; ante-natal and post-natal care;

(iii) management of normal and abnormal labours;

(iv)practical training on handling gynaecological related/ labour room instruments like speculum, dilator, vulsellum etc. and sterilization;

(v) minor and major obstetric surgical procedures;

(vi) training on ultrasonogram, necessary investigations and interpretations;

(vii) application of puramaruthuvam in gynaecological conditions;

(viii) examination of breast, vaginal smear etc; and

(ix) maintaining clinical records.

(E) Kuzhanthai Maruthuvam (Paediatrics).-The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with following, namely: -

(i) all routine works such as case taking, physical examination, investigations, diagnosis and management of paediatric cases;

(ii) care for new born child along with immunization programme and Siddha immune boosters;

(iii) important paediatric problems and management;

(iv) training on ultrasonogram, necessary investigations and interpretations;

(v) application of puramaruthuvam in paediatric cases;

(vi) maintaining clinical records.

(F) Avsara Maruthuvam (Emergency Medicine or casualty) (shall be functioning under Maruthuvam Department)**.-**The intern shall be practically trained to acquaint with and to make him competent to deal with all emergency conditions and participate actively in casualty section of the hospital in identification of casualty and trauma cases and their first aid treatment and also procedure for referring such cases to the identified hospitals.

(vi) The intern shall complete online course on Public Health as laid down by National Commission for Indian System of Medicine, in addition to their regular duties.

(vii) The internship training in Primary Health Centre or Community Health Centre or Rural Hospital or District Hospital or Civil Hospital or any Government Hospital of Modern Medicine or Siddha Hospital or Dispensary.-

During the six months internship training in Primary Health Centre or Rural Hospital or Community Health Centre or District Hospital or Civil Hospital or recognised or approved Hospital of Modern Medicine or Siddha Hospital or Dispensary or Clinical unit of the Central Council for Research in Siddha or National Institute of Siddha, the interns shall,-

(A) get acquainted with routine of the primary health centre and maintenance of their records;

(B) get acquainted with the diseases more prevalent in rural and remote areas and their management;

(C) involve in teaching of health care methods to rural population and also various immunization programme;

(D) get acquainted with the routine working of the medical or non-medical staff of Primary Health Centre/other hospitals and be always in contact with the staff in this period;

(E) get familiarized with the work maintaining the relevant register like daily patient register, family planning register, surgical register etc. and take active participation in different Government health schemes or programme;

(F) participate actively in different National Health Programme implemented by the State Government; and

(G) get trained in Diagnosis, Siddha treatment, external treatment procedures, Siddha special treatment methods, Siddha specialty OPDs, and research.

(viii) Electronic Logbook.-(a) It shall be compulsory for an intern to maintain the record of procedures done/assisted/observed by him on day-to-day basis in specified e-Logbook and the intern shall maintain a record of work, which is to be verified and certified by the Medical Officer or Head of the Department or Unit under whom he works.

(b) Failure to produce e-Logbook, complete in all respects duly certified by the concerned authority to the Dean/Principal/Director at the end of internship training programme, may result in cancellation of his performance in any or all disciplines of internship training programme.

(c) The Institution shall retain soft copy of the completed and certified e-Logbook and is to be made available for verification.

(ix) Evaluation of Internship.- (A) The evaluation system shall assess the skills of a candidate while performing the minimum number of procedures as enlisted with an objective that successful learning of these procedures will enable the candidate to conduct the same in his actual practice.

(B) The evaluation shall be carried out by respective Head of the Department at the end of each posting and the report shall be submitted to Head of the institute in Form-1under ***Annexure-III.***

(C) On completion of one year of compulsory rotatory internship including online course on Public Health, the Head of the Institute evaluate all the assessment reports in the prescribed Form-1under ***Annexure-III,*** provided by various Head of the Department at the end of respective posting and if found satisfactory, the intern shall be issued Internship Completion Certificate in Form-2 under ***Annexure-IV*** within seven working days.

(D) If a candidate's performance is declared as unsatisfactory upon obtaining below fifteen marks as per Form-1 under ***Annexure-III*** or less than fifty per cent. of marks, in an assessment in any of the departments he shall be required to repeat the posting in the respective department for a period of thirty per cent. of the total number of days, laid down for that department in Internship training and posting.

(E) Candidate shall have the right to register his grievance in any aspects of conduct of evaluation and award of marks, separately to the concerned Head of the Department and Head of the Institution, within three days from the date of completion of his evaluation, and on receipt of such grievance, the Head of the Institution in consultation with the Head of the concerned Department shall redress and dispose of the grievance in an amicable manner within seven working days.

(x) Leave for interns.- (A) During compulsory rotatory internship of one year, twelve leaves are permitted and any kind of absence beyond twelve days shall be extended accordingly.

(B) Intern cannot take more than six days leave including prefix or suffix of any kind of holidays at a time.

(xi) Completion of internship.- If any delay in the commencement of internship or abnormal break during internship due to unavoidable conditions, in such cases internship period shall be completed within maximum period of three years from the date of passing the qualifying examination of Third (Final) Professional B.S.M.S including First and Second Professional Examinations and qualifying nine electives, specified as eligibility for internship:

Provided that in such cases, the student shall get prior permission from the head of the institution in written with all supporting documents and it shall be the responsibility of the head of the institution to scrutiny the documents, and assess the genuine nature of the request before issuing permission letter and while joining internship, the student shall submit the request letter along with supporting documents, and all necessary documents as mentioned in the sub-regulation (a) and undergo the internship orientation programme as mentioned in the sub-regulation (d).

15 Tuition fee.- The tuition fee as laid down and fixed by respective governing or fee fixation committees as applicable shall be charged for four and half years only and no tuition fee shall be charged for extended

duration of study in case of failing in examinations or by any other reasons and there shall not be any fee for internship doing in the same institute.

16 Qualifications and experience for teaching staff.- (a) Essential qualification.-(i) a Bachelor Degree in Siddha from a university or its equivalent as recognised by the Central Council of Indian Medicine or National Commission for Indian System of Medicine under the Act; and

(ii) a Post-graduate qualification in Siddha in the concerned subject or specialty from a university recognised by the Central Council of Indian Medicine or National Commission for Indian System of Medicine under the Act;

(iii) a valid registration with the concerned State Board or Council where he is employed or a valid Central or National Registration Certificate issued by the Central Council of Indian Medicine or National Commission for Indian System of Medicine:

"This is not applicable for teachers of non-medical qualifications,"

(iv) qualification for the subjects of Tamil or Communicative English, Medicinal Botany and Pharmacognosy, Biochemistry, Anatomy, Physiology, Microbiology, Public Health, Pharmacology.- teachers with post-graduate degree (regular) from a recognized university in the subject concerned and having University Grants Commission/Council of Scientific and Industrial Research/Indian Council of Medical Research National Eligibility Test (whichever applicable) may also be appointed without qualifying National Teachers Eligibility Test; and

(v) The teachers having Bachelor Degree in Siddha and Post-graduate in the relevant modern science disciplines as mentioned in the clause (iv) sub-regulation (a) of regulation16 of these regulations and as referred to clause (h) of section 2 of Act and as mentioned in regulation 9 of these regulations and having University Grants Commission/Council of Scientific and Industrial Research/Indian Council of Medical Research National Eligibility Test qualification shall be eligible to appoint without qualifying the National Teachers Eligibility Test.

(vi) Teacher with the following qualifications obtained from a recognised university or institution may be appointed in respective departments as per following table namely:-

Table-17

(Qualifications and Departments for Appointment)

Sl.No.	Qualification	Department
1	B.S.M.S.and M.Sc Anatomy	Udal Koorugal
2	B.S.M.S.and M.Sc Physiology	Udal Thathuvam
3	B.S.M.S.and M.Sc Biochemistry	Udal Thathuvam
4	B.S.M.S.and M.Sc Microbiology	Noi Naadal
5	B.S.M.S.and M.Sc Botany	Gunapadam Marunthiyal
6	B.S.M.S.and M.P.H	Noi Anugavidhi
7	B.S.M.S.and M.Sc Pharmacology or Medical Pharmacology	Gunapadam Marunthiyal

Teachers with above qualifications shall not be more than one in specified departments.

(b) Experience.- (i) For the Post of Professor.-

(A) Ten years of teaching experience as regular teacher in the concerned subject or five years teaching experience as Associate Professor or Reader on regular basis in the concerned subject; or

(B) Ten years research experience as full-time researcher (after possessing Post-graduate qualification in the concerned subject) in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institution or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited Research Laboratory or ten years of experience in regular service (after possessing Post-graduate qualification in the concerned subject) in Central Government Health Services or State

Government Health Services, Ministry of Ayush or ten years of experience (after possessing Post-graduate qualification in the concerned subject) as Assistant Registrar or Registrar in Central Council of Indian Medicine having qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational and with any one of the following three criteria, namely:- (i) minimum of five research articles published in indexed journals (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

(ii) minimum of three research articles published in indexed journals (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one Published book or Manual relevant to Siddha; or

(iii) investigator for any major research project (duration of the project three years and above as per the sanctioned letter); and

(iv) having post-graduate qualification in concerned subject except in the subjects or specialty of Aruvai Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam:

Provided that the in-service candidate shall have completed his post-graduation in concerned subject before the completion of forty-five years of his age.

(ii) For the Post of Associate Professor.-

(A) Five years of teaching experience as regular teacher in the concerned subject; or

(B) Five years of research experience as full-time researcher (after possessing Post-graduate qualification in the concerned subject) in Research Councils of Central Government or State Government or Union territory or University or National Institutions or National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) Accredited Research Laboratories or five years of experience in regular service (after possessing Post-graduate qualification in the concerned subject) in Central Government Health Services or State Government Health services, Ministry of Ayush or five years of experience (after possessing Post graduate qualification in the concerned subject) as Assistant Registrar or Registrar in Central Council of Indian Medicine having qualified National Teachers Eligibility Test from the date it is operational and with any one of the following three criteria, namely:-(i) minimum of three research articles published in indexed journals (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus); or

(ii) minimum of one research article published in indexed journals (UGC-CARE, PubMed, Web of Science, Science Citation Index, Scopus) and one Published book or Manual relevant to Siddha; or

(iii) investigator for any major research project (duration of the project three years and above as per the sanctioned letter) or minor research project (duration of the project less than three years as per the sanctioned letter); and

(iv) having post-graduate qualification in concerned subject except in the subjects or specialty of Aruvai Maruthuvam, Sool and Magalir Maruthuvam:

Provided that the in-service candidate shall have completed his post-graduation in concerned subject before the completion of forty-five years of his age.

(iii) For the Post of Assistant Professor.-No teaching experience shall be required but, the age shall not exceed forty-five years at the time of first appointment.

(iv) Qualification for teacher of Research Methodology and Medical Statistics shall be a post-graduate degree in Medical Statistics or Biostatistics or Epidemiology or other relevant discipline of Research Methodology or Medical Statistics:

Provided that, the post-graduates of Siddha, who have studied Research Methodology or Medical Statistics as one of the subjects in their post-graduation or the post-graduates of Siddha, who have successfully completed the online course in Research Methodology or Medical Statistics conducted by the National Institute of Epidemiology of Indian Council of Medical Research shall also be eligible to teach the subject of Research Methodology and Medical Statistics and shall be given preference at the time of appointment and the teacher of Research Methodology and Medical Statistics can be appointed on part time basis and shall work under the Department of Noi Anugavidhi and such part time teachers shall not be provided teacher'scode.

(v) Qualification for Yoga instructor (full time) shall be minimum a graduate degree in Yoga and shall work under the Department of Varmam, Puramaruthuvam and Sirappumaruthuvam. Post-graduate in Siddhar Yoga Maruthuvam (or) the candidate with under-graduation in Siddha and post-graduation in Yoga shall also be eligible for the same. There shall not be teacher's code for the post of instructor.

(vi) Teachers appointed with such qualification as mentioned in clauses (iv),(v),(vi) of sub-regulation (a) under regulation 16 shall be eligible for the post of Associate Professor after seven years of teaching experience and twelve years of teaching experience for the post of Professor and such teachers shall not be eligible for the post of Head of the Department as well as Head of the Institution.

(vii) The research experience of Doctor of Philosophy (Ph.D).-The actual research duration i.e., the date of joining to the date of submission of thesis and not more than three years shall be considered as teaching experience and Ph.D seat allotment letter, Proof of joining to full-time Ph.D programme and proof of submission of thesis to the university shall be considered as evidence in this regard.

(viii) Temporary appointment or temporary promotion of teacher shall not be considered for eligibility.

(ix) In case of deputation of Medical Officer as teacher, it shall be with qualifications, designations and experience as specified in these regulations and the deputation shall not be less than three years and any emergency withdrawal shall be after proper replacement or alternate arrangement.

(x) The Department and Nomenclature of Post-graduate degree of Sirappu Maruthuvam and Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum have been renamed as Pura Maruthuvam, Sirappu Maruthuvam and Yogam and Sattam Saarntha Maruthuvamum Nanju Maruthuvamum respectively, and thus the post-graduate degree holder with the old nomenclature (i.e. Sirappu Maruthuvam and Nanju Noolum Maruthuva Neethi Noolum) may also be appointed or continued in concerned department.

(xi) In the absence of post-graduate qualification in the concerned subject as mentioned in column (2) of the table below, the candidate with a post-graduate qualification in the subject/speciality as mentioned in column (3) shall be considered eligible for the new appointment of Assistant Professor in respective departments from the date of notification of these regulations.

Table-18

S. No. (1)	Subject (2)	Eligible subject/speciality (3)
1	Siddha Maruthuva Adippadai Thathuvangalum Varalaarum (History and Fundamental Principles of Siddha Medicine)	Noi Naadal/Maruthuvam
2	Udal Koorugal (Anatomy)	Varma Maruthuvam/Siddhar Yoga Maruthuvam/Maruthuvam
3	Udal Thathuvam (Physiology)	Noi Naadal/Siddhar Yoga Maruthuvam/ Maruthuvam
4	Noi Anugavidhi Ozhukkam (Principles and Disciplines of Disease Prevention and Public Health)	Siddhar Yoga Maruthuvam/ Kuzhanthai Maruthuvam/Maruthuvam
5	Aruvai including Kan, Kathu, Mookku, Thondai, Pal and Thol Maruthuvam (Surgery including Ophthalmology, ENT, Dentistry and Dermatology)	Puramaruthuvam/Sirappu Maruthuvam
6	Sool and Magalir Maruthuvam (Obstetrics and Gynaecology)	Kuzhanthai Maruthuvam

(c) Qualification and experience for post of Head of the Institution.-The qualification and experience for the post of Head of the Institution (Principal or Dean or Director) shall be the same qualification and experience as specified for the post of Professor with minimum three years of administrative experience (Vice Principal or Head of the Department or Deputy Medical Superintendent or Medical Superintendent etc.)

(d) Salary.-(a) For the teachers of Government or Government aided institution or Government deemed University**.-** The Salary and allowances including Non Practicing Allowance as applicable shall be paid to the teacher at par with the norms laid down by the Central Government or University Grants Commission or the State Government or Union territory as the case may be and there shall not be any discrepancy of salary structure between medical system.

(b) For the teachers of Self-financing colleges including Central Private deemed University or State Private deemed University**.-** (i) The minimum basic pay shall be as per the following table, namely:-

Table-19
(Minimum Monthly Salary)

Sl.No.	Post	Pay scale
1.	Assistant Professor	Pay Level-10, Pay Matrix Rs. 56,100-1,77,500 (as per 7th CPC)
2.	Associate Professor	Pay Level-12, Pay Matrix Rs. 78,800-2,09,200 (as per 7th CPC)
3.	Professor	Pay Level-13, Pay Matrix Rs. 1,23,100-2,15,900 (as per 7th CPC)
4.	Head of the Institution	Pay Level-13A, Pay Matrix Rs. 1,31,100-2,16,600 (as per 7th CPC)

(ii) (a) This shall be the minimum prescribed salary and shall not be restrictive for higher salary structure.

(b) Monthly salary shall be paid along with applicable allowances as per respective employer's policy and annual increment with respect to the year of experience to the concerned cadre or post.

(c) The institution which is already paying higher salary structure shall continue with the same.

(d) Corresponding pay structure as applicable shall be adopted as and when Central Pay Commission (CPC) revises pay scales.

(c) The Salary shall be credited to the salary account through bank transfer and necessary facilities to the teacher such as, Provident Fund or Employees' State Insurance, etc. shall be provided by the college and Income Tax deduction certificate such as form 16 shall be issued by the college to the teacher as per the norms.

(d) The college shall issue appointment and promotion order in which the details such as salary, notice period for resignation, minimum attendance to be maintained by the teacher shall be clearly mentioned.

(e) Age of superannuation of teacher.- The age of superannuation of teachers shall be as per the order of the Central Government or State Government or Union territory, and the retired teachers, fulfilling the eligibility norms of teachers may be re-employed up to the age of sixty-five years as full-time teacher.

(f) Unique teacher's code.- (i) A unique teacher's code for all eligible teachers, shall be allotted by the National Commission for Indian System of Medicine after their appointment in the college through an Online Teachers Management System on application within seven working days from the date of joining and the Promotion or Relieving or Transfer of Department of all such teachers shall be facilitated and monitored through the Online Teachers Management System (OTMS).

(ii) Institute and Teacher shall update profile in the Online Teachers Management System (OTMS) from time to time with respect to promotion, department transfer, relieving etc.

(g) The Commission shall have the power to withdraw the teacher's code on ethical and disciplinary grounds.

(h) The Commission shall have the power to withdraw or withheld the teacher's code if the teacher discontinues the teaching profession or not joined any institution for any reason and he may rejoin the teaching profession with the same teacher's code after completing the procedure as specified by National Commission for Indian System of Medicine from time to time.

(i) Attendance of teacher.- The teacher shall abide by the guidelines and mandates as laid down by the National Commission for Indian System of Medicine from time to time and shall have at least seventy-five per cent.of attendance during the working days of every calendar year.

(j) Development and Training of Faculty Member.- Once in every three years teachers shall undergo Medical Education Technology (MET) or Quality Improvement Programme (QIP) conducted by National Commission for Indian System of Medicine or designated authority.

17 Appointment of examiner In Siddha.- No person other than regular or retired teacher with minimum five years of teaching experience in the concerned subject shall be considered eligible for examinership and the maximum age-limit of examiner shall be sixty-five years.

RAGHURAMA BHATTA. U, Secy., I/C

[ADVT.-III/4/Exty./684/2021-22]

Appendix "A"

[See regulation 4 (4)]

SCHEDULE relating to "SPECIFIED DISABILITY" referred to in clause (zc) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016), provides as under:-

1. Physical disability.—

(A) Loco motor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including—

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from—

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii)manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly afterbirth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4feet 10 inches (147 centimeters) or less;

(d) "muscular dystrophy" means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is characterized by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue; (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

(B) Visual impairment—

(a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, after best correction—

(i) total absence of sight; or

(ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or

(iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

(b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:—

(i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200(Snellen) in the better eye with best possible corrections; or

(ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to10 degree.

(C) Hearing impairment -

(a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

(D) "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

2. Intellectual disability, a condition characterized by significant limitation both in intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behavior which covers a range of every day, social and practical skills, including—

(a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematic calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

(b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,— "mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterized by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to—

(a) chronic neurological conditions, such as—

(i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;

(ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.

(b) Blood disorder—

(i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor would may result in fatal bleeding;

(ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterized by reduced or absent amounts of haemoglobin.

(iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterized by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "hemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of hemoglobin.

5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments causing severe communication, developmental, and educational problems.

6. Any other category as may be notified by the Central Government from time to time.

Appendix "B"

[See regulation 4 (4)]

Guidelines regarding admission of students, with "Specified Disabilities" under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), in B.S.M.S.

1. The "Certificate of Disability" shall be issued in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017,published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i),vide number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017.
2. The extent of "specified disability" in a person shall be assessed in accordance with the "guidelines for the purpose of assessing the extent of specified disability in a person included under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016)", published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 76 (E), dated the 4thJanuary, 2018.
3. The minimum degree of disability should be 40% (Benchmark Disability) in order to be eligible for availing reservation for persons with specified disability.
4. The term 'Persons with Disabilities' (PwD) is to be used instead of the term 'Physically Handicapped' (PH)

TABLE

Sl. No.	Disability category	Type of Disabilities	Specified Disability	Disability Range (5)		
				Eligible for B.S.M.S. Course, Not Eligible for PwD Quota	Eligible for B.S.M.S Course, Eligible for PwD Quota	Not Eligible for B.S.M.S. Course
(1)	(2)	(3)	(4)			
1.	Physical Disability	(A) Locomotor Disability, including Specified Disabilities (a to f).	(a) Leprosy cured person*	Less than 40% disability	40-80% disability Persons with more than 80% disability may also be allowed on case to case basis and their function a lncompetency will be determined with the aid of assistive devices, if it is being used, to see if it is brought below 80% and whether they possess sufficient motor ability as required to pursue and complete the course satisfactorily.	More than 80%
			(b) Cerebral Palsy**			
			(c) Dwarfism			
			(d) Muscular Dystrophy			
			(e) Acid attack victims			
			(f) Others*** such as Amputation, Poliomyelitis, etc.			
			* Attention should be paid to loss of sensations in fingers and hands, amputation, as well as involvement of eyes and corresponding recommendations be looked at. ** Attention should be paid to impairment of vision, hearing, cognitive function etc. and corresponding recommendations be looked at. *** Both hands intact, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for B.S.M.S. course			
		(B) Visual Impairment (*)	(a) Blindness	Less than 40% disability (i.e. Category '0 (10%)', 'I (20%)' & 'II (30%')	-	Equal to or More than 40% Disability (i.e. Category III and above)
			(b) Low vision			
		(C) Hearing impairment@	(a) Deaf	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
			(b) Hard of hearing			
			(*) Persons with Visual impairment / visual disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.S.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the visual disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with advanced low vision aids such as telescopes / magnifier etc.			

			@ Persons with hearing disability of more than 40% may be made eligible to pursue Graduate B.S.M.S. Education and may be given reservation, subject to the condition that the hearing disability is brought to a level of less than the benchmark of 40% with the aid of assistive devices. In addition to this, the individual should have a speech discrimination score of more than 60%.			
		(D) Speech & language disability$	Organic/ neurological causes	Less than 40% Disability	-	Equal to or more than 40% Disability
		$It is proposed that for admission to B.S.M.S. course the Speech Intelligibility Affected (SIA) score shall not exceed 3 (Which will correspond to less than 40%) to be eligible to pursue the B.S.M.S. course. The individuals beyond this score will not be eligible for admission to the B.S.M.S. course. Persons with an Aphasia Quotient (AQ) upto 40% may be eligible to pursue B.S.M.S. course but beyond that they will neither be eligible to pursue the B.S.M.S. course nor will they have any reservation.				
2.	Intellectual disability		(a)Specific learning disabilities (Perceptual disabilities, Dyslexia, Dyscalculia, Dyspraxia& Developmental aphasia)#	# currently there is no Quantification scale available to assess the severity of SpLD, therefore the cut-off of 40% is arbitrary and more evidence is needed.		
				Less than 40% Disability	Equal to or more than 40% disability But selection will be based on the learning competency evaluated with the help of the remediation/ assisted technology/ aids/ infrastructural changes by the Expert Panel	More than 80% or severe nature or significant cognitive/ intellectual disability
			(b)Autism spectrum disorders	Absence or Mild Disability, Asperger syndrome (disability of 40- 60% as per ISAA) where the individual is deemed fit for B.S.M.S. course by an expert panel	Currently not recommended due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	Equal to or more than 60% disability or presence of cognitive/intellectual disability and/or if the person is deemed unfit for pursuing B.S.M.S. course by an expert panel
3.	Mental		Mental illness	Absence or	Currently not recommended	Equal to or more than 40% disability or if the

	behaviour			mild Disability: less than 40% (under IDEAS)	due to lack of objective method to establish presence and extent of mental illness. However, the benefit of reservation/quota may be considered in future after developing better methods of disability assessment.	person is deemed unfit to perform his/her duties. Standards may be drafted for the definition of "fitness to practice medicine", as are used by several institutions of countries other than India.
4.	Disability caused due to	(a) Chronic Neurological Conditions	(i)Multiple Sclerosis	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			(ii) Parkinsonism			
		(b) Blood Disorders	(i) Haemophilia	Less than 40% Disability	40-80% disability	More than 80%
			(ii) Thalassemia			
			(iii) Sickle cell disease			
5.	Multiple disabilities including deaf blindness		More than one of the above specified disabilities		Must consider all above while deciding in individual cases recommendations with respect to presence any of the above, namely, Visual, Hearing, Speech & Language disability, Intellectual Disability, and Mental Illness as a component of Multiple Disability. Combining Formula as notified by the related Gazette Notification issued by the Govt. of India $\frac{a + b\,(90-a)}{90}$ (where a= higher value of disability % and b=lower value of disability % as calculated for different disabilities) is recommended for computing the disability arising when more than one disabling condition is present in a given individual. This formula may be used in cases with multiple disabilities, and recommendations regarding admission and/or reservation made as per the specific disabilities present in a given individual.	

Note: For selection under PwD category, candidates will be required to produce Disability Certificate before their scheduled date of counseling from one of the disability assessment boards as designated by concerned Authority of Government of India.

ANNEXURE-I

A. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR
FIRST PROFESSIONAL B.S.M.S(18 MONTHS)

Sl.No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of October	Course Commencement
2.	15 working Days	Induction Programme& Transitional Curriculum
3.	Fourth Week of March	First Internal Assessment
4.	Three weeks in May	Summer Vacation
5.	Fourth Week of September	Second Internal Assessment
6.	First and second week of February	Preparatory holidays
7.	Third week of February onwards	University Examination
8.	***First Working Day of April***	***Commencement of Second Prof. B.S.M.S***
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

B. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR
SECOND PROFESSIONAL B.S.M.S(18 MONTHS)

Sl.No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of April	Course Commencement
2.	Fourth Week of September	First Internal Assessment
3.	Fourth Week of March	Second Internal Assessment
4.	Three weeks in May	Summer Vacation
5.	First and Second week of August	Preparatory holidays
6.	Third week of August onwards	University Examination
7.	***First Working Day of October***	***Commencement of Third Prof. B.S.M.S***
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

C. TENTATIVE TEMPLATE OF ACADEMIC CALENDAR
THIRD PROFESSIONAL B.S.M.S(18 MONTHS)

Sl.No.	DATE/PERIOD	ACADEMIC ACTIVITY
1.	First Working Day of October	Course Commencement
2.	Fourth Week of March	First Internal Assessment

3.	Three weeks in May	Summer Vacation
4.	Fourth Week of September	Second Internal Assessment
5.	First and Second week of February	Preparatory holidays
6.	Third week of February onwards	University Examination
7.	***First Working Day of April***	***Commencement of Internship***
Note	(1) Universities/Institutions/Colleges shall specify dates and year while preparing academic calendar of that particular batch of students. The same is to be informed to students, displayed in respective websites and followed. (2) Institutions/Colleges established in Extreme Weather Conditions may adjust the vacation as required by maintaining the stipulated hours of teaching. However, the structure of academic calendar shall not be altered.	

ANNEXURE-II

GUIDELINES FOR ATTENDANCE MAINTENANCE

(THEORY/PRACTICAL/CLINICAL/NON-LECTURE HOURS)

Institutes/Colleges offering education in various courses in Indian System of Medicine are recommended to maintain online attendance system. However, in case physical registers are being maintained for recording attendance of various teaching/training activities, the following guidelines are to be followed, namely:-

(1) Attendance is to be marked in cumulative numbering fashion as under-

(a) In case presence is to be marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6……so on;

(b) In case of absence, it must be marked as 'A';

(c) Example: P P P P A P P AA P P P…. may be marked as (1, 2, 3, 4, A, 5, 6, A, A, 7, 8, 9…).

(2) Avoid strictly marking 'P' for presence.

(3) Separate register for Theory and practical/clinical/non-lecture activities are to be maintained.

(4) At the end of term or course or part of syllabus or month the last number to be taken as total attendance.

(5) The total attendance after students signature to be certified by respective HOD followed by approval by Principal.

(6) In case of multiple terms, at the end of professional session all term attendance is to be summarised and percentage is to be calculated separately for **theory** and **practical/clinicals**(including all non-lecture hours).

ANNEXURE-III

FORM 1

[See regulation 14(e)(ix)(B,C,D)]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

SIDDHA MARUTHUVA ARIGNAR

(BACHELOR OF SIDDHA MEDICINE AND SURGERY - B.S.M.S.) PROGRAMME

DEPARTMENT OF _____

CERTIFICATE OF ATTENDANCE AND ASSESSMENT OF INTERNSHIP (Register No.)

Name of the Intern :

Attendance during internship

Period of training **: From _____ To _____**

(a) No. of Working Days :

(b) No. of Days Attended :

(c) No. of Days Leave availed :

(d) No of Days Absent :

Assessment of Internship

S.No.	Category	Marks Obtained
1.	**General**	**Maximum 10**
a.	Responsibility and Punctuality	(___) out of 2
b.	Behaviour with sub-ordinates, colleagues and superiors	(___) out of 2
c.	Documentation ability	(___) out of 2
d.	Character and conduct	(___) out of 2
e.	Aptitude for research	(___) out of 2
2.	**Clinical**	**Maximum 20**
a.	Proficiency in Fundamentals of subject	(___) out of 4
b.	Bedside manners & Rapport with patient	(___) out of 4
c.	Clinical acumen and Competency as acquired	
i.	by Performing Procedures	(___) out of 4
ii.	by Assisting in Procedures	(___) out of 4
iii.	by Observing Procedures	(___) out of 4
	Total Score Obtained	**(____) out of 30**

Performance Grade of marks

Poor <8, Below average 9-14, Average 15-21, Good 22 -25, Excellent 26 and above

Note: An intern obtained unsatisfactory score (below 15) shall be required to repeat one third of the total period of posting in the concerned department.

Signature of the Intern **Signature of the Head of the Department**

Office Seal

Date:

Place:

ANNEXURE-IV

FORM 2

[See regulation 14(e)(ix)(C)]

(NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS)

SIDDHA MARUTHUVA ARIGNAR

(BACHELOR OF SIDDHA MEDICINE AND SURGERY - B.S.M.S.) PROGRAMME

CERTIFICATE OF COMPLETION

OF THE COMPULSORY ROTARY INTERNSHIP

This is to certify that (NAME OF THE INTERN) Intern of (NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS), has completed his/her Compulsory Rotatory Internship at the (NAME OF THE COLLEGE AND ADDRESS/PLACE OF POSTING), for the duration of One year from _____ to _____ in the following departments;

S.No.	Name of the Department/Institute	Period of training from (dd/mm/yyyy)	Period of training to (dd/mm/yyyy)

During the internship period the conduct of the student is ……..

Signature of the Principal/Dean/Director

Office Seal

Date:

Place:

Note: If any discrepancy is found between Hindi and English version of National Commission for Indian System of Medicine (Minimum Standard of Undergraduate Siddha Education) Regulations 2022, the English version will be treated as the final.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.03.09 23:22:14 +05'30'